खण्ड-289, अंक-10
शुक्रवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1893
(23 जुलाई, 1971 ई0)

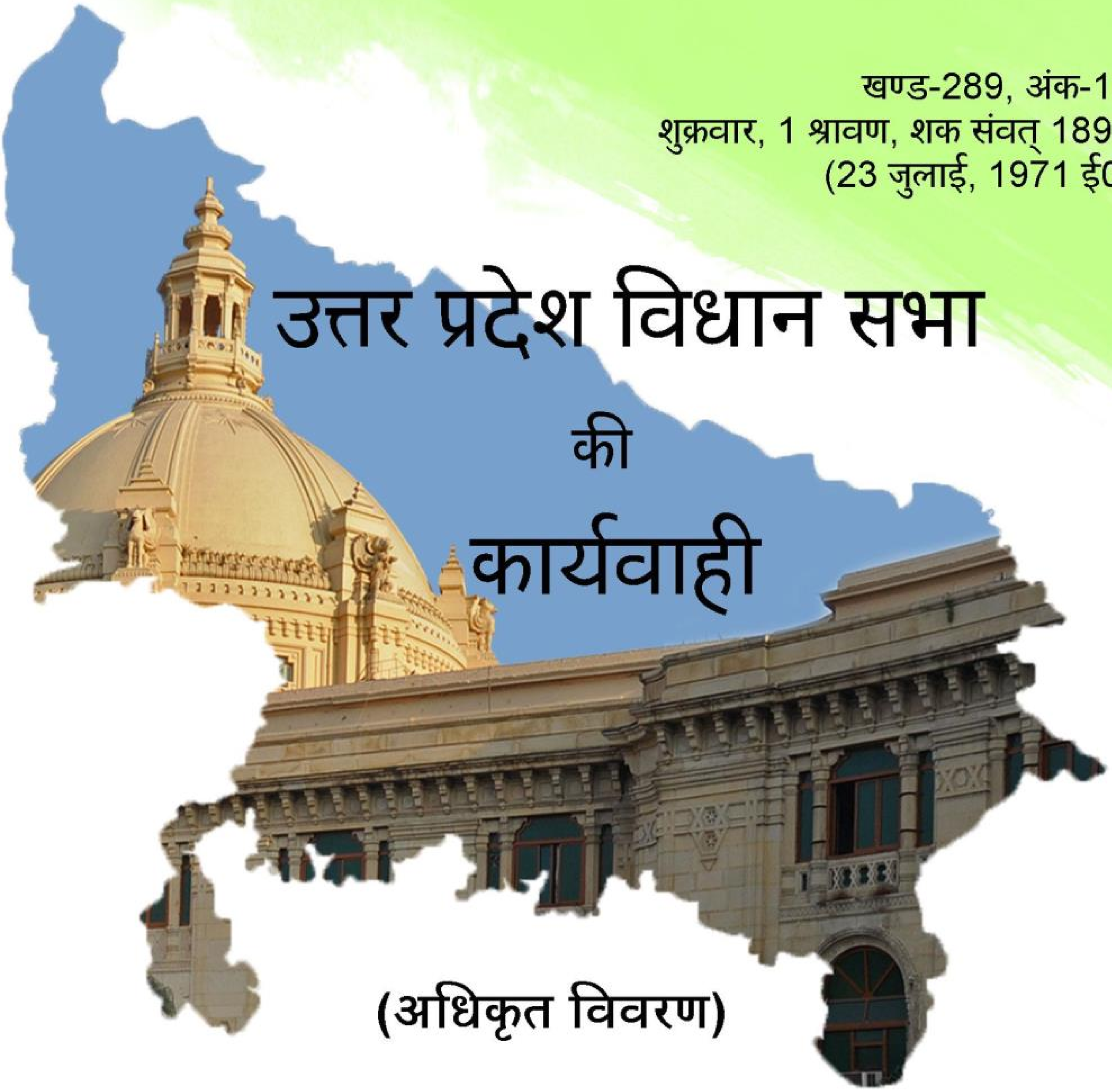

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११४९–११५३
प्रश्नोत्तर	११५३–११७९
केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों का गल्ला सड़ने तथा छितौनी बांध के लिये धन न दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी	११७९–११८०
स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री उमा दत्त शर्मा के विरुद्ध कथित रिश्वत लेने का आरोप ..	११८०–११८१
उद्योग राज्य मंत्री, श्री देवकी नन्दन विभव द्वारा बिजली का कनेक्शन दिलवाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	..११८१–११८४
प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी) ..	..११८४–११९३
सदन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में सुझाव	११९३–११९६
प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य	११९६–११९८
प्रदेश में साम्प्रदायिक दगों के निवारणार्थ कमीशन बैठाने के लिये संकल्प ..	११९९–१२३२
सदन की कार्यवाही को समाचार पत्रों में छापने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१२३२–१२४१
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१२४१–१२४३
नस्थियां	१२४३–१२५१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २३ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बज दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८४

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगनाथराव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायन सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह "कृष्ण", श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दस सिंगार यादव, श्री
दीपनरायन वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रातव, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाशनारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीसिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसा राम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथसिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री

संसदीय प्रलेख संग्रह

रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालता प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवपाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री

शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह ,श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला—आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २३ जुलाई, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अर्थ विषयक अभिसूचना एव अनुसंधान विभाग पर खर्च

**१—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा—फतेहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९७० में इन्कम टैक्स तथा विक्रीकर की चोरियां रोकने हेतु सरकार ने अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई के नाम से एक नया विभाग गठित किया है जिसमें २ अधीक्षक, ४ सहायक अधीक्षक और ८ इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये हैं ? उपरोक्त अधिकारियों पर अब तक कितना खर्च हुआ है तथा उनसे क्या-क्या काम अब तक कराये गये ?

गृह उप मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)—

सितम्बर, १९७० में विभिन्न अर्थ विषयक अपराधों के बारे में अभिसूचना एकत्रित करने तथा उनका अनुसंधान करने हेतु पुलिस विभाग की अपराध अनुसंधान शाखा में एक अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई की स्थापना की गई है जिसमें दो पुलिस अधीक्षक, ४ उप पुलिस अधीक्षक, ८ पुलिस निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। चूंकि इन्कम टैक्स राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिये यह इकाई सामान्यतः तत्संबंधी मामलों में जांच नहीं करेगी। इस इकाई पर अभी ९२,५३८ रु० का व्यय हुआ है। इस इकाई द्वारा कुछ अर्थ विषयक अपराधों के बारे में अभिसूचना एकत्रित की जा रही है और अनुसंधान भी किया जा रहा है। इस इकाई के तत्वावधान में की गई जांच से अनधिकृत रूप से चल रही ट्रकों, बसों तथा टक्सियों का चालान किया गया और इसके अतिरिक्त इस इकाई द्वारा अफीम, गांजा, भांग एवं चरस के अवैधानिक व्यापार, फारवर्ड ट्रेडिंग, पैट्रोल में डीजल तथा मिट्टी के तेल की मिलावट इत्यादि के कुछ मामलों तथा केसा हाउस कानपुर के कुछ कर्मचारियों द्वारा बिजली बिलों के भुगतान की जाली रसीदें बनाने के मामले में जांच की जा रही है।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या यह सही है कि इन अधिकारियों को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं और क्या सही है कि ये लोग तनख्वाहें और भत्ते लेते रहे लेकिन आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया ? इस संगठन का क्या क्षेत्राधिकार है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

यह कहना कि किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिये गये हैं, उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरे प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को उनके क्षेत्राधिकार की बातों से अवगत कराना चाहता हूं। वे इस प्रकार है :—

(१) एसे अपराध जिनमें सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की व्यापारियों तथा अन्य व्यवसायिक व्यक्तियों से सांठ-गांठ पाई जाये, के बारे में अभिसूचना एकत्रित करना,

(२) मामूली प्रकार के ऐसे अपराधों के बारे में उपलब्ध अभिसूचना सम्बद्ध विभागों को भेजना,

(३) बड़े तथा जटिल अपराधों में अनुसंधान करना तथा मकदमें चलाना,

(४) विभागों द्वारा भेजे गये इस प्रकार के बड़े तथा जटिल मामलों में अनुसंधान करना तथा मुकदमें चलाना।

(५) अर्थ विषयक अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार को सुझाव देना।

इस इकाई के कार्य संचालन के लिए सम्बन्धित विभागों से परामर्श करके आवश्यक गाइड लाइन्स तैयार की जा रही है।

इस कार्य के लिये यह विभाग पूर्णतया सक्रिय है।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने तस्कर व्यापारियों का चालान किया गया तथा कितने लोगों का चालान किया जिन्होंने बिक्री कर की चोरी की इस संस्था द्वारा ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इन सारे प्रश्नों में छानबीन हो रही है और विचार किया जा रहा है। इसमें जो प्रगति हुई है, जनहित में उसकी पूरी सूचना देना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने संगीन मामले इनको सौंप गये।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

५३ ट्रकें, १७६ बसें तथा ६१० टैक्सियां अनधिकृत रूप से चलती हुयी पकड़ी गयीं। इसके फलस्वरूप ४०२३ मुकदमें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत चालान किये गये।

(२) अफीम, गांजा, चरस, तथा भांग के अवैधानिक व्यापार के सम्बन्ध में पांच मुकदमे दर्ज किये गये। (३) जाली सिक्कों के बनाने के सम्बन्ध में दो मुकदमों की छानबीन की गई। (४) फावर्ड ट्रेडिंग के दो केन्द्रों हाथरस एवं कानपुर में छापा मार कर करीब ७१ व्यक्तियों के चालान किये गये और १५ मुकदमें कायम किये गये। (५) जाली लाटरी के टिकट एवं बिजली बिलों की जाली रसीदें देने के विषय में भी छानबीन की जा रही है। (६) पैट्रोल की टंकियों पर पैट्रोल में डीजल एवं मिट्टी का तेल मिलाकर बेचने के सिलसिले में छापा मार कर नमूने लिये गये जिन्हें जांच के लिये रासायनिक परीक्षण हेतु भेज दिया गया है .....

श्री हिम्मत सिंह—

सरकार की ओर से कौन-कौन से मामले जो संगीन थे भेजे गये मेरा इतना सवाल था, मैंने और कुछ नहीं पूछा था।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मैंने पहले ही उत्तर में स्पष्ट कर दिया और तफसील में बता दिया कि ये, ये मामले पकड़े गये। कुछ और जो संगीन प्रश्न हैं उनके विषय में मैंने स्पष्ट कहा है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनकी गहराई से छानबीन कर लेंगे लेकिन उनको जनहित में बताना युक्ति संगत नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपने बतलाया कि विभिन्न मामलों की जांच और पकड़-धकड़ करायेंगे। इसका सम्बन्ध है मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत चालान से जिसका अधिकार होता है, आर० टी० ओ० को तथा और विभागों में एक्साइज इन्सपेक्टर को होता है। मैं जानना चाहूंगा कि किस अधिनियम के अन्तर्गत इन लोगों की नियुक्ति की गई और इन लोगों को किस अधिनियम के अन्तर्गत ये जांच के अधिकार और कर्त्तव्य दिये गये?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

प्रशासन में यह देखना पड़ता है कि जो अर्थ विषयक अपराध होते हैं इनके लिये विभागों के पास जांच पड़ताल के लिये कोई एजेन्सी नहीं थी और उन्होंने इन बातों की मांग की कि उन्हें इन चीजों की जांच पड़ताल करने के लिये, क्योंकि ये अपराधों की श्रेणी में आते हैं, इसलिये उनको एक यूनिट दी जाय। तदनुसार यूनिट दे दी गई। इसमें अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। यह प्रशासन के अधिकार में है कि कोई यूनिट बनाना चाहे तो बना दे।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या यह सही है कि इसके लिये कोई ऐक्ट नहीं बना लेकिन विभाग को खोल दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आई० पी० सी० वगैरह में सब कुछ है ही मगर इन केसेज की जांच पड़ताल करके गांजा व ₹रह के मामले पर पुलिस को उतना अधिकार नहीं होता। उन्हें दिक्कत होती है कि किस त ह से इसमें हस्तक्षेप किया जाय। तो इसलिये इनको अधिकार दिया है कि आई० पी० सी० के केसेज चलें तो इनकी जांच पड़ताल की जाय और उसके बाद मुकदमा चलेगा।

(व्यवधान)

(उपाध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या २ के लिये मंत्री को बुलाए जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

दूसरा सवाल आप का ही है। अगर आप नहीं आगे चलते तो मैं तीसरा प्रश्न लेता हूं।

मंत्रि-मंडल के सदस्यों की जायदाद व जमा पूंजी की घोषणा

**२---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार अपने मंत्रि-मन्डल के सदस्यों की व्यक्तिगत जायदाद व जमा पूंजी की घोषणा करेगी ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

जी नहीं।

श्री नित्यानंन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया जायेगा और किस विधान और व्यवस्था के अन्तर्गत आप इसे गोपनीय रखना चाहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह भी एक परम्परा कायम की गई है। किसी विधान और नियम के अन्तर्गत नहीं है। यहां का आचरण कोड बना है भारत सरकार की ओर से और उसको जब मन्त्रि मंडल ने स्वीकार कर लिया है तो उसी की तहत में यह चीजें मांगी जाती हैं और यह गोपनीय रक्खा जाता है। सवार से यह परम्परा इस सदन की यही रही है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, इसमें लिखा है कि व्यक्तिगत जायदाद व जमा पूंजी। तो क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत का अर्थ क्या है ? क्या उनके बेटे, बेटी, भाई, बहिन जो साथ रहते हो, उनकी भी सम्पत्ति शामिल है, या केवल उसी व्यक्ति की शामिल होगी जो मंत्री होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

परिवार की यूनिट मानी जाती है---मियां, बीबी और नाबालिग बच्चे।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप उस सूचना को गोपनीय रख र हे हैं, क्या मुख्य मंत्री जी कोई ऐसा आयोग बैठाने पर विचार करेंगे जो कि किसी मंत्री या अन्य पब्लिक कार्यकर्त्ता की सम्पत्ति के बारे में शिकायत होने पर उसकी जांच कर सके, जैसा कि पहले उत्तर प्रदेश में गठित किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह तो ऐसा प्रश्न है जो सामने आए तो उस पर निर्णय किया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों ने उनको ब्यौरा दे दिया है और अगर नहीं दिया है तो किन लोगों ने नहीं दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह प्रश्न दो दिन पहले भी हाउस में उठा था और मैंने कह दिया है, मान्यवर, कि लोगों को भेज दिया है और एकाध के आ गए हैं और बराबर आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि हफ्ते-आठ दिन में आ जाएंगे ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, स्वामी जी ने प्रश्न किया कि अगर किसी पब्लिक में नया मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आए तो उसके लिए क्या कोई आयोग का गठन करेंगे ताकि जांच हो सके । उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह की बात आने पर देखा जाएगा । मान्यवर, यह तो पालिसी का सवाल है, क्या इस प्रकार का विचार आपकी सरकार का है या नहीं ? यदि इस प्रकार की घोषणा करे तो सम्भवतः इस तरह की शिकायतें उनके पास आएंगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, पालिसी बहुत स्पष्ट है । किसी मंत्री के विरुद्ध, किसी अधिकारी के विरुद्ध, या किसी विधान सभा, विधान परिषद् या पार्लियामेंट के मेम्बर के विरुद्ध ऐसी शिकायत आए तो उस पर जांच-पड़ताल की जाती है---आन मैरिट । अगर शिकायत ऐसी है जिस पर जांच-पड़ताल की जानी चाहिए तो की जाएगी ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या मुख्य मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि स्वच्छ प्रशासन के लिए मंत्रियों की जायदाद सर्वविदित होना आवश्यक है ? यदि ऐसा नहीं महसूस करते है तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो हायपोथेटिकल सवाल है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, भारत सरकार के जितने मंत्री है उन्होंने जो सम्पत्ति का ब्यौरा दिया है वह उसे घोषित कर देते है । तो यहां न बताने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

भारत सरकार भी बताती नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी अधिकारी या मंत्री के विरुद्ध अगर ऐसी शिकायत मिली तो जांच करायी जाएगी । यह तो सही है, लेकिन मंत्री की हैसियत और दूसरे अधिकारियों की हैसियत में बड़ा अन्तर है । मंत्री सरकार के एक घटक है । तो क्या मंत्रियों के सम्बन्ध में कोई ऐसी बाडी गठित करेंगे जो इस प्रान्तीय सरकार के अधीन न हो और इंडिपेन्डेन्ट हो और मंत्रियों की शिकायत के बारे में ठीक तौर से जांच कर सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैंने समझा नहीं, प्रान्तीय सरकार के अधीन न हो इसके क्या माने हैं ? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे प्रदेश का मंत्री हो ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जो अधिकारी मंत्रियों के बारे में जांच-पड़ताल करे उसको ऐसी हैसियत दी जाय जैसे पहले संविद सरकार ने किया था वह निश्चय रूप में गठित हो और सरकार के अधीन न रहे तभी स्वतन्त्रतापूर्वक जांच हो सकेगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस विषय पर भारत सरकार एक कानून बनाना चाहती है। अभी वह पार्लियामेन्ट में पेश भी हुआ है। जब वहां कानून बन जायेगा तब यहां भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

एक तथ्य मुख्य मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार अपने मंत्रियों की जायदाद की घोषणा नहीं करती है। जहां तक हम लोगों की जानकारी है वह यह है कि भारत सरकार ऐसा करती है। अभी सभी समाचारपत्रों में निकला है कि करण सिंह जी कबसे धनी मिनिस्टर हैं केन्द्रीय सरकार में। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मुख्य मंत्री जी इस बात की जानकारी भारत सरकार से प्राप्त करेंगे कि वह अपने मंत्रियों की जायदाद की घोषणा करती है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अवश्य पता लगाउंगा।

राजकीय पायलट वर्कशाप, आजमगढ़ में श्री लोदूराम की हत्या

**३--श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ नगर स्थित भंवरनाथ आयल मिल्स के निकट राजकीय पायलट वर्कशाप में २६ जून, १९७१ की रात्रि में सोते समय एक युवक छात्र की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामजी प्रसाद गुप्त, इन्चार्ज राजकीय पायलट वर्कशाप, आजमगढ़, ने दिनांक २६ जून, १९७१ को थाना कोतवाली पर लिखित रिपोर्ट दी कि वर्कशाप के चौकीदार ने उनको बीती रात में करीब डेढ़ बजे आकर बतलाया कि लोदू राम पुत्र झिनकू विश्वकर्मा, जो उनके केन्द्र में ट्रेनिंग ले रहे थे, की किसी ने हत्या कर दी है। लोदू राम अन्य विद्यार्थियों के साथ केन्द्र होस्टल के बरामदे में सो रहा था। उसकी चीख की आवाज सुनकर आस पास के लोग दौड़ कर टार्च जलाते हुए पहुंच गए और हत्यारों को रोशनी में देखा और पहचाना है।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर धारा ३०२, भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और विवेचना आरम्भ की गई। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। विवेचना जारी है।

उर्दू को प्रदेश की दूसरी क्षेत्रीय भाषा घोषित करने का कथित निर्णय

**४—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की दूसरी क्षेत्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय कर चुकी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जो नहीं ।

श्री राम गोपाल सण्ड—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाने के लिए मुस्लिम मजलिस और मुशावरत का शिष्ट मंडल मंन्त्री जी से मिला था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी ने उनको क्या आश्वासन दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शिष्ट मंडल कौन सा मिला था मुझसे ?

श्री राम गोपाल सण्ड—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर उर्दू को द्वितीय राज भाषा बनाने के लिये आन्दोलन चल रहा है और उसके तदोनुरूप श्री नारायण दत्त त्रिपाठी जी ने उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिये बजट में बड़ी मात्रा में धनराशि रखी है । मुख्य मन्त्री जी के "जी नहीं" कहने से काम नहीं चलेगा । मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक वक्तव्य हो ।

श्री मैनेजर सिंह—

जहां तक उर्दू को राज भाषा बनाने का सवाल है उसके बारे में तो कल या परसों उन्होंने घोषणा कर दी है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी को गांधी जी की इस राय से इत्तफाक है कि सारे हिन्दुस्तान के लिए तो हिन्दी ही होनी चाहिए । उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहेगी । ऐसा होने पर हम अपने ऐसे व्यवहार से अंग्रेजी को निकाल बाहर कर सकेंगे । क्या उनको गांधी जी की राय से इत्तेफाक है ?

श्री उपाध्याक्ष—

यह तो राय का सवाल है । इस प्रश्न से कैसे निकलता है यह ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न संख्या १—राजस्व मंत्री ।

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रश्न संख्या ४ तो हुआ ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न १ से संबंधित है और यह बाद में आयेगा । क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं ? वे तो नहीं है, इसलिए बाद में आयेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमान्, हम तो खड़े हुए थे और आप आगे चले गये । प्रश्न संख्या ४ के बारे में बात हो रही है ।

श्री उपाध्याक्ष—

वह तो समाप्त हो गया । आपने श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह के प्रश्न के बारे में यह कहा कि आपकी दिलचस्पी है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रश्न संख्या ४ तो अभी आरम्भ ही हुआ और उसको आपने समाप्त कर दिया । यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रश्न संख्या ४ श्री राम गोपाल सण्ड का है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब सरकार ने दिया है कि, जी नहीं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं जानना चाहूंगा कि सरकार क्यों नहीं चाहती है । जब यह प्रश्न आता है और सरकार कहती है जी नहीं । तो क्या इसको हमें जानने का अधिकार नहीं है कि कोई संवैधानिक कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कठिनाई यह है कि इस प्रश्न के आगे हम चले गये हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसके ऊपर प्रधान मंत्री प्रदेश को दो बार एजीटेट करके चली गई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर प्रश्न करने की मैं इजाजत नहीं देता हूं । मैं समझता हूं कि इसका उत्तर सम्पूर्ण है और इसमें कोई प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

दूसरे प्रश्नों पर गुंजाइश है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब आप आगे बढ़ गये तो पीछे आने का क्या प्रश्न है ।

श्री उपाध्याक्ष—

आपको धन्यवाद है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं प्रश्न से संतुष्ट नहीं हूं । अगर प्रश्न नहीं पूछने की इजाजत मिलेगी तो मैं महसूस करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और चेअर ने षणयंत्र करके उर्दू का मसला इस सदन में उठने नहीं दिया ।

विधान सभा

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तहसील तिलहर के ग्रामों में ओला से क्षति

*१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के १२७ ग्रामों में जहां १० मार्च, १९७० को ओला से सर्वनाश हुआ था और बाद में वर्षा से सर्वनास हो गया वहां किसानों को तुरन्त सहायता प्रदान करेगी ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री जलील अब्बासी)—

इन अधिक प्रभावित ग्रामों में तथा तहसील तिलहर के अन्य समस्त ग्रामों में जहां अप्रैल, मई, सन् १९७१ में असामयिक वर्षा से रबी की फसल को भारी क्षति हुई है भू-राजस्व, लगान तकावी, सिंचाई कर तथा अन्य कृषीय देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। नियमानुसा, असहाय व निर्धन व्यक्तियों को अहेतुक सहायता व कृषकों को आपदा तकावी, खाद व बीज देर का प्रबन्ध कर दिया गया है।

(दिनांक २३ जुलाई, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

गढवाल तथा कुमायूं मंडल में विभिन्न मार्गों के विस्तार एवं पुल निर्माण की योजन

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल में वर्ष १९७१–७२ में कुल कितने मोटर मार्ग, अश्व मार्ग तथा पुल बनाने की योजना है ?

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

वर्ष १९७१–७२ में गढ़वाल मण्डल में १० मोटर मार्ग, ४ अश्व मार्ग तथा ६ पुल और कुमायूं मण्डल में १० मोटर मार्ग तथा ५ अश्व मार्ग बनाने की योजना है।

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में वन विभाग की कुल कितनी मोटर सड़कें इस समय बन रही हैं और कब तक पूरी हो जायेंगीं क्या फरकुण्डाखाल-पैठाणी मोटर मार्ग इस वर्ष पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जयेगा ?

श्री गुलाब सिंह—

गढ़वाल मण्डल में वन विभाग की १० मोटर सड़कें इस समय बन रही हैं और १९८२–८३ तक सभी सड़कों के पूरे हो जाने की आशा है। फर कुरण्डाखाल-पैठाणी मोटर मार्ग इस वर्ष पूरा नहीं होगा। लक्ष्य के अनुसार उसके १९७३–७४ तक पूरे हो जाने का अनुमान है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री जी अपने प्रश्न संख्या १ के उत्तर में जैसा कि उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल में १० मोटर मार्ग, ४ अश्व मार्ग तथा ६ पुल और कुमायूं मण्डल में १० मोटर मार्ग तथा ५ अश्व मार्ग बनाने की योजना है, तो मोटर मार्ग कौन-कौन से हैं और कब तक उन पर कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

श्री गुलाब सिंह---

मान्यवर कुमायूं मंडल में नैनीताल जिले में (१) टानकी नैनीताल, (२) ओखकांडा खनस्यू, (३) मुदलीगण जौलासाल, (४) पथरूवानाला जसपुर हैं। अल्मोड़ा जिले में (१) कठपुड़िया ठीना रेखोली. (२) जौरासी देवाट, (३) किमतौली रौसाल हैं, पिथौरागढ़ में (१) सात शिलिंग सिगौली (२) धोरपाटर कालमिनदेव, (३) घोरपाटा भवानी हैं। गढ़वाल मण्डल में पौड़ी (१) घिसू पंठ णी (२) फकरकुण्डाखाल बेधेशपाल, (३) चमोली में (१) देवाल सुयालकोट, (२) मोहनखाल चौपता, (३) गौचर श्रीकोट, (४) दौड़ा देवारीखाल, उत्तरकाशी में (१) धतौरी सेम, (२) कुथनौर मसालगांव विमाली, (३) गेर तिपरीछान, (४) मदरामू ननाई के लिये मोटर मार्ग बनाने की योजना है।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रूट बन रहे हैं इनकी योजना का क्या आधार है और जो १९८२--८३ तक बनाने का प्रबन्ध किया जा रहा है तो इस विलम्ब का क्या कारण है?

श्री गुलाब सिंह---

मान्यवर, जैसे-जैसे धन की उपलब्धि होगी उसके आधार पर यह बनाया है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष इन अश्व मार्गों के लिए तथा मोटर मार्गों के लिए कितना धन रखा गया है?

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो बजट में है। दूसरा प्रश्न करे। यह सूचना तो आपको उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री गुलाब सिंह---

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ था।

श्री इन्द्रमणि---

इस वित्तीय वर्ष में जिन मार्गों का जिक्र मंत्री जी ने किया है उनके लिए कितना धन रखा गया है और कितनी लम्बी सड़क बनेंगी?

श्री गुलाबसिंह---

इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्णानन्द राय---

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने अभी बजट रखा है और इसकी सूचना नहीं है कि कितना धन रखा है। राजा साहब आप तो घोड़े पर चढ़ते हैं, आपको तो जानकारी होगी?

श्री उपाध्यक्ष---

कृष्णानन्द राय भी मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी बजट की सारी मदों को याद नहीं रखा होगा।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले के लैंसडाउन में तीन सड़कें लालढांग, धारकोट, फेडुवा, रामनी पुलिन्दा और गूलर झाला किष्टा कई वर्षों पूर्व वन विभाग द्वारा निर्मित

की गयी थीं। इनमें लगभग दो पूर्ण हैं। वन विभाग ने मिलिट्री को शिकार के लिए स्थान दिया था और वहां मिलिट्री की मदद से बुलडोजर्स से सड़कें बनी थीं। ये सड़कें पूर्ण बनी हुई हैं और यातायात के लिए उपयुक्त हो सकती हैं अगर उन पर मरम्मत का थोड़ा सा धन खर्च कर दिया जाय। क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन सड़कों को किन कारणों से यातायात के योग्य नहीं बनाया जा रहा है जब कि थोड़े से पैसे की जरूरत है ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, जिन सड़कों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है यदि कम धन में खुल जायगी तो इस पर जरूर विचार किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि योजना के अन्तर्गत वन विभाग की कोई योजना सड़कों के बनाने की नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका मतलब, योजना में नहीं है ?

श्री गोविन्द सिंह—

जी हां।

श्री गुलाब सिंह—

योजना में उन सड़कों का विवरण दिया हुआ है जिन्हें हम बना रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि सालाना बजट में रूपरेखा है कि बीस साल में किन-किन सड़कों को बनाना है। मैं जानना चाहता हूं कि पंच साला योजना में कौन-कौन सी सड़कें हैं ?

श्री गुलाब सिंह—

जिन सड़कों का नाम मैंने अभी लिया वे सभी सड़कें हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने कहा कि २० साल की योजना है जिन्हें १९८२–८३ तक बनायेंगे। इस वर्तमान पांच साला योजना में किन-किन सड़कों को पूरा करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

सड़कों के बारे में है। यह सूचना आप दें।

श्री गुलाब सिंह—

जो सूचना उपलब्ध है वह बतला दी है।

दुग्ध सप्लाई यूनियन लिमिटेड, वाराणसी को सरकारी ऋण तथा उसका उपयोग

*३—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी दुग्ध सप्लाई यूनियन लिमिटेड को सन् १९६४ से सन् १९७० तक कब-कब कितना-कितना सरकारी ऋण किस-किस मद के लिये दिया गया है और दी गई धनराशि का सदुपयोग निर्धारित कार्य के लिये ही हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (कुंवर अशरफ अली खां)—

वाराणसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को १९६३–६४ से १९६९–७० तक दी गयी शासकीय सहायता तथा उसके उपयोग से सम्बन्धित विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२४३ पर)

*४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कोआपरेटिव दुग्ध समिति, मलदेहिया, वाराणसी का रजिस्ट्रेशन सन् १९६२ में ही उपनिबन्धक, वाराणसी के आदेशानुसार, निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त समिति अब तक किस आधार पर कार्य कर रही है और इस समिति के डेलीगेट विभागीय चुनावों में किस आधार पर भाग लेते आ रहे हैं?

श्री अशरफ अली खां—

प्रश्न में उल्लिखित नाम की कोई संस्था मलदेहिया में नहीं है। वहां केवल वाराणसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, १९४७ से कार्यरत है। उसका रजिस्ट्रेशन कभी निरस्त नहीं हुआ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि तालिका संलग्न है। अब उसकी सूचना हमें तो हुई नहीं, सदन के सदस्यों को उसका पता नहीं, तो प्रश्न कैसे करें?

(मंत्री जी ने तालिका भी पढ़ी)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें इस यूनियन को कुल करीब ४० हजार का ऋण देना बताया गया है जबकि मेरे सामने जो यह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६७ पर आधारित लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन है, इसके पृष्ठ ३० पर, पैरा ११६ में दिया है कि इस यूनियन को ६.७४ लाख रुपये का ऋण दिया गया था परन्तु ३० जून, १९६५ तक उसका प्रतिदान नहीं हुआ। उस संस्था को ३० जून, १९६५ तक केवल ३.४८ लाख रुपये की हानि हुई। प्रतिवेदन में समिति ने यह भी सिफारिश की है कि हानि और गबन के मामलों की यथाशीघ्र जांच कराके विभाग दोषियों को उचित दण्ड दे तथा मूलधन की वसूली का प्रयास करे। तो वह जो उसमें लिखा है वह सही है या मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं वह सही है?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

जिन वर्षों का सवाल था, उसी का उत्तर दिया गया है, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसकी मुझे इस समय जानकारी नहीं है। वह पहले का होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने जवाब दिया कि उनकी जानकारी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट है क्या लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रतिवेदन सदन में आया, जिसकी रिपोर्ट चौधरी जी ने पढ़ी है? और क्या वह उन्हीं वर्षों से सम्बन्धित है? यदि है, तो क्या मंत्री जी का यह उत्तर मुनासिब आप समझते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप दूसरा प्रश्न करते हैं। पहले शम्भूनाथ जी को कहने दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मंत्री जी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, मैं कहता हूं कि उनको जानकारी होनी चाहिए। 'नहीं है' तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप संघ के अध्यक्ष पांडेय को तुरन्त बुलवाएं . . . . (व्यवधान) यह मेरे पास १९६५–६६ का विनियोग लेखा परीक्षा की रिपोर्ट है, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, ७०, जो कि १२–३–७० को सदन में रखा गया था। सन् १९६४ से मैंने सवाल पूछा है, यह उसमें जरूर आना चाहिए था। मैं इस पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा करना चाहूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सहकारिता मंत्री जी बतायेंगे कि जो ४०,५०० रु० इस संघ या सहकारी समिति को दिए गये ३ वर्षों में, तो क्या अनुदान और ऋण देने से पेश्तर उसकी आडिट रिपोर्ट्स वगैरह को भी देखा गया था? यदि नहीं देखा गया तो बिना देखे जिन अधिकारियों ने सिफारिश की थी उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन्, हम इसकी जानकारी करेंगे, इस वक्त सूचना नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया है?

श्री उपाध्यक्ष—

लिखकर आप भेज दीजिएगा, विचार करूंगा। इसी तरीके का एक और आया है, दोनों को मिला लूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस बारे में आपने उठा दिया है, अब जानकारी की जायगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नहीं। मेरा प्रश्न तो प्रश्न संख्या ५, ६, व ७ के सम्बन्ध में है। मैं आपका ध्यान नियम ३५ की ओर दिलाना चाहता हूं—" ——किसी दिन एक दिन की प्रश्न सूची में एक ही सदस्य के तारांक लगा कर विभेद किये गये दो से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे। दो से अधिक प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिये जायंगे।" मैं आपसे यह जानना चाहता हूं आप इस पर व्यवस्था दें कि इस एजेन्डे पर नियम होते हुए एक मेम्बर के तीन-तीन प्रश्न कैसे आ गये?

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, यह शिकायत मुझको भी रही है और अध्यक्ष महोदय से भी कहा है कभी-कभी पांच-पांच लिये जाते हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि आप प्रश्न ५ को मुल्तवी कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको देखना पड़ेगा, मैं इस पर जांच करके बता सकूंगा। अब मैं इसको छोड़कर आगे चलता हूं।

श्री गोविन्द सिंह—

यह तो, श्रीमन्, मेरे साथ अन्याय होगा। मेरा आप से निवेदन है। पांचवें प्रश्न को मुल्तवी कर दीजिये। ६ और ७ ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो निर्णय मैं दे चुका।

श्री गोविन्द सिंह—

मेरा आपसे निवेदन है, आपके प्रश्न विभाग में इतनी गड़बड़ी है कि बड़ी मुश्किल से एक प्रश्न आज आ पाया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सुरेन्द्र विक्रम, प्रश्न संख्या ८।

श्री गोविन्द सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लें। व्यवस्था का प्रश्न मैं उठा रहा हूं। मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि अगर आपके सचिवालय से कोई गलती होती है तो क्या आप माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन् करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके अधि कारों का हनन् नहीं सर्जन हुआ है। परसों, नरसों, वह आ जायगा। हम निरस्त नहीं कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कार्य सूची में एक कार्य आ गया तो स्थगित कैसे हो जायगा ? अगर कहीं गलती हो गयी तो गलती को आप पकड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कार्य सूची में आयेगा नहीं तो स्थगित कैसे होगा ?

श्री गोविन्द सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी आप रखेंगे इसी प्राथमिकता में रखेंगे या आप १०२ नम्बर पर रख देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है आपके साथ किसी तरह का...

श्री गोविन्द सिंह—

अन्याय नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अन्याय बड़ा तगड़ा शब्द है। कोई अनौचित्य नहीं होगा।

*५–७—श्री गोविन्द सिंह—

[स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर जिले के परगना खेड़ा बझेड़ा में ओला से क्षति व मालगुजारी तथा सवाई की माफी

*८—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि १० मार्च, १९७० को परगना खडा बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर में भयानक ओला पड़ने से १२७ गांव शत-प्रतिशत प्रभावित हुये थे और जिलाधीश शाहजहांपुर ने रबी का लगान माफ होने के लिये राज्य सरकार से सिफारिश की थी? किन्तु आज तक लगान में माफी और छूट नहीं दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

शाहजहांपुर जिले के परगना खेड़ा—बझेड़ा के १२५ ग्रामों में न कि १२७ गांवों में १० मार्च, १९७० को हुई ओलावृष्टि से ५० प्रतिशत एवं इससे अधिक हानि होने के कारण मालगुजारी की छूट स्वीकृत की जा चुकी है।

*९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि १० मार्च, १९७० को परगना खेड़ा बझेड़ा, शाहजहांपुर में भयानक ओला पड़ने से रबी की फसल शत-प्रतिशत समाप्त होने से गल्ला गोदाम खेड़ा बझेड़ा की वसूलयाबी स्थगित कर दी गई थी और ए० आर० ने सवाई माफ होने के लिये शासन से सिफारिश की? यदि हां, तो अभी तक सवाई माफ क्यों नहीं हुई?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां। १० मार्च, १९७० को परगना खेड़ा बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर में भयानक ओला पड़ने से रबी की अधिकांश फसल (शत-प्रतिशत नहीं) नष्ट हो गई थी। इस कारण से खेड़ा बझेड़ा सहकारी संघ के संचालक मंडल के प्रस्ताव पर सचिव की संस्तुति पर संघ के बीज भंडार को वर्ष १९६९—७० को बीज की सवाई मांग की वसूली अगले वर्ष अर्थात् वर्ष १९७०—७१ के लिये स्थगित कर दी गई थी। सहायक निबन्धक द्वारा सवाई माफ करने के लिये शासन से कोई सिफारिश नहीं की गई थी। यह बीज सहकारी संघ की अपनी पूंजी है और शासन से इस बीज का कोई सम्बन्ध नहीं है।

मथुरा जिले की छाता तहसील में बंजर जंगलों का वितरण

*१०—श्री तेजपाल (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को मालूम है कि मथुरा जिले के ट्रांस जमुना एरिया की तहसील छाता में भीषण गर्मी और शौर से जंगल और बाग लगाया जाना असम्भव हो गया है? कंकड़ (सोडियम कारबोनेट फारमेसन) के बाद जूली फ्लोरा को छोड़ कोई वृक्ष उपेक्षित और परती भूमि में नहीं पनप सका है और इसी कारण से सौ एकड़ से अधिक भूमि वाले भूखन्ड गत २० वर्षों से बिना जंगल लगे वन विभाग के पास पड़े हैं?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह बातें सही नहीं है।

*११—श्री तेजपाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इन बंजर जंगलों (रक्षाओं) को पुनः ग्राम सभाओं को लौटा कर भूमिहीनों को वितरण करने के लिये आफोरेस्टेशन के पुराने आदेश को निरस्त करने की कृपा करेगी?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

चूंकि वन विभाग की भूमि पर वृक्षारोपण किया जा चुका है अतः उसे ग्राम सभाओं को भूमिहीनों को वितरण करने के लिये लौटाने का प्रश्न नहीं उठता।

साधन सहकारी समिति जिला सीतापुर के सरपंच के विरुद्ध गबन का आरोप

*१२—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत किन्हीं साधन सहकारी समितियों के विरुद्ध गबन अपराध के सिलसिले में थाना दरगांव में दिनांक २४ सितम्बर, १९७० को एक रिपोर्ट ब्लाक हरगांव के सहायक विकास अधिकारी ने दर्ज कराया है? यदि हां तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और किसके द्वारा गबन किया गया है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां। दिनांक २४-९-७० को साधन सहकारी समिति, भदेवा, जनपद सीतापुर, के सरपंच श्री राजेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध गबन आरोप के सिलसिले में एक रिपोर्ट सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) ब्लाक हरगांव ने थाना हरगांव में दर्ज कराई थी। यह मामला पुलिस की जांच में है।

श्री रामलाल राही—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रसाद जिनके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट गबन के सम्बन्ध में दर्ज करवायी गयी है उन्होंने गबन कब किया था और किस किस्म का गबन है तथा इनका सम्बन्ध सिंडिकेट दल से है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

किस पार्टी से सम्बन्ध है इसकी जानकारी मुझे है नहीं। यह सरपंच हैं। गबन की रिपोर्ट २४-९-७० को करवायी गयी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य हैं क्या ऐसे प्रश्न करते हैं जिनमें ऐसे सब प्रश्नों में इनका हाथ रहता है, इसकी भी जांच करेंगे? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, आपने घोषणा की है कि सहकारित विभाग में हम सारे गबन की जांच करने के लिए पुलिस का एक विशेष दस्ता कायम करेंगे, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि भारत में सबसे अधिक सहकारी विभाग में गबन उत्तर प्रदेश में है, इस रिपोर्ट को आप पढ़े होंगे। आपकी इस घोषणा से मुझे खुशी है कि आप कोई विशेष पुलिस दल कायम करेंगे? तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप इस पुलिस दस्ते को इस प्रकार के गबन के कार्य को हमेशा के लिये समाप्त करने के लिये अविलम्ब तैनात कर देंगे?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जिस पुलिस के दस्ते का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है उसके सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है और बहुत जल्दी वह पहुंच जायगा और अपना कार्य करने लगेगा।

श्री रामलाल राही—

गबन कितने रुपये का है और किस-किस किस्म का है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

पूरा गबन ३९७ रु० का है जिसमें २२२ रु० ऐसे हैं जिनको बैंक से लाकर जिनको देना था उनको नहीं दिये गये। बकिया रुपया ऐवसूलसा है जो कर लिया गया था लेकिन जमा नहीं किया गया।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या इसकी रपट थाने पर दर्ज कराई गयी ? अगर हां तो किस दफा में कराई गई और उस पर कौन तफ्तीश कर रहा है और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

रपट दफा ४०६/१०६/४३० में दर्ज कराई गयी और थाने की पुलिस उसमें तफ्तीश कर रही है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

व्यवस्था का प्रश्न है । श्री रामलाल राही ने एक प्रश्न पूछा जिसमें कहा कि इसमें सिंडीकेट के लोग शामिल हैं और आपने उसकी इजाजत भी दे दी ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा क्या उनका सम्बन्ध सिंडीकेट कांग्रेस से है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रश्न के अन्तर्गत यहां पर सिन्डीकेट कांग्रेस का नाम लिया गया है जब कि इसके नाम से उत्तर प्रदेश विधान सभा में कोई दल नहीं है बल्कि कांग्रेस संगठन नाम का दल है । तो मैं आपके जरिये से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के आरोप हम यहां पर बैठकर लगावें और भ्रष्टाचार का नृत्य शुरू कर दे तो ठीक है हम भी वैसा ही करना आरम्भ कर दें ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब तो सुन लें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं माननीय कृष्णानन्द जी की राय से सहमत हूं कि प्रश्न करते हुये अथवा किसी विषय की जानकारी हासिल करते हुये किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहिये । इस प्रकार के प्रश्न करना अनुचित है और जो इस प्रकार का प्रश्न किया गया है उसका मुझे खेद है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी यहां पर यह प्रश्न उठा था कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग में बहुत ऊंचे दर्जे का गबन हुआ है और इसका जिक्र करते हुये माननीय बंशीधर पांडेय जी ने पूछा था कि क्या इसकी जांच के लिये कोई दस्ता मुकर्रर किया जा रहा है ? तो उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि वह काम शुरू हो रहा है और जल्दी ही ठीक हो जायेगा तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े जबरदस्त गबन की जांच हेतु जो दस्ता मुकर्रर किया जा रहा है तो इतने ऊंचे दर्जे का कार्य आपने अभी किया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इस दस्ते में पुलिस आफीसर ही तफतीश का काम कर रहे हैं । सरकार ने सीधे नहीं लिये हैं बल्कि पुलिस के ही लोग इसमें आ रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस केस की तफतीश म क्यों लगभग १ साल का समय लगा है इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या आप इसके लिये कोई अवधि निर्धारित कर देंगे ताकि यह मामला जल्दी जांच होकर अदालत में पहुंच जाय ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

वहां के सहायक निबन्धक ने पुलिस के पास लिखकर भेज दिया है कि जल्दी ही इस मामले की तफतीश करके भेज दें। इसे पुलिस के पास और काम भी होते हैं और उनके पास एक साल से पुराने केसेज भी होते हैं। इसीलिये तो दस्ता मुकर्रर किया जा रहा है ताकि यह शीघ्र हो सके।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जो पुलिस का दस्ता जो सहकारी विभाग के अधीन काम करेगा वह कब अपना काम शुरू कर देगा ? और क्या यह केस भी उसी पुलिस दस्ते को नहीं दिया जा सकेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

ऐसे जितने भी केसेज हैं वे सभी इसके सुपुर्द हो जायेंगे। तारीख तो मैं नहीं बता सकता। किन्तु यह अपना काम जल्दी ही शुरू कर देगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या यह सही है कि जिस ए० आर० ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है उसका स्थानान्तरण सरकार ने कर दिया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

ए० आर० ने तो रिपोर्ट दर्ज कराई नहीं है। रिपोर्ट ए० डी० ओ० ने दर्ज कराई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो पुलिस का दस्ता होगा वह उनके मातहत होगा ? और क्या प्रदेश के हर मंडल के लिये एक ही दस्ता होगा या अलग-अलग दस्ते होंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इसके कागजात हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जितनी जानकारी है वह यह कि एक एस० पी० रहेंगे हैडक्वार्टर में, उनके साथ एक डी० एस० पी० और कुछ एक प्रासीक्यूटिंग इंसपेक्टर हैं और कुछ वैसे इंसपेक्टर और सब-इंसपेक्टर रहेंगे। हमारे १० डिवीजन के हैडक्वार्टर हैं वहां पर एक डी० एस० पी० और उनके साथ एक प्रासीक्यूटिंग इसपेक्टर और एक वैसे इंसपेक्टर और जैसा काम होगा डिवीजन का उसके हिसाब से सब-इंसपेक्टर रहेंगे। इस तरह से ११ हुए और हर एक के साथ में एक कोआपरेटिव का आदमी रहेगा।

जला सुधार अधिकारी तथा अधीक्षक राजकीय अनुमोदित विद्यालय मुरादाबद के विरुद्ध शिकायतें

*१३—श्री नौनीहाल सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, फरवरी, १९७० में श्री एम०पी० सिन्हा, जिला सुधार अधिकारी, मुरादाबाद के विरुद्ध कुछ अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थी और श्री गोपीचन्द्र सहायक निर्देशक, हरिजन समाज कल्याण ने उनकी जांच की थी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में श्री एन० पी० सिन्हा (प्रश्नगत अधिकारी का सही नाम) के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायतें नहीं प्राप्त हुई जिनकी जांच श्री गोपी चन्द ने की हो ।

*१४--श्री नौनिहाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वह शिकायतें क्या थीं और जांच के बाद क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ? क्या यह भी सही है कि जिला सुधार अधिकारी तथा आधीक्षक, राजकीय अनुमोदित विद्यालय मुरादाबाद के विरुद्ध जिला अधिकारी मुरादाबाद ने भी समाज कल्याण विभाग को कोई रिपोर्ट भेजी है, परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

प्रथम अंश :--उपरिलिखित उत्तर के प्रकाश में यह प्रश्न नहीं उठता ।

द्वितीय अंश :--जी नहीं ।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि एक अन्य मामले में अगस्त, १९७० में जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने राजकीय अनुमोदित विद्यालय, मुरादाबाद के अधीक्षक एवं सुधार अधिकारी के प्रति यह रिपोर्ट दी थी कि अधीक्षक, राजकीय अनुमोदित विद्यालय, एवं सुधार अधिकारी एक दूसरे का छिद्रान्वेषण करते हैं और छोटी-छोटी बातों को भी जिलाधिकारी के पास भेजकर उनका समय नष्ट करते हैं । इस समस्या के निराकरण के लिये जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी सुझाव दिया था कि अधीक्षक, राजकीय अनुमोदित विद्यालय, मुरादाबाद को आहरण एवं वितरण के अधिकार प्रदत्त कर दिये जांय । तदनुसार निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण की संस्तुति भी प्राप्त हुई, जिस पर शासन द्वारा दिनांक १६ नवम्बर, १९७० की राजाज्ञा के अन्तर्गत अधीक्षक, राजकीय अनुमोदित विद्यालय, मुरादाबाद को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित कर दिया गया था ।

इस बीच श्री एन० पी० सिन्हा का मुरादाबाद से स्थानान्तरण भी किया जा चुका है ।

तहसील कुण्डा तथा परगना मानिकपुर, प्रतापगढ़ में वर्षा से क्षति तथा मकानों की मरम्मत हेतु दी गई सहायता

*१५--श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा में सितम्बर, सन् १९७० की अतिवृष्टि तथा बाढ़ के फलस्वरूप शासन ने गिरे हुए मकानों के जो सूची तैयार करायी थी, उसके आधार पर सबको सहायता दे दी गई है ! यदि नहीं, तो कितने व्यक्तियों को अभी तक अनुदान दिया गया है ?

श्री जलील अब्बासी--

सितम्बर १९७० में हुई अतिवृष्टि से प्रतापगढ़ जिले की कुण्डा तहसील में २५,४६५ मकान क्षतिग्रस्त हुये थे जिनम से ज्यादा क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिये १६,८३० व्यक्तियों को गृह निर्माण अनुदान दिया जा चुका है ।

*१६--श्री जयराम यादव--

क्या माल मन्त्री को जानकारी है कि परगना मानिकपुर, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ के अधिकांश गांवों में गिरे मकानों की मरम्मत हेतु कोई अनुदान अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो वे कौन से गांव हैं ?

श्री जलील अब्बासी--

प्रतापगढ़ जिले की कुण्डा तहसील के परगना मानिकपुर के ११९ ग्रामों से अधिक प्रभावित ९३ गांवों में अनुदान दिया जा चुका है । शेष २६ गांवों की सूची संलग्न है । (परिशिष्ट-१)

(देखिये नत्थी 'ख' आग पृष्ठ३ १२४५ पर)

श्री जयराम यादव—

उत्तर में बतलाया गया कि २५,४६५ के मकान गिरे और १६,८३० रु० की सहायदा दी गयी है। इस प्रकार ८,६३५ को सहायता नहीं दी गयी है तो जिनको नहीं दी गयी है उसके क्या कारण हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

दूसका कारण यह है कि अधिकारीगण कुछ व्यस्त थे और कुछ उनकी लापरवाही हुई।

श्री जयराम यादव—

इन लोगों को अब अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे ?]

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां, व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह एक दो प्रतापगढ़ का निश्चित सवाल था, क्या इसी के साथ उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में जहां पर कि बाढ़ से क्षति हुई है उनको इसी अनुपात से आप सब जिलों में सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, हमने सहायता, जो क्षति हुई है, उसके अनुपात से ही दी है।

श्री जयराम यादव—

प्रश्न १६ में देखें, जो २६ गांव दो नदी के पास हैं इनके सारे मकान गिरे हैं, तो क्या इनपर सहायता देने के लिये कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जो सहायता वापस आयी थी वह फिर से भे दी है और जिसकी जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार की सहायता दी जायगी।

श्री मैनेजर सिंह—

जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे क्योंकि सहायता पूरी नहीं बांटी गयी और नहीं दी जा सकी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

हमने उनसे जवाब तलब कर रखा है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

यह प्रतापगढ़ का मामला है। मैं चाहता हूं कि और जिलों का भी थोड़ा सा आप सुन लें। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जहां-जहां इस तरह की सहायता बांटने के लिये रुपया भेजा था, बहुत से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने उसको वापस कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस रुपये को फिर से उन जिलों में बांटने के लिये भेज दिया जायगा

उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।

नोट:—तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गोरखपुर कलक्ट्रेट के कर्मचारियों का निलम्बन

*१७—श्री राम करन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १७९१ से ३० अप्रैल, १९७१ तक गोरखपुर जिले में कल्क्ट्रेट के कौन-कौन अराजपत्रित कर्मचारी किन-किन आरोपों में निलम्बित तथा सेवा मुक्त किये गये हैं ? तथा उपरोक्त अवधि में ही कितने अराजपत्रित कर्मचारियों को आकस्मिक या अर्जित छुट्टियां लेने पर उनकी छुट्टियां अवैतनिक कर दी गई हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

उक्त अवधि में केवल एक अराजपत्रित कर्मचारी श्री नुरुल हसन को निलम्बित तथा नौकरी से सेवा मुक्त किया गया । इनके विरुद्ध भूमि भवन कर कार्यालय से कागजातों को गायब करने, उपलब्ध का जातों र अनाधिकृत काट-छांट करने, अपने चार्ज से सरकारी कागजातों को अपने प्रतिस्थानी को न देने और कर निर्धरक सूची में जालसाजी करने आदि के आरोप थे । केवल एक कर्मचारी के अर्जित अवकाश को अवैतनिक किया गया ।

*१८—श्री राम पाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

तहसील टांडा, फैजाबाद में दाखिल खारिज के मुकदमों में देरी

*१९—श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के तहसील टांडा के हाकिम परगना के न्यायालय में कितने दाखिल–खारिज के मुकदमें १ मई, १९७१ तक विचाराधीन थे तथा अब तक फैसला क्यों नहीं किया गया ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जिला फैजाबाद की तहसील टांडा के हाकिम परगान के न्यायालय में १–५–७१ को दाखिल खारिज के १२१ मुकदमें विचाराधीन थे जिनमें से केवल १४ तीन महीने से पुराने थे । मुकदमों के निर्णय में विलम्ब परगनाधिकारी के अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने तथा मुकदमों के फैसले के लिये परिपक्व न होने के कारण हुआ ।

ग्राम नरियांव तथा हवेली परगना, बस्ती में भूमि का वितरण

*२०—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम नरियांव तथा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती में कुल कितनी जमीन गांव समाज की है ? उसमें से कितनी जमी भूमिहीन हरिजनों को दी गई और कितनी जमीन अन्य लोगों को दी गई इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

गांव सभा नरियांव तथा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील बस्ती में गांव सभा में निहित २८९ बीघा १२ बिस्वा और ९ धुर भूमि में से सुरक्षित भूमि व आबादी आदि के भूमि को छोड़ने के बाद १३० बीघा १८ बिस्वा १० धुर भूमि ग्राम सभा द्वारा पट्टे पर उठाई गई । उक्त पट्टे पर उठाई गई भूमि में से ७५ बीघा १० बिस्वा भूमि ३८ हरिजनों को तथा शेष ५५ बीघा ८ बिस्वा १० धुर भूमि ३६ अन्य निम्नलिखित श्रेणी के लोगों को सीरदारी पट्टे पर दी गई —

राजनीतिक पीड़ित	१
भूमिहीन खेतिहर मजदूर/छोटे काश्तकार जिनकी भूमि एल०आर० पी० रोड में अर्जित की गई	१२
अन्य भूमिहीन तथा छोटे काश्तकार	२३

प्रोवेशन योजना के अन्तर्गत अधिकारियों का कार्य

*२१—श्री राम लाल राही—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९६८ में शासन ने प्रोवेशन विभाग की जिला शाखाओं को समाप्त करने के लिये विभागीय कर्मचारियों को सरप्लस घोषित कर दिया था फिर भी राजपत्रित अधिकारी कार्य कर रहे हैं और लिपिकों को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सन् १९६८ में शासन द्वारा प्रश्न में उल्लिखित आदेश जारी नहीं किये गये थे ।

२—वस्तुस्थिति यह है कि शासन द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिकोण से राजाज्ञा दिनांक ११ दिसम्बर, १९ ७ के अन्तर्गत प्रोबेशन अधिकारियों के ६४ पद, लिपिकों के ४३ पद तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ७६ पद अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित कर दिये गये थे । इसके परिणाम स्वरूप १३ प्रोबेशन अधिकारियों, ३२ लिपिकों तथा ८ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्यत्र संविलयन कर लिया गया था । इसी बीच उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये जुलाई, १९६८ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उस समय काय करने वाले अधिकारियों को अपने पदों पर जारी रहने दिया जाय किन्तु कोई नया व्यय या नई नियुक्तियां न की जाय । इस निर्णय के अनुसार इस समय प्रोबेशन संगठन में (३० जून, १९७१ को) ३९ प्रोबेशन अधिकारी, १७ लिपिक तथा ५५ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

*२२—श्री राम लाल राही—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश भर में कार्य करने वाले प्रोबेशन अधिकारी बिना लिपिकों के आफिस का कार्य किस प्रकार चलाते हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इस समय प्रोबेशन योजना प्रदेश के ३२ जिलों में चलाई जा रही है जिनमें से ११ जिलों में प्रोबेशन का कार्य करने के लिये लिपिकों की व्यवस्था है । शेष २१ जिलों में स्थानीय सुधार अधिकारियों/जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों के एक-एक लिपिक को आंशिक रूप से प्रोबेशन का कार्य करने की अंतरिम व्यवस्था कर दी गई है ।

*२३—श्री मुन्शी लाल चमार—

[३रे गुरुवार के ता० प्र० सं० ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर जिले के डेरापुर तहसील में टोगियां पद्धति के अनुसार भूमि-वितरण

*२४—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत २० गांवों में लगभग ८,००० एकड़ वन विभाग को १८ वर्ष से खाली एवं बेकार पड़ी भूमि के सम्बन्ध में वन मन्त्री की ओर से १९७० में आदेश जारी किया गया था कि उक्त भूमि में स्थानीय भूमिहीनों से टोगियां पद्धति से वृक्षारोपण कराया जाय ? यदि हां, तो अब तक टोगियां पद्धति से भूमिहीनों को कितनी भूमि के पट्टे किये गये ? क्या यह सही है कि अभी तक टोगियां पद्धति के अनुसार वृक्षारोपण को कोई भूमि नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और उक्त भूमि टोगियां पद्धति पर कब तक दे दी जायेगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२५—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२६—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह—

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के सुपर मार्केट तथा होल सेल कंज्यूमर्स स्टोर्स पर लगी धनराशि का ब्योरा

*२७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने सुपर मार्केट (नये बाजार) कब से स्थापित हैं प्रत्येक में सरकार की कुल कितनी धनराशि लगी है तथा पिछले तीन वर्षों का अलग-अलग लाभ और हानि का ब्योरा क्या है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

वांछित सूचना परिशिष्ट (१) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२४६ पर)

*२८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री जिले के होलसेल कंज्यूमर स्टोर्स के बारे में भी उपरोक्त सूचना ब्योरेवार देने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वांछित सूचना ब्योरेवार परिशिष्ट (२) में इंगित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२४६ पर)

शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण की योजना

*२९—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़), श्री धर्मवीर सिंह, श्री इन्द्रमणि, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने से सम्बन्धित कोई मसविदा केन्द्रीय शासन से उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब और वह मसविदा क्या है ? क्या सरकार उक्त मसविदा की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां। भारत सरकार से शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के लिये प्रस्तावित विधेयक का एक आलेख्य जुलाई, १९७० में राज्य सरकार का विचार ज्ञात करने हेतु प्राप्त हुआ था। बिना भारत सरकार की अनुमति के इस आलेख्य को सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

*३०—श्री कल्याण सिंह, श्री धर्मवीर सिंह, श्री इन्द्रमणि, श्री सुरेन्द्र विक्रम, तथा श्री बसन्तलाल शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश शासन ने केन्द्र के उपरोक्त मसविदे के उत्तर में क्या लिखा है ? क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश शासन ने इस मामले के अध्ययन के लिये कोई समिति गठित की थी ? यदि हां, तो कब और उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा क्या समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, यदि नहीं, तो क्यों ? यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, तो उक्त सरकार उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

भारत सरकार से प्राप्त विधेयक के आलेख्य में क्या लिखा है, यह बताना जनहित में नहीं है। भारत सरकार से आलेख्य प्राप्त होने पर तत्कालीन मंत्रि-परिषद् ने इस प्रश्न के अध्ययन के लिये एक उप समिति गठित की थी जिसमें ६ मंत्रिगण थे पर यह उप समिति अभी अपना कार्य समाप्त नहीं कर पायी और इसके पूर्व ही मंत्रि-परिषद् भंग हो गया। उक्त उप समिति ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। अतः उसके सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खंड बेलघाट और गोलाबाजार में हरिजनों को हैन्ड पाइप लगाने की सहायता

*३१—श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि १९६९–७० में जिला गोरखपुर के विकास खंड देलघाट और गोलाबाजार के हरिजनों को पानी पीने के लिये गांधी सदी मद से हैण्डपम्प लगाने को रुपये दिये गये थे?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित "गांधी सदी मद" का आशय स्पष्ट नहीं है।

वर्ष १९६८–६९ में हरिजन सहायक विभाग की पेय जल कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत गांधी शताब्दी वर्ष के उपलब्ध में अतिरिक्त प्राविधान किया गया था, जिसमें से विकास खण्ड बेलघाट व गोलाबाजार को कूप निर्माण हेतु २,००० रुपया दिया गया था। १९६९–७० में उन्हीं कुओं की पूर्ति हेतु २,००० रु० और दिया गया।

*३२–३३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

कानपुर जिले के तहसीलदारों का स्थानान्तरण

*३४—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या यह सत्य है कि माह सितम्बर, १९७० में सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा कानपुर जनपद के तहसीलदारों को अविलम्ब कानपुर जिले से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश आयुक्त इलाहाबाद मण्डल को दिये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का पालन आज तक सम्बन्धित तहसीलदारों से न कराये जाने के क्या कारण हैं?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां। दिसम्बर, १९७० में राजस्व परिषद् द्वारा कानपुर जनपद के दो तहसीलदारों को किसी दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को आदेश दिये गये थे। बाद में परिषद् ने उक्त दो में से एक तहसीलदार का जिले के बाहर स्थानान्तरण रोक दिया था क्योंकि उनका स्थानान्तरण कानपुर जिले की दूसरी तहसील में हो गया और कानपुर जिले में इन्हें ३ साल नहीं हुये थे। दूसरे तहसीलदार का कानपुर से बाहर स्थानान्तरण हो गया है और वह कानपुर से जा भी चुके हैं।

*३५—श्री श्रीकृष्ण बाजपेई, श्री महावीर सिंह चौहान, श्री मंजूर अहमद, श्री उमा शंकर शुक्ला तथा श्री मनोहर लाल—

[३रे सोमवार के तारांकित प्रश्न सं० ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बंगला देश के विस्थापितों पर प्रदेश का व्यय

*३६—श्री कल्पनाथ सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री कृष्णानन्द राय, श्री मैनेजर सिंह तथा श्री बंशीधर पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बंगला देश के विस्थापितों को उत्तर प्रदेश में बसाने के लिये कोई आदेश केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कितने विस्थापित ३१ मई, १९७१ तक उत्तर प्रदेश में बसाये गये और उन पर कितना पैसा सरकार का खर्च हुआ है और ये विस्थापित कहां-कहां बसाये गये हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इलाहाबाद जिले के इरादतगंज में केन्द्र द्वारा परिचालित शिविर में अस्थायी रूप से बसाने का आदेश प्राप्त हुआ है। ३१-५-१९७१ तक कोई भी बंगला देश के विस्थापितों को उत्तर प्रदेश में नहीं बसाया गया। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*३७-३८—श्री इन्द्र लाल—

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

कुमायूं के भूमि हीनों को जमीन आवंटन

*३९—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि कुमायूं के भूमिहीनों के लिये नैनीताल जिले के अन्दर जमीन आबंटित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्या कुमायूं में भूमिहीनों को किसी प्रकार की जमीन आबंटन करने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री उदितनारायण शर्मा—

नैनीताल जिले के तराई भावर सरकारी अस्थान की कृषि योग्य रिक्त भूमि को केवल कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल के निवासी भूमिहीनों को ही दिये जाने के शासकीय आदेश २७ अक्टूबर २, १९६७ को जारी किये गये थे पर इस क्षेत्र में लगभग समस्त रिक्त भूमि अनधिकृत कब्जे में है। ऐसे काबिज व्यक्तियों को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। अनधिकृत कब्जा हटाने के बाद ही इस भूमि का आवंटन पहाड़ी जिलों के भूमिहीनों को किया जा सकेगा।

जिला उन्नाव में वर्षा से रबी की फसल को क्षति

*४०—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में अप्रैल, मई, जून, १९७१ की वर्षा से रबी की फसल की मड़ाई न होने से कितनी हानि हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उन किसानों को कोई सहायता देने पर विचार कर रही है?

श्री उदितनारायण शर्मा—

खलिहान में रबी की फसल को ५० से ६० प्रतिशत तक हानि हुई।

जी हां, सहायता देने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं।

अलीगढ़ जिले में जमीन देने का लालच देकर नसबन्दी करना

*४१—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ मार्च, १९७० से २८ फरवरी, १९७१ तक की अवधि में अलीगढ़ जिले में स्थित सभी नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों व कलेक्टर के पास

कितने व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र इस शिकायत के पहुंचे हैं कि ग्राम की जमीन देने का लालच देकर उनकी नसबन्दी कर दी गई और बाद में उन्हें जमीन नहीं दी गयी ? इन प्रार्थना-पत्रों पर राजस्व विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

इस प्रकार के कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

सवा ६ एकड़ भूमि पर लगान कमी के कारण कलेक्शन स्टाफ की छंटनी

*४२--श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विगत संयुक्त विधायक दल की सरकार द्वारा सवा ६ एकड़ भूमि पर लगान कम कर देने के परिणाम स्वरूप प्रदेश में कुछ कलेक्शन स्टाफ कम किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें सरकार अन्यत्र सेवारत करने की योजना बना रही है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

प्रदेश में ६ १/४ एकड़ तक जोतों पर मालगुजारी में छूट के फलस्वरूप १७२७ अमीन ३४५४ चपरासी, २८७ सहायक वासिल बाकी नवीस तथा १७२ नायब तहसीलदार के पदों के, फालतू होने का अनुमान लगाया गया था। किन्तु अब विविध देय बढ़ जाने की वजह से तथा ६ १/४ एकड़ तक जोतों से संबंधित नक्शों के बनाने में कुछ अमीनों को लगाने से कोई विशेष छटनी नहीं होगी। फिर भी कुसमय वर्षा तथा बाढ़ के परिणामस्वरूप वसूली स्थगित कर दिये जाने के कारण कुछ स्टाफ फालतू होने का अनुमान है जिसकी सूचना जिलों से एकत्र की जा रही है। स्थायी स्टाफ की छटनी की सम्भावना नहीं है इसलिये किसी अन्य काम में खपाने का अभी प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा नाम आपने पुकारा था ?

श्री उपाध्यक्ष--

सभी सदस्य उतना नहीं सोचते कि जितना उनको सोचना चाहिये कि अन्तिम आधी मिनट का भी सदुपयोग किया जा सके। मैं तो चाहता था कि आपके सवाल का जवाब हो जाता।

श्री राम करन सिंह--

आपने मेरा नाम पुकारा और माननीय राजस्व मंत्री जी को उसका जवाब देने के लिये भी बुला लिया। उसके बाद आपने दो माननीय सदस्यों को, उस सवाल को छोड़कर अलग से प्रश्न करने की आज्ञा दे दी।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको अनुमति नहीं दी लेकिन मैं किसी का मुंह बन्द नहीं कर सकता। क्या खोंच लगा दूं ? मेरे मना करने पर लोग बोल जाते हैं।

श्री राम करन सिंह--

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का जो राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया है, वह बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी अनुमति नहीं देता। जो आप दूसरे से अपेक्षा करते थे, उसके विरुद्ध आप कर रहे हैं। जो कुछ आपको कहना है, आप लिख कर दे दीजिये। उसके बारे में विचार कर लिया जायगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों का गल्ला सड़ने तथा छितौनी बांध के लिये धन न दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं और उसके विषय में मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। हम लोगों को विश्वस्त सूत्र से समाचार मिला है कि प्रदेश में जो अतिवृष्टि के कारण किसानों का गल्ला सड़ गया था उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्र से पैंसठ करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया। इसी प्रकार से छितौनी बांध के लिये ५० करोड़ रुपया मांगा गया था, उसमें भी केन्द्रीय सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया। यहां तक कि कोई ग्रामीण लेबर योजना चलाई गयी थी। यह केन्द्रीय सरकार की १२ लाख रुपया की स्कीम थी। हर जिले में उसके बारे में सूचना भी भेज दी गयी थी। उसमें कुछ अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी। केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को वह रुपया भी देने से इन्कार कर दिया है। नियमों के अन्तर्गत तो आप केन्द्रीय सरकार के बारे में कोई बात लाने के लिये आप इन्कार कर देते हैं। बुध को मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि माननीय वित्त मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से बात करने के लिये जा रहे हैं तो क्या उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई स्टेटमेंट देने के लिये कहेंगे। कौन-कौन सी चीजों के लिये मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र से रुपया मांगा था और कितना रुपया उनको मिला। ताकि उसके प्रकाश में हम बजट के ऊपर बहस कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर दे दीजिये, मैं उनको कह दूंगा यह आपके ऊपर है कि आप किन नियमों के अन्तर्गत उसे देते हैं ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो सके।

आज सरकारी दिवस है तथा कई संकल्पों पर आपको विचार विमर्श करना है। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा समय न लें, संक्षेप में इशारा करें।

मैं यह भी बता दूं कि नियम ५६ तथा ५७ की सूचनाओं के बारे में अब आपके पास लिख कर भेज दिया जाया करेगा। अगर स्वीकार कर लिया गया, तब तो कोई बात ही नहीं है लेकिन अगर अस्वीकार हो गया तो उसकी सूचना आपको भेज दी जायगी।

श्री कृष्णानन्द राय---

आपके कहने के अनुसार केन्द्रीय सरकार के इस रववैये के खिलाफ अगर मैं नियम ५६ या ५२ में देता हूं तो क्या आप उसको स्वीकार कर लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

अगर नियमानुसार होगा तो जरूर स्वीकार करेंगे। वह तो जब आयेगा तब देखेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय---

इस बिना पर कि यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है आप उसको अस्वीकार तो नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

केन्द्रीय सरकार से ही नहीं विश्व सरकारों से भी संबंधित कोई प्रश्न अगर माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं तो मैं उनको उठाने के रास्ते में हायल नहीं होऊंगा।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री उमादत्त शर्मा के विरुद्ध कथित रिश्वत लेने का आरोप

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मैं आपकी आज्ञा से पुनः एक महत्वपूर्ण एवं दुखद सूचना आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। उनकी सरकार के राज्य मंत्री श्री उमादत्त शर्मा जी जिनकी बाबत एक लाख रुपये की रिश्वत लेने का मामला मैंने आपके रूबरू उठाया था वह ८ तारीख को इसी महीने की धनौरा टाउन एरिया, जिला मुरादाबाद में गये थे। वहां एक मीटिंग में १ हजार रुपया श्री राधे लाल जी, चेयरमैन, टाउन एरिया ने उनको भेंट किये। मुझे यह पता चला है कि चार व्यापारियों के, किसानों के साथ बेईमानी करने में, लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे तो उनके लाइसेंस बहाल कराने के लिये यह १ हजार रुपया दिया गया था। लेकिन यह रकम न तो उन्होंने नागरिक परिषद् के कोष में जमा करने के लिये दी और न कांग्रेस के कोष में जमा करने के लिये दी, बल्कि परसों एक भूतपूर्व एम० एल० ए० मुरादाबाद ने जब उनसे पूछा कि यह रुपया कहां जमा किया है तो उन्होंने बताया कि वह कहीं नहीं जमा किया, वह तो मुझे निजी रुपया मिला है। तो मैं यह नहीं समझ सका कि मंत्री निजी पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, यह इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन को कहां पहुंचा कर रखेगा। कल मैंने मुख्य मंत्री जी से आपके रूबरू एक राज्य मंत्री के सिलसिले में चर्चा की थी। वह व्यक्ति आज भी यहां मौजूद है और मैंने आपके जरिये से मुख्य मंत्री से यह प्रार्थना की थी कि उस व्यक्ति को बुला कर अपना सन्तोष करें कि कहां तक वह बात सही है और कहां तक गलत है। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मंत्री लोग जिन्हें भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए वही स्वयं ढील देते हैं कि रिश्वत देकर काम कराने की सलाह देते हैं तो कैसे लोगों का काम हो सकेगा। इस प्रदेश में अनपढ़ आदमी ज्यादातर रहते हैं। ये अनपढ़ आदमी यहां पर आते हैं अपनी कठिनाई को रखने के लिये। अगर मंत्री लोग ही ऐसा करेंगे तो प्रदेश का कैसे कल्याण होगा?

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय वीरेन्द्र वर्मा से पूछना चाहता हूं (व्यवधान) कि चीनी मिल राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में संविद सरकार के समय में एक कमेटी बनी थी तो पृथ्वीनाथ सेठ को ५० लाख रुपये दिये गये थे चीनी मिलों की तरफ से, वह रुपया कहां जमा किया गया?

श्री उपाध्यक्ष---

अगर ऐसा गम्भीर आरोप किसी सरकारी मेम्बर पर लगाया जाता है तो यह उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह उसके बारे में अपनी सफाई दे। माननीय उमादत्त शर्मा के खिलाफ कई दिनों से यह सवाल आ रहा है और २६ तारीख के लिये यह सवाल सरकार को भेजा गया है। इसका जवाब आना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, यह इस तरह से ऐसे प्रश्न को उठा देना मैं समझता हूं कुछ उचित नहीं होता है। हमारे माननीय वर्मा जी ने कह दिया कि कोई आदमी आया हुआ है जिसने कह दिया कि हमारे किसी मंत्री ने ऐसा कह दिया और उसी पर प्रश्न उठा दिया गया और कहा गया कि मंत्री लोग ऐसा करेंगे तो प्रदेश का भविष्य कहां जायगा, यह जरा कोई उचित बात नहीं है। वह मंत्री यहां मौजूद हैं मैं नहीं समझता कि कोई मंत्री कैसे कह देगा कि दे लेकर अपना काम

करा लो। सदन में इस तरह से प्रश्न उठाने के यही माने होते हैं कि समाचारपत्रों में कोई चीज छप जाय जब कि उसका कोई आधार न हो। एक व्यक्ति के खिलाफ किसी ने कह दिया और इस तरह से उस चीज को सदन में आना यह प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिये, इससे खामखाह सदन का वातावरण बिगड़ेगा और उसके काम में दिक्कत होगी। यदि इस तरह की बात कुछ हो भी तो वह तरीके से उठाई जा सकती है और सदन को उससे अवगत भी कराया जा सकता है। आज उन्होंने एक मंत्री के विषय में कहा और कल राज्य मंत्री उद्योग के बारे में भी कहा था वह इस वक्त मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनकी बात सुनने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में मैं इतना कहूंगा कि जब तक कि श्री उमादत्त शर्मा इस बारे में अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तब तक यह प्रश्न अखबार में नहीं छपेगा। अब चूंकि विभव जी के बारे में कहा गया था इसलिये उनको मैं स्पष्टीकरण के लिये समय देता हूं।

उद्योग राज्य मन्त्री, श्री देवकी नन्दन विभव द्वारा बिजली का कनेक्शन दिलवाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

*उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)--

माननीय उपाध्यक्ष होदय, कल जब कि मैं विधान परिषद् में गया हुआ था और यहां उपस्थित नहीं था तब माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने कुछ मेरे सम्बन्ध में यहां कहा। मुझे यह आश्चर्य हुआ, न बिजली का विभाग मेरे पास है और न उस बिजनौर के व्यक्ति से मेरा कोई सम्बन्ध ही है और न मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो बिजली का कनेक्शन दिलाने आया हो। मैं कहूंगा कि इस तरह की हल्की फुल्की बातों का मैं नितान्त विरोधी हूं और यह चीज बिल्कुल निराधार है, कोई व्यक्ति भी इस तरह के कनेक्शन के लिये मेरे पास नहीं आया और न वह मेरा कार्य ही है।

एक बात मैं और कहूंगा कि माननीय वर्मा जी इधर भी रह चुके हैं और वह इन बेंचों पर भी बैठे हैं और शायद उन की निगाह अब भी इन बेंचों पर है लेकिन मेहरबानी करके ऐसी परम्परा और परिपाटी इस प्रदेश में न डालिये। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यदि वर्मा जी ने कहा तो कहा लेकिन त्रिपाठी जी जैसे गम्भीर व्यक्ति भी उनकी इस सूचना पर कुछ बात अपनी लगा दिये। लेकिन अगर वर्मा जी जरा भी, इसका किंचित् भी प्राइमा-फेसी केस भी रख सकें तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं यहां से स्तीफा दे दूंगा लेकिन यदि वर्मा जी का यही चलन है कि इस तरह से प्रदेश में गन्दगी फैल ई जा ी मैं उनसे कहूंगा कि ऐसी नीतियों से आप बचिये इस से प्रदेश की कोई उन्नति या आगे बढ़ने वाली चीज नहीं होने वाली है। आप से जो किसी एक आदमी ने कह दिया, क्या आपने उस सम्बन्ध में मुझसे भी कुछ पूछा, क्या आपने इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि यह बात सही भी है या नहीं? अगर ऐसी हल्की फुल्की चीजों को लाकर सदन में उठाते हैं तो यह किस परिपाटी को आप जन्म दे रहे हैं, यह चीज किसी दिन आपके गले में भी पड़ सकती है और आपके लिये भी फन्दे का काम देगी।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर बहस नहीं हो गी।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

मैं इस बात के लिये तैयार हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी जिस समय चाहें श्री देवकी नन्दन विभव की मौजूदगी में उस व्यक्ति से जो कि यहां उपस्थित हैं, आपने सामने बात करा लें । आज ही मैं उसके लिये तैयार हूं . . .

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, एक मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता था कि मैंने यह नहीं कहा कि विभव जी ने ऐसा किया है लेकिन आज भी मेरी ऐसी धारणा है कि चूंकि मंत्रियों का नीचे के लोगों पर कंट्रोल नहीं है, अपने अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है और आम तौर पर लोग ऐसी बात करते हैं कि वे ऐसी बात कहते हैं कि कुछ दे लकर अपना काम करा लो । वरना इस प्रकार से हफ्ते भर में जो काम होना होगा उसमें महीनों बीत जायेगा । और आज भी मैं कहता हूं कि आपका अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है । मुझसे ही कुछ लोगों ने कहा कि मंत्री होकर जो काम आप नहीं करा सके उसको मैंने नीचे से करा लिया । तो मैं क्या करूं ?

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, जो त्रिपाठी जी ने अभी निवेदन किया है, इस गवर्नमेंट को बने हुए केवल ३ महीने ही हुये हैं । ६-७ महीने तक वे भी यहां रह चुके हैं और उसके पहले भी और गवर्नमेंट रह चुकी है । तो आप तो कहते हैं कि कई अधिकारी ऐसा कहते हैं, तो यह कोई नयी बात नहीं है जो इन तीन महीने के भीतर ही पैदा हो गयी है । चाहे हम इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, आप भी इधर बैठे हैं और उधर भी बैठे हैं और सभी इस बात को जानते हैं कि बहुत दिनों से कुछ लोग इस तरह की बातें कहते सुनते हैं और आकर बतलाते हैं और यह बात जानता हूं कि जो माननीय वर्मा जी ने कहा कि कोई आदमी उनके सामने कर देंगे—सदन में इसके पूर्व भी वे मुझसे मिलते रहे हैं और कहते भी रहते हैं, अगर सारी बातों को मेरे सामने रख दिये होते तो विभव जी को बुलाकर सामने बात हो गयी होती तो इस प्रकार की दुखद स्थिति न उत्पन्न होती जिस स्थिति से हमारे सदन की प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ती और वह स्थिति दूर हो जाती । तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात सुनने में आवे तो केवल किसी के कह देने से कि उसने ऐसा कहा-किसी व्यक्ति के सारे जीवन के कार्य को किन्हीं राजनीतिक दृष्टि से नष्ट करने की परम्परा हमारे देश में चलेगी और इस तरह की की कोई चीज हो तो मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिये और यह अनुचित बात होगी ।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा सिंचाई मंत्री को पुकारने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, अभी माननीय वीरेंद्र वर्मा का एक कथन और विभव जी का दूसरा कथन इस सम्मानित सदन के सामने आया है । दोनों कथन एक ही साथ सही नहीं हो सकते हैं । गलतबयानी के लिये हमारे यहां के नियमों में सजा दी गयी है । तो मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई गलतबयानी इधर से या उधर से होती है तो आपका कथन है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है ? इस पर किसी दिन जाब्ते से बहस हो जाय अगर आप चाहते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । लेकिन यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है । हमारे यहां बोलने की आजादी है । अब आप उस बोलने की आजादी का चाहे दुरुपयोग कीजिये या सदुपयोग कीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आप सही फरमा रहे हैं कि यहां पर बोलने की पूरी आजादी दी गयी है लेकिन नियमों में ऐसा है कि इस आजादी में थोड़ा प्रतिबन्ध लगा हुआ है । जैसे संगत या असंगत प्रश्न होने पर इजाजत देने की बात है । यह प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि जो भी यहां बोलेगा अपनी जानकारी के आधार पर सही समझ कर और यह विश्वास करके कि वह सही बोल रहा है, बोलेगा । अगर जान बूझ कर वह गलतबयानी कर रहा है तो फिर निश्चित रूप से वह विशेषाधिकार में हो जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको आप लिख कर हमें देंगे दो उस पर हम जरूर सोचेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा । . . .

श्री उपाध्यक्ष--

स्पष्टीकरण कराने का प्रश्न नहीं है । व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अव्यवस्था हो, यह मुनासिब नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक लाइन नहीं १०० लाइन कहें, लेकिन अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अव्यवस्था होती है तो ठीक नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से शत प्रतिशत सहमत हूं कि किसी को चरित्र हनन मिथ्या आरोप करने की छूट नहीं होना चाहिये इसके पहले कि वे इसके बारे में कुछ बोलें, इसकी पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिये । लेकिन अगर कुछ चीजें जो हमारे पास आती हैं, उन्हें हम माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज देते हैं और उनके उत्तर की इन्तजार में रहते हैं और अगर उनका उत्तर न मिले तो उस दिशा में क्या करें, सदन में बोला करें या न बोला करें ।

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं कई बार खड़ा हुआ हूं परन्तु आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । अगर आप अपनी आजादी को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से अव्यवस्था पैदा न करें ?

श्री राम कुंवर सिंह--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि मैं ४ बार खड़ा हो चुका हूं पर आपने मुझे बोलने की आज्ञा नहीं दी । . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आपका व्यवस्था का प्रश्न अव्यवस्था है तो आप नहीं बोल सकते हैं ।

श्री रामकुंवर सिंह---

मैंने व्यवस्था की बात कही और आपका ध्यान आकृष्ट किया परन्तु आपने ध्यान ही नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप चाहते हैं कि जो व्यवस्था का प्रश्न पहले उठा, उस पर व्यवस्था न दी जाय, और आप बोलने लगें ?

(व्यवधान)

प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

बुलन्द शहर जिले में यमुना नदी के कटाव मे उत्पन्न स्थिति

सिंचाई उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

बुलन्दशहर जिले में वहां से लगभग ३० मील दूर माकनपुर खादर ग्राम में यमुना...

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि १२ पृष्ठों का यह वक्तव्य है । अगर इसको सारा पढ़ा गया तो बहुत समय लगेगा और हमारा जो और प्रोग्राम है उसके लिये कम समय रह जायगा । इसलिये इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय । कुछ आरम्भ में पढ़ दिया जाय और कुछ अन्त में पढ़ दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर पढ़ना है तो सब पढ़ना है । ८ माननीय सदस्यों ने ये नोटिस दिये थे । अगर यह पढ़ा नहीं जायेगा तो आप लोग अंट शंट प्रश्न पूछेंगे । इसलिये मेरी व्यवस्था यह है कि पूरा पढा जाये ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

---नदी द्वारा बाये किनारे पर कटाव की सूचना १४ जुलाई, १९७१ को मिली । स्थानीय जिलाधीश तथा सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता ने स्थल के निरीक्षण में पाया कि नदी द्वारा कटाव करीब ३ या ४ फर्लांग की लम्बाई में हुआ है । ग्राम की आबादी कटाव से लगभग १००० फीट दूरी पर है । यद्यपि १००० फीट का फासला यमुना जैसी नदी द्वारा काटा जाना सम्भव है पर स्थिति तुरन्त गम्भीर नहीं बताई जाती है ।

सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता ने चार बल्ली स्पर बनाने की योजना अस्थाई रोक थाम के लिये बनाई है, जिसकी लागत रुपये १·२५ लाख होगी । इस योजना को तुरन्त कार्यान्वित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

अगर माकनपुर खादर ग्राम को अधिक खतरा पैदा हुआ तो ऊंचे पर बसे हुये निकट के ग्राम माकनपुर बाग्गर में वहां के निवासियों को हटा दिया जायगा । एक बाढ़ चौकी वहां स्थापित कर दी गई है । अब तक ९ परिवार कटाव से प्रभावित हुये है । लेकिन फसल एवम् जन जीवन को कोई खतरा नहीं है । जिला प्रशासन सतर्क है । बुलन्दशहर जिले को अहेतुक सहायता देने के लिये १५,००० रु० और आपदा तकावी के लिये ९०,००० रु० आवन्टित किये जा चुके है ।

जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील सगड़ी में घाघरा नदी की बाढ़ से क्षति

सगडी तहसील के उत्तर में उसको पूर्ण लम्बाई में घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु महोला गढ़वाल बान्ध बना हुआ है। घाघरा नदी में इस क्षेत्र में पानी की सतह लगभग एक माह से निम्न बाढ़ स्तर के आसपास रही। केवल दिनांक १३ व १४ जुलाई, १९७१ को यह सतह मध्यम बाढ़ स्तर तक पहुंची। नदी का पानी बढ़ कर कहीं कहीं पर बान्ध तक आया जिससे बान्ध व नदी के बीच के कुछ गांव पानी से घिर गये। बान्ध सही हालत में है और उसकी पूरी लम्बाई के दक्षिणी भाग में घाघरा नदी का पानी नहीं पहुंचा, जल डुबाव से बान्ध व नदी के बीच में गांवों की रक्षा करना तकनीकी दृष्टिकोंण से सम्भव नहीं है। इसका एक मात्र उपाय आबादी को सुरक्षित स्थानों पर हस्तान्तरित करना है जो जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है।

दिनांक १७ जुलाई, १९७१ को घाघरा तथा टोन्स नदियों का जल स्तर क्रमशः २२७.५, २३४,९० फीट था। जल स्तर अब घट रहा है और अब तक १६६ गांव या ५५,७१२ एकड़ कृषि क्षेत्र आजमगढ़ जिले में बाढ़ से प्रभावित हुआ। ३३ मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं जिनका मूल्य १४,८५० रुपये आंका गया है। आजमगढ़ जिले को अब तक अहेतुक (gratuitous) सहायता बांटने के लिये ३०,००० रुपये दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ७५,००० रु० आपदा तकावी बांटने के लिये और ६,००० रु० प्रकीर्ण व्यय के लिये दिये गये हैं।

जिला देवरिया में मधुवती बान्ध के कटने से उत्पन्न हुई स्थिति

जिला देवरिया में मधुवती अथवा मधुवनी नाम का कोई सरकारी बान्ध नहीं है। स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार भी इस नाम का कोई अन्य बान्ध भी इस जिले में नहीं है। बड़ी गन्डक नदी के दाहिने किनारे पर बिहार प्रदेश की सीमा में बिहार बान्ध मधुवती ग्राम के पास ५ मील से अधिक लम्बाई में टूट गया है, जिससे पानी दक्षिण में बान्सी नदी में आ रहा है। जिसकी वजह से देवरिया जिले की पडरौना तहसील के ८३ गांव प्रभावित हुये। कदाचित इसी बान्ध के टूटने से माननीय सदस्य द्वारा दी गई इस नोटिस का सम्बन्ध है। बिहार बान्ध का रख रखाव बिहार सरकार द्वारा किया जाता है और इस विषय में राजस्व मन्त्री जी द्वारा गत १२ जुलाई, १९७१ को इस सदन में विस्कृत सूचना दी जा चुकी है।

मिर्जापुर जिले में सोन नदी में अचानक बाढ़ तथा उससे आवागमन अवरुद्ध होना

रिहन्द जलाशय में पानी ८८० फीट उंचाई तक भरा जा सकता है। उसमें २१ जुलाई, १९७१ को पानी का स्तर ८५४.५ फीट था। जो कि १७ जुलाई, १९७१ से २९ जुलाई, १९७१ तक अधिकतम था। अतः रिहन्द जलाशय में अभी २५.५ फीट पानी और भरा जा सकता है। १९६८–६९ तथा १९७० के पिछले तीन वर्षों से रिहन्द जलाशय का अधिकतम जल स्तर क्रमशः ८४६.१ फीट, ८५४.४ फीट, ८३८.८ फीट रहा। रिहन्द जलाशय से पानी निकालने का फाटक ८५२ फीट पर है। दिनांक १८ जुलाई, १९७१ को रिहन्द जलाशय का स्तर ८४९.२ फीट अर्थात् रिहन्द जलाशय का फाटक खलने के स्तर से लगभग ३ फीट नीचे रहा। ऐसी दशा में दिनांक १ जुलाई, १९७१ को रिहन्द जलाशय का पानी निकालने के लिये फाटक खोलने का प्रश्न नहीं उठता। रिहन्द जलाशय से बिजली उत्पादन के लिये जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी निकाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोई पानी नहीं छोड़ा गया। विद्युत् उत्पादन के लिये १६ जुलाई, १९७१ को ५६९७.१८ एकड़ फीट, १७ जुलाई, १९७१ को ७०५३.४० एकड़ फीट और १८ जुलाई, १९७१ को ४२११.७६ एकड़ फीट पानी निकाला गया। इस प्रकार बिजली उत्पादन के लिये भी १८ जुलाई, १९७१ को जो पानी निकाला गया वह इसके पहले के दो दिनों की तुलना में कम ही था।

[श्री वीरबहादुर सिंह—]

दिनांक १७ जुलाई, १९७१ व १८ जुलाई, १९७१ में रिहन्द व ओबरा डैम के क्षेत्र में भारी वर्षा होने से ओबरा डैम में अधिक पानी आ गया। १८ जुलाई, १९७१ को प्रातः पांच बजे ओबरा डैम से पानी खोलना पड़ा, ७.३० बजे वहां से ९१,००० क्यूसेक पानी लगभग पन्द्रह मिनट निकला, दोपहर १२ बजे पानी बहुत कम हो गया और सायंकाल ४.३० बजे ओबरा डैम के पानी की निकासी के फाटक बन्द कर दिये गये। प्राप्त सूचना के अनुसार यह पानी सोन नदी में बिना किसी क्षति के निकल गया। परन्तु सोन नदी के अपने क्षेत्र की वर्षा का पानी १९ जुलाई, १९७१ की रात्रि में अधिक मात्रा में आया और चोपन में पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। इस तरह ओबरा बान्ध से पानी निकलने के करीब ३० घन्टे के बाद नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। स्पष्टतः सोन नदी में आई बाढ़ का रिहन्द जलाशय अथवा ओबरा बान्ध से कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में यदि रिहन्द बान्ध न होता तो चोपन में आई बाढ़ और भी भयानक होती।

दिनांक २० जुलाई, १९७१ को सोन नदी उच्च बाढ़ में आ गई जिससे चोपन के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की पक्की सड़क से पानी उतर गया और आवागमन अवरुद्ध हो गया। चोपन बाजार तथा निकटवर्ती क्षेत्र में इस पानी द्वारा कुछ घर जल मग्न हो गये। चोपन के पुल व सोन नदी के पुल को कोई खतरा नहीं है। रिहन्द बान्ध के भी टूटने का कोई खतरा नहीं है बल्कि यह हर्ष का विषय होगा यदि रिहन्द बांध ऊपर तक भर जाय।

बाढ़ पीड़ितों को समय के अन्दर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया और उन्हें स्कूलों तथा सार्वजनिक इमारतों में ठहरा दिया गया है। उनकी देखभाल की जा रही है। ५,००० रु० अहेतुक सहायता हेतु और २,००० रु० प्रकीर्ण व्यय के निमित्त आवन्टित किये गये हैं। जान एवम् पशुधन की हानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है। चोपन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य रोड के नीचे भाग में ६, ७ फीट पानी है। इसको पम्प करके निकालने के लिये फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिये दूध का पाउडर और प्रभावित क्षेत्रों में महामारी की रोकथाम के लिये उपयुक्त मात्रा में दवाओं एवम् टीकों आदि की व्यवस्था भी कर दी गई है। कुओं को कीटाणु रहित करने के लिये उनमें कीटाणु नाशक दवायें डाली जा रही है। स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है।

अतिवृष्टि एवम् अलकनन्दा नदी में बाढ़ के कारण पर्वतीय जिलों में हुई क्षति

जिला चमोली

चमोली जिले में जून के पहले पखवाड़े में और विशेषतया ११ जून, १९७१ से १५ जून, १९७१ तक बहुत अधिक वर्षा हुई। वर्षा तो पूरे जिले में ही हुई परन्तु बिरही तथा मन्दाकिनी नदी के नीचे के भाग में अत्यधिक वर्षा हुई।

इस वर्षा के कारण अलकनन्दा, बिरही व मन्दाकिनी नदियों में बाढ़ आई जो सहायक नाले इन नदियों में मिलते हैं उनमें भी बाढ़ आई।

इस अति वृष्टि के कारण काफी बड़े क्षेत्र में भू-स्खलन हुआ तथा चट्टानें टूटी व कई नालों ने अपने किनारे काट कर अपना बहाव बदल दिया। मोटर सड़कें तथा पैदल सड़कों के कई पुल बह गये तथ सड़कें टूट गई या उन पर भू-स्खलन से मलवा आ गया।

निम्नलिखित सड़कों पर अधिक क्षति हुई

१—हरिद्वार-बद्रीनाथ सडक—यह सड़क नन्द प्रयाग से ३ मील नीचे सोनला से मोटर गाड़ियों के लिये बन्द हो गइ था क्योंकि सोनला व बद्रीनाथ के बीच कई नालों के पुल तथा रपटें (Causeway) बह गये तथा सड़क भी कई स्थानों पर कट गई तथा मलबे से भर गई थी। अब यह मलवा साफ कर दिया गया है तथा सब ही पुल अस्थायी रूप से (बिरही

पुल के अतिरिक्त) बना दिये गये हैं । केवल नन्द प्रयाग के निकट भूमि काफी ऊंचाई से कट रही है अतः उस पर लगभग एक फरलांग की दूरी में मलवा पड़ा है और सड़कें यातायात के लिये नहीं खुल पाई ।

बिरही नदी पर मोटर का पुल पिछले वर्ष बना था उसका एक पाया (Abutment) बैठ गया है अतः वहां पर अस्थायी पुल बनाया जा रहा है ।

२—नन्द प्रयाग मोटर सड़क—इस सड़क का बहुत सा भाग भू-स्खलन तथा नाले में बाढ़ के कारण नष्ट हो गया है । इस समय सड़क खच्चरों इत्यादि के चलने के लिये खोल दी गई है । मोटर यातायात अभी आरम्भ नहीं हो पाया ।

३—बिरही गोना मोटर मार्ग—इस सड़क का अधिकतर भाग मलवे से दब गया है तथा कई स्थानों पर सड़क कट गई है । इस सड़क पर अभी यातायात आरम्भ नहीं हुआ है ।

सारे जिले में अतिवृष्टि के कारण ७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा १६१ मकान एवं १४९ गोशालाओं को क्षति हुई । ४१६ पशु भी मरे।

चमोली जिले में ८३ गांवों को क्षति हुई । कुल क्षति लगभग ८८.६१६ लाख रुपये की आंकी गई है । चमोली जिले को अब तक पीड़ितों को राहत देने के लिये १,००,००० रुपये अहेतुक सहायता के लिये आवंटित किये जा चुके हैं । इसके अलावा ४०,००० रुपये आपदा तकावी बांटने के लिये और १,००० रुपये प्रकीर्ण व्यय के लिये भी दिये गये हैं ।

नन्द प्रयाग—दिनांक ११/१२ जून, १९७१ की रात्रि को नन्द प्रयाग और उसके आस पास के क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई । इस अतिवृष्टि से नन्द प्रयाग के ऊपर की ओर के पहाड़ से वेग पानी आया जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में भू-स्खलन हुआ तथा जो छोटे छोटे नाले थे उन्होंने अपनी तली तथा किनारे काट दिये। इस प्रकार पानी के साथ मिट्टी व पत्थरों का मलवा भारी मात्रा में बस्ती के ऊपरी भाग में आया । इस मलवे से ६ घर भर गये तथा सड़क व गलियों में भी मलवा भर गया ।

नन्द प्रयाग के उत्तर की ओर "हित" गधेरा है । इह गधेरे में अतिवृष्टि के कारण मोटर सड़क का रपटा (causeway) बह गया तथा वहां लगभग २० फुट गहरा कटाव हो गया । इसी प्रकार नाले को पूरी तली तथा किनारों में कटाव हुये । इस गधेरे के कटाव से नन्द प्रयाग की ओर की भूमि में कई स्थानों पर दरारें पड़ गई हैं ।

कस्बे के पूर्वी भाग में धारागाड़ नाम का नाला बहता है । इस नाले में भी काफी ढाल है । इस नाले में भी बाढ़ आ गई तथा उसने अपनी तली व किनारों को काटा जिसके कारण काफी ऊंचाई तक भू-स्खलन हुआ ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिदर्शक का आवास गृह भू-स्खलन के कारण क्षति-ग्रस्त हो गया ।

नन्द प्रयाग कस्बे के अग्रिम पूर्वी भाग में एक और नाला है जिसे गुवाईगाड कहते हैं । इस पर मोटर सड़क पर एक टी०बीम का पुल था । इस नाले में अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ का रूप लेकर पानी आया और यह पुल टूट कर बह गया । यह नाला मन्दाकिनी नदी में मिलता है । इस नाले में मलवा व पत्थर इतनी मात्रा में आये कि इन्होंने मन्दाकिनी नदी की तेज धारा को बायें तट की ओर मोड़ दिया । फलस्वरूप मन्दाकिनी के बायें तट पर बने कई मकानों को भारी क्षति हुई । ये सब मकान खाली करवा दिये गये । सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन के अहाते के काफी भाग को नदी ने काट दिया तथा भवन को भी खतरा पैदा हो गया ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नन्दप्रयाग के अन्तर्गत आने वाली बस्तियों खोढावगढ़, भटखोला, भुनियाली में भू-स्खलन व नालों में बाढ़ के कारण क्षति हुई ।

[श्री वीरबहादुर सिं —]

नन्द प्रयाग के अतिरिक्त बचाव के लिये जिलाधिकारी चमोली के कहने पर ७,३३४ रु० की एक योजना बनाई गई जिस पर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । इस योजना के अनुसार नन्दप्रयाग बस्ती के ऊपर भाग में नालियां बनाई गई हैं जो वर्षा के पानी को नीचे जाने से रोककर पास के नाले में ले जायेगी । साथ ही जो बस्ती के ऊपर कटाव हो गये हैं उन्हें पत्थरों की दीवार जगह जगह बना कर रोका गया है ।

स्थायी बचाव कार्यों के प्रस्ताव बनाने के लिये सारी बस्ती का प्लान टेबुल सर्वे किया जा रहा है और शीघ्र ही परियोजना तैयार की जायेगी ।

मासों—इस गांव में एक नाले ने अपना बहाव बदल दिया है, जिसके कारण कई मकानों को क्षति हुई । चट्टानों के टूटने तथा भू-स्खलन से भी मकानों और भूमि को क्षति हुई ।

इस ग्राम के बचाव के लिये नाले को अपने मूल बहाव में लाया जा रहा है । नये नाले को रोकने के लिये पत्थर से भरे तार के क्रेट बनाये गये हैं ।

जिलाधिकारी के कहने के अनुसार कुछ अन्य ग्रामों की अस्थायी सुरक्षा के लिये सर्वेक्षण हो रहा है। अतिवृष्टि से सिंचाई विभाग की पर्वतीय नहरों को लगभग ४५,००० रु० की हानि हुई ।

उत्तर काशी

उत्तरकाशी में अतिवृष्टि के कारण सरतियागाढ नामक नाले में बाढ़ आने के कारण १२ नैपाली मजदूर ५/६ जुलाई, १९७१ की रात को मर गये । सरतियागाढ पर आर० सी० सी० पुल बह गया । आवागमन के लिये दूसरे विकल्प की व्यवस्था हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कह दिया गया है । लगभग ८३,००० रु० की सिंचाई नहरों में क्षति हुई है । सड़कों पर मलवा गिरता रहता है जिसकी सफाई सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होती रहती है ।

भीषण वर्षा के कारण मतली ग्राम को खतरा पैदा होने की सूचना मिली है । गांव धंस रहा है। मकान गिरने शुरू हो गये हैं और ११० परिवार प्रभावित हैं । पीड़ितों को पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों की सहायता से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है । एक बहुत बड़ा क्षेत्र बह गया है । ८ पशु मरे हैं लेकिन किसी मनुष्य की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है । सहायता कार्य जारी है ।

उत्तरकाशी जिले को अब तक ५,००० रु० अहेतुक सहायता देने के लिये और १०,००० रु० तक आपदा तकावी बांटने के लिये दिये जा चुके हैं । ५०० रुपये प्रकीर्ण व्यय के लिये दिये गये हैं । अगर और रुपयों की आवश्यकता हुई तो दिया जायगा ।

टिहरी गढ़वाल

जिला टिहरी गढ़वाल में अतिवृष्टि से लगभग ४९,५०० रु० की सिंचाई नहरों में क्षति हुई है । इस जिले में और किसी क्षति की सूचना नहीं मिली, केवल सड़कों पर अतिवृष्टि के कारण मलवा गिरता रहा है जिसकी सफाई सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होती रहती है ।

पौड़ी गढ़वाल

पौड़ी गढ़वाल जिले में किसी प्रकार की क्षति होने की सूचना नहीं मिली है । केवल अतिवृष्टि के कारण तीन नहरों को क्षति हुई है, जिसकी मरम्मत कराने में लगभग ७,००० रु० व्यय होंगे ।

देहरादून

जिला देहरादून में अभी बाढ़ से किसी खतरे की सूचना नहीं मिली ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अगर आप हमारी नोटिस देखेंगे तो आप पायेंगे कि हम उनमें मलौनी बांध के सिलसिले में जानकारी चाहते थे और सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया था । इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे गांवों के नाम भी दिये थे जिनमें कटाव हो रहा है और लोगों को वहां क्षति पहुंच रही है । आप देख लें, इस वक्तव्य में वह नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सम्पूर्ण वक्तव्य को पढ़ने दें, इसके बाद आपको समय दिया जायेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह कह रहा था कि यह वक्तव्य अधूरा है । हमने नोटिस दी थी और कुछ प्वाइंट्स का जिक्र किया था जैसे मलौनी बांध, चितेहरी गांव और भेड़ी गांव और दो-तीन गांव और थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी पहाड़ी जिलों के बारे में उन्होंने कहा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं गोरखपुर जिले के सिलसिले में बोल रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको पढ़ने दीजिए । आप प्रश्न करेंगे, यह भी सवाल उठ सकता है, लेकिन पढ़ने तो दें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं उनको पढ़ने से नहीं रोक रहा हूं । मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो नोटिस हमारी दी गयी थी, उसमें इसका जिक्र नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले इनको समाप्त करने दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अच्छी बात है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्री राम कुंवर जी हैं और ये हैं, आप इनको समय नहीं दे रहे हैं । समान रूप से देखिये दोनों को, मान्यवर ।

उपाध्यक्ष—

आप पढ़ने दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह ऐसे बैठते हैं कि आपकी नजर पहुंच जाय ।

श्री मैनेजर सिंह—

यह दोनों वामांगी हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जले में राप्ती और घाघरा की बाढ़ समस्या

गोरखपुर जिले में राप्ती नदी में पानी का बढ़ना १२ जुलाई, १९७१ से पूर्व प्रारम्भ हुआ और उस दिन निम्न बाढ़ स्तर पार किया। राप्ती नदी का जल स्तर १९ जुलाई, १९७१ को २४५.९५ फीट था, जो खतरे के निशान से ऊपर था। घाघरा का जल स्तर बड़हलगंज में २२७.९० फीट पर था। इसके पश्चात् पानी घटना शुरू हो गया और अब भी नदी निरन्तर उतार पर है। राप्ती अपनी धारा काफी बड़े क्षेत्र में बदलती रहती है जिसके करण भिन्न भिन्न स्थानों पर कटाव व डुबाव की समस्या पैदा होती रहती है। नोटिस में उल्लिखित मझवलिया बांध से मिला हुआ सहवा नाला बांध तथा सेमरा से कोइली खाल बांध एवम् ददरी से सेमरा बांध की देख रेख विभाग द्वारा नहीं की जाती और ये नदी के बहुत निकट उसके मीण्डरिंग जोन में पड़ते हैं तथा गांव राप्ती नदी के किनारे पर बसे हैं। इसी प्रकार गनघाट, कोटियाडीह व कोटिया निरंजन भी घाघरा नदी के बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं और उनका बचाव तकनीकी व आर्थिक दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है।

राप्ती एवं घाघरा नदियों के कटाव तथा जल डुबाव की समस्या को हल करने हेतु केवल प्रभावित स्थानों पर बांध या ठोकर बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि ऐसा करने से समस्या एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर उभरेगी। इसके समाधान हेतु इन नदियों की घाटियों का विस्तृत सर्वेक्षण करना होगा और नदी वार मास्टर प्लान बनाना होगा। यह मामला शासन के विचाराधीन है।

अब तक ८९४ गांवों की २,२८,५०० जन संख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है। १,१०,४०५ एकड़ क्षेत्रफल जलमग्न है। १४७ मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिनका अनुमानित मूल्य ७५,४०० रु० है। सहायता कार्य जारी है। स्थिति नियन्त्रण में है और अभी तक किसी जीवन हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अब तक गोरखपुर जिले को, पीड़ितों को सहायता देने के लिये १,०५,००० रु० आवंटित किये जा चुके हैं। इसके अलावा २५ हजार रुपये तकावी बांटने के लिये व २६ हजार रुपये प्रकीर्ण व्यय के लिये दिए जा चुके हैं।

बस्ती जिले की बांसी और नौगढ़ तहसीलों में बाढ़ की स्थिति

बस्ती जिले में नौगढ़ व बांसी तहसीलों में क्रमशः बूढ़ी राप्ती, राप्ती तथा उनकी सहायक नदियों में १० जुलाई, १९७१ की बाढ़ के पानी की सतह निम्न बाढ़ स्तर से ऊंची हो गई। दिनांक १५ जुलाई, १९७१ तक बाढ़ बढ़ती गई परन्तु खतरे के निशान से बाढ़ का स्तर नीचा ही रहा। इस बाढ़ से जो क्षति हुई है उसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:—

क्रम-संख्या	तहसील	ग्रामों की संख्या जो बाढ़ से प्रभावित है	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	भूमि जो प्रभावित है	ग्रामों की संख्या जो बाढ़ में घिरे हैं	मकानों की संख्या जो बाढ़ से कट गये हैं
१	२	३	४	५	६	७
१	बांसी	११०	६,८७५	१०,६५१	४२	४
२	नौगढ़	३०६	९५,४३५	६८,५१२	४३	..

तहसील नौगढ़ में उस्का-लखनापार बांध कट गया है तथा उस्का-सोहास रोड पर ऊचहरिया के पास सड़क कट गई है। उपरोक्त बांध व सड़क के कटने से आबादी को क्षति

नहीं हुई है। उपर्युक्त दोनों तहसीलों में पानी उतार पर है। प्रायः सभी नदियों का पानी घट रहा है।

पीड़ितों को सहायता देने के लिये बस्ती जिले को ३०,००० रु० दिये जा चुके हैं, इसके अलावा ६,००० रुपया प्रकीर्ण व्यय के लिये और १,००,५०० रुपया आपदा तकावी बांटने के लिए भी जिले को दिये गये हैं, सहायता कार्य जारी है।

बस्ती जिले में घाघरा नदी की बाढ़ समस्या

घाघरा नदी बस्ती जिले में हरैया, बस्ती व खलीलाबाद तहसीलों से होकर बहती है। पिछले छः सप्ताह से नदी अपने निम्न बाढ़ स्तर के निकट बह रही है तथा लगभग तीन दिन यह स्तर मध्य बाढ़ स्तर तक भी बढ़ी है। २० जुलाई, १९७१ की रिपोर्ट के अनुसार तहसील खलीलाबाद में राप्ती का जल स्तर बढ़ रहा था और जिले के शेष भाग में सभी नदियां उतार पर थीं। हरैया तहसील में २५२ गांव, ३२,३७५ एकड़ क्षेत्रफल तथा ४८,०९० जन संख्या बाढ़ से प्रभावित है तथा ७ गांव एवम् ७१ घर बाढ़ में बह गये।

सहायता कार्य में पूरे जिले में कुल २२३ नावें लगी हुई हैं। २१ जुलाई, १९७१ तक जिले भर में ३४ कुन्तल गेहूं, ९१ कुन्तल चना, ६ कुन्तल मटर, ५ कुन्तल मोटा अनाज, ७१ कुन्तल नमक, ६ हजार लीटर मिट्टी का तेल, १६४ दर्जन दियासलाई, ५६५ रु० नकद अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया तथा १०,९७५ रु० आपदा तकावी बांटी गयी।

जिले के लिए अभी तक ३० हजार रुपये अहेतुक सहायता ६ हजार रुपया प्रकीर्ण व्यय तथा १,००,५०० रु० आपदा तकावी के लिए आवंटित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आयुक्त, गोरखपुर के अधिकार में ६,५०,००० रु० अहेतुक सहायता हेतु तथा ३,४४,००० रु० प्रकीर्ण व्यय हेतु अपने मन्डल के जिलाधिकारियों को आवन्टित करने के लिए दिया जा चुका है। जिलाधिकारी बस्ती आवश्यकतानुसार आयुक्त से उक्त आवन्टन में से धन प्राप्त कर सकते हैं।

इस जिले में बस्ती तहसील के थोड़े क्षेत्र को डुबाव से बचाने हेतु ३ मील लम्बा मलदेहवा बांध बना हुआ है। शेष क्षेत्र के बचाव हेतु कोई अन्य साधन नहीं है। इस समस्या की विभाग द्वारा जांच की जा चुकी है। घाघरा एक विशाल नदी है तथा इस पर कटान को रोकना मामूली साधनों से सम्भव नहीं है। पक्की ठोकरें बनाने व उनके रख-रखाव में करोड़ों रुपयों का व्यय होगा,। इसके अलावा इनके बनाने से नदी का वेग एक स्थान से हट कर दूसरे स्थान पर पहुंच जायेगा और वहां कटान की समस्या उत्पन्न हो जायगी। ऐसी दशा में ठोकरें बनाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। घाघरा जैसी विशाल नदी पर स्थानीय योजना बनाने से भी उपर्युक्त कारणवश विशेष लाभ नहीं होगा। इसके लिए पूर्ण नदी घाटी का विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के आधार पर ही कोई योजना का बनाया जाना सम्भव होगा। नदी घाटी योजनाओं के सर्वेक्षण का विषय शासन के विचाराधीन है।

जहां तक विक्रमजोत में घाघरा के कटान का प्रश्न है स्थानीय निरीक्षण भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री, श्री वीरेन्द्र वर्मा ने दिनांक ११ सितम्बर, १९७० को किया था। उससे यह निष्कर्ष निकला कि इस स्थान पर कोई सुरक्षात्मक उपाय अपनाना सम्भव न होगा। जहां तक लखनऊ गोरखपुर-मार्ग का सम्बन्ध है, कटाव समीप आने से इसको खतरा उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सिंचाई अनुसन्धान शाला, रुड़की से इस समस्या पर परामर्श मांगा था और उन्होंने यह परामर्श दिया कि खतरे से बचाने के लिए सड़क को पीछे की ओर रिटायर कर दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कल्पनाथ सिंह जी को कहा था।

श्री मैनेजर सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रशासन ने "जिलाधीश" पद नाम हटाकर" जिलाधिकारी" कर दिया है और शासन का निर्देश है कि "जिलाधीश" शब्द का प्रयोग न किया जाय। लेकिन माननीय उप मन्त्री जी ने जो ववतव्य पढ़ा उसकी दूसरी पंक्ति में लिखा है "स्थानीय जिलाधीश तथा सिचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता"....

श्री उपाध्यक्ष--

सब जगह "जिलाधिकारी" कर दिया जाय। यह अनुचित है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि हर हफ्ते में सिंचाई मंत्री बाढ़ पर ववतव्य देंगे। यह ववतव्य प्रदेश भर का होना चाहिये। बलिया में घाघरा और गंगा दोनों मिलती हैं। वहां कई स्थानों पर कटान हो रहा है लेकिन वहां के बारे में एक भी शब्द नहीं है। क्या हम लिख कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

जो जो माननीय सदस्य लिख कर देते हैं उनका सम्मिलित कर लिया जाता है। आप भी लिख कर दे दें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे निवेदन यह करना है कि माननीय अध्यक्ष के सामने जो चर्चा थी उसमें मैंने यह कहा था कि देवरिया में बांध दो-तीन जगह से टूट गया है, मलइया, छितौनी और मधुवन, इन तीनों जगह पांच-पांच सौ फुट की दरार पड़ गयी है। कई गांव प्रभावित हुये हैं और किसी के बारे में कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है .....

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो स्थिति थी उन्होंने बतला दी है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मैंने बाढ़ के संबंध में अपना नियम ५१ का प्रस्ताव दिया था गोंडा जिले के विषय में। इस रिपोर्ट में कहीं गोंडा का नामोनिशान तक नहीं है। १४ जुलाई के अखबार में भी यह है कि घाघरा और सरजू का पानी संकट बिन्दु से ६ इंच ऊपर चला गया है और १०५ गांव बह गये हैं। कहीं इसमें उसका जिक्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर नहीं है तो फिर दूसरे सप्ताह जब रिपोर्ट दी जायेगी, यदि इसके लिये माननीय अध्यक्ष के आदेश ऐसे हैं तो, उसमें उसकी सूचना आ जायेगी। अगर आप ने लिख कर दिया है तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि सूचना न आये।

अब स्पष्टीकरण के लिये यदि कोई प्रश्न माननीय सदस्य करना चाहें तो करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस बयान के अन्दर गलत बयानी की गयी है। इसमें कहा गया है कि देहरादून में कोई खतरा नहीं है जब कि हरद्वार-ऋषिकेश मार्ग टूट गया है ...

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिख कर दे दें।

(शोर.....व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी थी कि उत्तर काशी में कुछ गांव धंस गये हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को अपने-अपने यहां की व्यक्तिगत जानकारी है उनको आप प्रश्न करने का मौका दें। किन्तु आप की नजरें तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं . . .

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी एक ही नजर है। तिरछी है, न सीधी है, मेरी नजर सभी तरफ जाती है। अब आप सुन लें, कल यह तय हुआ था ऐसे वक्तव्य पर स्पष्टीकरण के लिए एक-एक सदस्य को एक तरफ से समय दिया जायगा। इसलिये उस पर अब मैं चलता हूं।

श्री राम कुंवर सिंह--

श्रीमन्, पहले तो मैं कुछ बातों की जानकारी चाहूंगा। मेम्बर लोग सारी बातों की जानकारी एक साथ कर लें या वे एक-एक करके जानकारी करें और आप उनको बार-बार समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि परिस्थिति है और आप कई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप जरूर पूछिये।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री जी ने जो जवाब दिया आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के बारे में, उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि जो क्षेत्र घाघरा के किनारे पड़ा है, उसमें कितने गांव बाढ़ग्रस्त हैं और कितनी में कटान शुरू है और उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार की ओर से हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

स्टेटमेंट जिलेवार हुआ है और आप कहते हैं कि वह घाघरा के किनारे के सारे जिलों की सूचना दें, यह कैसे हो सकता है ?

श्री विजय बहादुर सिंह--

घाघरा के किनारे एक बन्धा बना है, और उस बन्धे और घाघरा के बीच में जो गांव पड़े हैं, उनके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)--

जो गांव नदी और बंधे के बीच में हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वह सुरक्षित स्थान पर चले जायें।

सदन का कार्य सुचारु रुप से चलाने के सम्बन्ध में सुझाव

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मैं आपको कुछ सुझाव देने की गुस्ताखी करना चाहता हूं। वह यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तथा दुनिया के अन्य दूसरे देशों की विधान सभाओं में नियम यह है कि मेम्बरान सदन अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, स्पीकर महोदय जिसका नाम लें, केवल वही बोलता है और बाकी बैठ जाते हैं। इस बारे में यदि किसी सज्जन को कोई शिकायत या कठिनाई है तो उक्त सज्जन आपके कमरे में जाकर कह सकते हैं कि यह मेरा विषय था जिसमें मैंने सवाल उठाया था,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

या यह मेरे जिले से सम्बन्धित है या इस प्रश्न पर मेरी दिलचस्पी है कल मौका नहीं मिला आज मौका दे दें। यह एक उचित तरीका है और इस तरह से अगली बार उसे समय मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि स्पीकर महोदय ध्यान रखते हैं कि किस पार्टी की कितनी स्ट्रेन्थ है, लिहाजा उसी अनुपात में उस पार्टी के मेम्बरान को मौका देते हैं बोलने का। लेकिन हमारे यहां यह सब कुछ नहीं हो रहा है और इसी वजह से सदन की गरिमा गिर गई है। हमारे यहां यह हो रहा है कि जो सज्जन कोई जोर से बोले, जो जोर से बोल पाते हैं या चिल्ला पाते हैं, उन्हीं को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। मैं स्पीकर साहब के पास दो-एक बार उनके कमरे में उन्हें सुझाव देने गया हूं। इसलिये मैंने मुनासिब समझा कि सभी माननीय सदस्यों के सामने यहां पर मैं उसे अर्ज कर दूं। तो मैं यह कह रहा था कि जो ज्यादा बोलता है, जोर से बोलता है, उसे मौका दे दिया जाता है। मैं खड़ा हुआ, मेरी बात नहीं सुनी गई। मिसाल के तौर पर नित्यानन्द स्वामी ज्यादा तगड़े आदमी हैं, उन्होंने जोर से कह दिया तो उनकी बात को आपने सुन लिया। तो इसका नतीजा क्या होगा? यही होगा न कि हम भी जोर से बोलें तो आप सुन लें। यह यहां पर रोज हो रहा है। नतीजा यह है कि दूसरे जिलों से जो लोग यहां की कार्यवाही देखने आते हैं सदन का मेम्बर मैं भी हूं, मेरी भी और दूसरे साथियों की बदनामी उतनी होती है जितनी आपकी, बल्कि स्पीकर की कुछ ज्यादा होती है। वह जाकर ताज्जुब करते हैं कि हम कुछ देखने गये थे, सीखने गये थे, लोगों के नुमाइन्दे यहां बैठे हैं, बड़े-बड़े प्रश्न उनके सामने हैं, पढ़े लिखे हैं, इससे अच्छी तो हमारे गांव की पंचायतें हैं। पढ़े लिखे नौजवान, यूनिवर्सिटी के, या दूसरे सूबों के लोग यहां आते हैं, दूसरे देशों के भी लोग आते हैं। उनके मन पर अच्छा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा एक बात यह होती है कि मान लें हमारी ओल्ड कांग्रेस के दोस्त हैं, जिनकी तादाद ६० है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें चार पांच सदस्य हैं, या अकेले लीडर हैं अपनी पार्टी के, जैसे विकल जी, वह यहां रह नहीं गये, तो यहां के दोस्तों को जो समय देंगे उनको भी देंगे, क्योंकि वह भी एक पार्टी है, यह भी अन्याय हो जाता है। इसका इलाज आपको सोचना होगा। इसके अलावा जो अशोभनीय बात हो रही है, सबसे बड़ा नुकसान जनहित को यह हो रहा है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो काम दो मिनट में होना चाहिए वह आध घंटे में होता है। आप नियम कठोरता के साथ बना लीजिये, जिसको आप कहेंगे केवल वही बोलेगा और जो जोर से आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे। यह बुरा लगेगा। आपको कठोरता करनी पड़ेगी। हममें से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। लेकिन जनहित का तकाजा यह है, हमारी नेकनामी का तकाजा है कि आप इस उसूल पर जिस पर दुनिया भर में अमल हो रहा है जिसके बिना कोई सभा सोसाईटी चल नहीं सकती इस पर अमल करें। मैं माफी चाहता हूं, कोई बात मेरी जबान से ऐसी निकल गयी हो जो मुझे नहीं कहना चाहिये था या मैंने अनुचित कही हो। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं और मुझ से सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सुझाव दिये गये हैं बहुत स्वस्थ सुझाव हैं। मैं आपको और सदन को बराबर इस तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसका मैंने आज तक नाम पुकारा उसके अलावा कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई जोर से बोला है तो उससे ज्यादा जोर से मैंने बन्द करने की कोशिश की है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इससे ज्यादा और कठिनाई एक बात में आ जाती है। बहुत सीरियस हो कर उसके बाद आप हंस देते हैं, तो सारा अनुशासन भंग हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि कहां सीरियस हैं कहां नान-सीरियस हैं। आप एक स्तर कायम रखिये। जिस सीरियसनेस से शुरू करते हैं अन्त भी उसी सीरियसनेस से कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एकसां हूं यहां और बाहर सब जगह। जो आप समझते हैं वही समझ लें। हम हंसते हैं तब भी गम्भीर हैं क्योंकि रोना मुझे बहुत पसन्द नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय चौधरी साहब ने जो बात कही वह सही है जिसके ऊपर सदन के सारे साथियों को और विरोधी दल के हमारे नेताओं को, आप को और सरकारी पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं, सबको एक साथ ही इस बात का समर्थन करना चाहिये। अच्छा यह होगा कि किसी समय आप अपने कक्ष में विरोधी दल के हमारे नेताओं को, कुछ यहां के जो प्रमुख लोग हैं, व्हिप वगैरह, उनको अपने यहां बुला लें। एक बात यह हो जाय। यह बात सही है कि काम भी नहीं हो पाता है और बात समझ भी नहीं मिलती, जब कई सदस्य एक साथ चिल्लाने लगते हैं, मुझे क्षमा कीजिये, बोलने लगते हैं, तो कोई बात स्वीकार करनी है, इनकार करनी है, कुछ पता नहीं लगता, समय बरबाद होता है। सभी लोग बोलने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन चाहे जो कोई बोलने खड़ा हुआ हो, आपने नाम ले लिया कि फलां सम्मानित सदस्य बोलेंगे। तो दूसरे को बैठ जाना चाहिये। बीच में टोक-टाक और खड़े हो जाना और उसके बाद एक साथ कुछ कहने लगना उससे स्वरूप तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ समय भी बरबाद होता है। चौधरी साहब ने बहुत मुनासिब बात कही है और उसमें हम सबका सहयोग मिलना चाहिये। आप अपने कक्ष में सब नेताओं को बुला लें तथा कुछ प्रमुख व्यक्तियों को भी बुला लें। कोशिश यह की जाय कि अपने-अपने दल के लोगों को जो कभी-कभी आवेश में आ जाते हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाय। लोकतांत्रिक पद्धति की रक्षा के लिये यह जरूरी हो गया है कि हर सदस्य अपनी-अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक कह सके और सदन हमारी बात सुन सके। इसके लिये आवश्यक है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर दी जाय। ऐसा न होने पर यह हमारे लिये कोई बड़ी शोभा की बात नहीं होगी।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने जो सुझाव दिया है कि आप अपने कमरे में सब नेताओं को बुला कर कुछ फैसला कर लें, वह ठीक रहेगा। मैं इससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय चौधरी साहब ने जो कहा उसमें कोई भी दो मत नहीं हो सकते। बहुत दिनों से मेरी भी यही इच्छा थी कि इस तरह की बात यहां व्यक्त की जाय ताकि सदन में अनुशासन कायम रह सके। मैं पूर्ण रूप से चौधरी साहब से सहमत हूं। इस पर जो कुछ भी व्यवस्था आप देंगे उसका हम लोग सहर्ष पालन करेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

माननीय चौधरी साहब ने जो बात कही है उस पर दो राय कभी हो ही नहीं सकतीं। यह ठीक है कि सदन के सभी पक्ष तथा विपक्ष के नेताओं को आप बुला लें अपने कक्ष में और सारी बातें वहां तय हो जायं तो उचित ही होगा। जहां हम पर निर्भर करेगा कि किस तरह से सदन मर्यादा के साथ चले वहां पर यह भी निर्भर करेगा कि आप कैसा रुख अख्तियार करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

चौधरी साहब ने जो सुझाव दिया है उस पर कभी दो राय नहीं हो सकतीं। इस सम्बन्ध में आप लोगों को अपने कक्ष में बुला लें। उनसे बातचीत कर लें और जो कंवेंशंस आप ले डाउन करना चाहते हैं वे लेडाउन हो जायं।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय चौधरी साहब ने जो सुझाव दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। आप अपने कक्ष में सब नेताओं को बुला कर बातचीत कर लें और परामर्श करने के पश्चात् जो परम्परा तय हो, उसे निभाया जाय। ऐसा न हो कि जो परम्परा निश्चित हो उसमें फिर अलग-अलग विचार हो जायं। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन परम्पराओं को कायम रखें।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव आया है वह उचित ही है लेकिन जो परम्परा अपनाई जायगी उसके अन्तर्गत मैं तो किसी विषय पर भी नहीं बोल सकूंगा, न सवाल उठा सकूंगा और न अपने विचार व्यक्त कर सकूंगा। कल भी मैं बोलना चाहता था लेकिन आपने कहा समय नहीं मिलेगा। मेरे सामने मजबूरी हो गयी कि मैं सदन छोड़ कर चला जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरा प्रश्न है जिसे आप उठा रहे हैं। प्रश्न इस समय केवल इतना है जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा है कि सब नेताओं को बुला कर कोई रास्ता निकाला जाय। उससे आप सहमत हैं या नहीं? मैं समझता हूं कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे। अतः सोमवार को तो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है और मंगलवार को अथवा किसी दिन माननीय नेताओं से पूंछ कर और उनसे परामर्श लेकर कोई तिथि इसके लिये रख देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मंगलवार को तो कुछ लोगों का व्रत रहेगा। कोई और दिन रखवा दीजिये।

प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में वक्तव्य—(क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से यह निवेदन कर रहा था इसके पूर्व कि जो नोटिस मैंने भेजी थी उसमें महौली बांध का भी जिक्र किया गया था तो क्या सरकार से मुझे यह जानकारी हो सकेगी कि महौली बांध से जो क्षति छितवहीं और झेड़ी गांव को हुई है उसकी क्या स्थिति है।

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)—

मान्यवर, मनौली बांध में इस समय कोई खतरा नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मधुवनी नामक कोई बांध हमारे यहां नहीं है और आगे उन्होंने लिखा है कि इससे ८३ गांव प्रभावित हुये हैं। जो नदी बिहार और नैपाल से हमारे प्रदेश में आती है और उससे हमारे प्रदेश के गांव प्रभावित होते हैं तो इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिये। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति को रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बिहार बांध मधुवनी ग्राम के पास टूट गया था और यह पारसाल ही टूट गया था। बिहार सरकार से उस बांध को बनाने के बारे में बातचीत की जा रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, बस्ती जिले में नौगढ़ व बांसी तहसीलों में राप्ती तथा उसकी सहायक नदियों में जो बाढ़ आई है और उसके सम्बन्ध में जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है वह बिलकुल अपूर्ण है। कैसे दूसरे प्रश्न उठाऊं। वहां पर मैंने खुद जाकर देखा है वहां पर एक आदमी डूब कर मर गया है उसके बारे में कोई जिक्र उन्होंने इस रिपोर्ट में नहीं किया है। और क्या प्रश्न उनसे पूछें। सिर्फ यही पूछ सकता हूं कि वहां पर जो बाढ़ आई है उसकी स्थिति को देखते हुये जो पहले की फसल थी वह तो वर्षा से चली गई और दूसरी फसल कुसमय वर्षा होने से चली गई जिससे वहां के लोगों के पास भोजन भी पर्याप्त नहीं रह गया है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे वहां के लोगों को भोजन देने के प्रबन्ध हेतु चीप ग्रेन शाप्स खोलने की व्यवस्था करेंगे और जो एक आदमी मर गया है उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री राम लखन—

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, इस वक्तव्य में टेहरीगढ़वाल के बाबत कहा गया है कि वहां पर कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। मैं उनको इस बात की जानकारी दिला दूं कि ग्वीना नामक गांव में ७ व्यक्ति मर गये हैं और लगभग १०–१५ गांव खतरे में हैं। तो क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कोशिश करेगी ?

श्री राम लखन—

माननीय सदस्य इस जानकारी को लिखकर भेज देंगे तो देख लिया जायेगा और सत्यता की जांच करवा ली जायेगी।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, रिपोर्ट के दूसरे पेज पर देखें। देवरिया जिले में हजारों व्यक्ति और जानवर मर गये हैं और उसके ऊपर सरकार ने केवल ९ लाइन का उत्तर दिया है। बाढ़ के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया था कि प्रति सप्ताह सरकार सदन को अवगत कराती रहेगी। मैं समझता हूं मान्यवर, कि ९०० से अधिक आदमी इस बाढ़ में मर गये होंगे और उत्तर इसका केवल ९ लाइन का है। तो मैं चाहता हूं कि क्या वे इस सम्बन्ध में डिटेल्ड सूचना सदन को देंगे जब कि उनका उत्तरदायित्व भी है वहां पर लोगों के रख-रखाव का कोई इन्तजाम नहीं किया था अतः पूरी तरह से सिंचाई विभाग जिम्मेदार है। हजारों लोगों की वहां पर हत्यायें हो गई हैं।

श्री रामलखन—

मान्यवर, इस समय जो वक्तव्य दिया गया है तथा यह पूछा गया था मधुबनी बांध के टूटने से उत्पन्न जो समस्या पैदा हुई उसके सम्बन्ध में कहा गया है कि मधुवनी नाम का कोई बन्ध नहीं है और जिस बांध से खतरा उत्पन्न हुआ है और नुक्सान हुआ उसका पहले ही विस्तृत विवरण बिहार बांध के नाम से दिया गया है, उसी से मधुवनी में कटाव हुआ है और क्षति हुई है।

श्री त्रिजय बहादुर सिंह—

सिंचाई मंत्री की ओर से मिर्जापुर के बारे में आया कि सोन की जो बाढ़ आयी है उसमें तटवर्ती गांव डूब गये, तो रिहन्ड जलाशय जहां कि प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार का अरबों रुपया लगा हुआ है और कई प्रदेशों से जिसका संबंध है उसमें हम लोगों को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, कई जगह पर दरारें पड़ गयी हैं और यदि पानी की सतह दो, चार, १० फिट और बढ़

[श्री विजय बहादुर सिंह]

गयी तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जायगा। तो मैं उनसे कहूंगा कि स्वयं या कोई अधिकारी वहां जाय जो कि प्रदेश स्तर का हो, उन्हें वहां भेज कर इस बात का पता लगायें।

श्री राम लखन—

जो सूचना माननीय सदस्य को दी गयी है वह सही है। अगर माननीय सदस्य को कोई संदेह है तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

यह जो बद्रीनाथ मार्ग है वहां लास्ट ईयर भी पुल को क्षति हुई थी और इस साल जो क्षति हुई उसका जो हिस्सा रह गया था वह आज भी बरकरार है। पारसाल जो हिस्सा बना था वह बह गया, इसका क्या कारण है ?

श्री राम लखन—

अब कितना बह गया इस वर्ष, उसकी सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब अगले शुक्रवार को रखी जायगी यह सूचना . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

बहैसियत सिंचाई मंत्री के जो १९७० में मैंने निरीक्षण किया था, तो किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कोई सुरक्षात्मक उपाय अपनाना संभव नहीं होगा ? मैंने तो निरीक्षण किया था, तो किस आधार पर कहा कि सुरक्षात्मक चर्चा करना संभव नहीं होगा, यह बता दें और यह भी लिखा है कि उस सड़क को पीछे हटाया जायगा तो उसमें कितनी कृषि योग्य भूमि और गांव जायंगे, इस पर भी क्या प्रकाश डाल सकेंगे ?

श्री रामलखन—

वह तो टेक्निकल ऐडवाइस के अनुसार ही निश्चय हुआ था कि बांध बनाना उपयोगी नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सिंचाई मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उत्तरकाशी के मतली ग्राम को खतरा पैदा हो गया है, गांव धंस रहा है और ११० परिवार प्रभावित हैं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र वहां बह गया। तो जिन लोगों के मकान गिर चुके हैं और जिनको हटाया जा रहा है क्या उनके मकान बनाने के लिए सरकार कोई अनुदान देगी और क्या उस अनुदान में यह भी शामिल होगा कि देवदार के पेड़ उनको मुफ्त दिये जायंगे ?

श्री राम लखन—

बाढ़ पीड़ितों के जो नियम हैं उनके अनुसार सहायता दी जा सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

रिपोर्ट में जिस-जिस का जिक्र नहीं है अगर उसकी ओर माननीय सदस्य ध्यान दिलायेंगे तो अगले शुक्रवार को उसका जवाब दिला देंगे।

(व्यवधान)

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों के निवारणार्थ कमीशन बैठाने के लिये संकल्प---(क्रमागत) †

श्री उपाध्यक्ष---

अब श्री रियासत हुसेन द्वारा प्रस्तुत सं ल्प पर विवाद प्रारम्भ होगा जिसमें उन राजनैतिक दलों पर रोक लगाने की बात कही गयी है जो साम्प्रदायिक हैं।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

माननीय सुखपाल पांडेय अभी बहुत व्यवस्था की बात कर रहे थे, अगर इतनी जल्दी उसकी विस्मृति हो जायगी तो कैसे काम चलेगा ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय,....

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

मैं माननीय चौधरी साहब का आदर करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको अनुमति नहीं देता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहर दून)---

आप बात ही नहीं सुनते हैं। मैंने नियम ५१ में दिया था, मुझे एक भी प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी। आप सुन तो लें।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

उस वक्त मने यह अर्ज किया था कि साम्प्रदायिकता एक ऐसा जहर है जिससे सारा वातावरण ही दूषित हो जाता है, जहरीला हो जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप चूंकि मुझे बिलकुल ही सुनने के लिये तैयार नहीं है, इसके विरोध में मैं १० मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री नित्यानन्द स्वामी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

उससे सारे देश की फिजा गंदी होती है और उससे देश में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। आज देश को आजादी मिले बरसों बीत गये....

---

†२६ मार्च, १९७१ की कार्यवाही से।

एक सदस्य--

आप बोलने का समय नहीं देते हैं, मैं भी सदन का त्याग इसके विरोध में करता हूं ।

(माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

हमारे देश के सामने एक बहुत गम्भीर समस्या है । जो लोग साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से सोचते है वह एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं । उसकी जितनी ही निन्दा की जाय उतना ही कम है ।

(इस समय १ बजकर २३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए ।)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है । मैंने घाघरा के कटान के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था लेकिन माननीय सिंचाई मंत्री जी ने उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा और न यह बताया कि उनको क्या सहायता दी जा रही है उनके मकानों के निर्माण के लिये । उसके बारे में माननीय मंत्री जी को कुछ कहना चाहिये था ।

श्री अधिष्ठाता--

वह विषय तो अब समाप्त हो गया । आप अगर कोई सूचना चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें ।

श्री सुखपाल पांडेय--

ऐसे महत्वपुर्ण प्रश्न के ऊपर माननीय उपाध्यक्ष ने सदन में माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त करने दिया, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग आधे घंटे के लिये करता हूं ।

(श्री सुखपाल पांडेय सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री मुमताज मोहम्मद खां--

मान्यवर, साम्प्रदायिकता, चाहे वह हिन्दू साम्प्रदायिकता हो, मुस्लिम साम्प्रदायिकता हो, या सिख साम्प्रदायिकता हो, वह समाज में कोढ़ की तरह से है और जो राजनैतिक दल उनकी मदद करते हैं, जो उनके द्वारा राजनैतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं, देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करते हैं । बहुत से दल ऐसे हैं जिनका नाम बहुत सीधा सादा है और ऐसा महसूस होता है कि वे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर उनके प्रोग्राम और कार्यवाही को जाकर देखा जाय तो ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई बात छिपी हुई है । उसके पीछे क्या बात छिपी हुई है । आज वह जनतंत्र की ढोल पीटते हैं, समाजवाद का ढोंग रचते हैं लेकिन उसके पीछे वह साम्प्रदायिकता की आड़ लेकर राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं । माननीय रियायत हुसैन ने जो यह संकल्प पेश किया है कि एक कमीशन की स्थापना की जाय जो ऐसे राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में जांच करे जो प्रदेश में दंगे और फिसाद कराते हैं, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज यह बात किसी से पोशीदा नहीं है कि कौन-कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि यह अपराध करते हैं और जिनका कार्यक्रम ऐसा है कि जिससे लोगों के दिलों में भेद-भाव पैदा किया जाय, साम्प्रदायिक घृणा पैदा की जाय और इस प्रकार से अपना उल्लू सीधा करके राजनीतिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शक्ति प्राप्त की जाय, जब सभी इस बात को जानते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि इस कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात अवश्य है कि हमको अपने हृदय के परिवर्तन की जरूरत है, हमको यह सोचने की जरूरत है कि साम्प्रदायिक भावनाओं को किस तरह से कुचलें। आज हमको जरूरत है राष्ट्रीय एकता की, हिन्दू मुस्लिम मुहब्बत की। इसी से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ सकता है। अगर हम इसी तरह से नफरत की भावनाओं को आगे बढ़ाते रहे, छुआछूत और भेद-भाव पैदा करते रहे तो यह निश्चित है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह पूरे समाज के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध होगा और इस तरह से हमारी उन्नति पीछे चली जायगी।

आज जब हम सुनते हैं कि फलां-फलां जगह दंगे हो गये, अलीगढ़ के मुताल्लिक सुना, मुरादाबाद के मुताल्लिक सुना, तो बड़ा दुःख होता है। मुरादाबाद और अलीगढ़ में अभी हाल ही में पार्लियामेंट के एलेक्शन के बाद बहुत बड़े दंगे हुये। उनके पीछे एक राजनीतिक हाथ था। इस तरह के वातावरण में मासूम लोग मारे जाते हैं, खून की नदियां बहती हैं, दो सम्प्रदाय के लोग एक दूसरे से जलने लगते हैं और जहां मेल-मोहब्बत का वातावरण होना चाहिये वहां नफरत और घृणा का वातावरण पैदा हो जाता है। हमारे सामने गम्भीर समस्यायें हैं, गरीबी, बेरोजगारी, जिन पर हमें पूरे तरीके से गौर करना है। अगर ऐसी भावनायें पैदा होंगी तो हम इन समस्याओं पर पूरे तरीके से गौर नहीं कर पायेंगे। हमको अपने को बदलना चाहिये। हमारे राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को मोहब्बत का वातावरण सारे प्रदेश में फैलाना चाहिये। जहां इस तरह के दंगे फिसाद हों हमें चाहिये कि हम सब मिल कर पूरी तरह से उनका मुकाबला करें और उनको दबायें। लोगों को समझायें कि वह इस तरह की फिजा पैदा करें जिससे ऐसा वातावरण तैयार हो जिससे अम्न व सकून पैदा हो। आज जब हम इस विषय पर बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा सबका यह फर्ज हो जाता है कि चाहे हम किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों, हम ऐसे दलों को घृणा की नजर से देखें जो इस तरह की खराब फिजा पैदा करती हैं जो चाहे हिन्दू साम्प्रदायिकता की, मुसलिम साम्प्रदायिकता की या सिख साम्प्रदायिकता की हवा देती हैं और तभी हम चैन व आराम की फिजा में पनप सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। इन अलफाज के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस कमीशन की कोई जरूरत नहीं है और न ऐसा कमीशन कोई फायदेमन्द काम कर सकता है और न वह किसी तरह की जांच करने में ही कामयाब हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक दल है, उसका नाम तो बहुत सीधा सादा है और ऐसा महसूस होता है कि वह बिलकुल मासूम है लेकिन उसका कार्य-क्रम सिवा आग लगाने के, सिवा भड़काने के और कुछ नहीं है। इस तरह के दल के रहते किस तरह से शांति कायम रह सकती है। इसके लिये तो हृदयों को बदलने की और समाज में ऐसा वातावरण फैलाने की जरूरत है जिससे मेल-मिलाप और मेल-जोल की भावना को हम पैदा कर सकें ताकि देश और प्रदेश आगे बढ़ सके।

*श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जिस समय हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जीवित थे, उस समय देश की सर्वोच्च संस्था लोक सभा के अन्दर स्वर्गीय डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी ने एक बार इस बात की मांग की थी कि पहले देश में इस बात का निर्णय कर लिया जाय कि 'साम्प्रदायिकता' का मतलब क्या है, 'साम्प्रदायिकता' कहते किसको हैं और कौन से दल साम्प्रदायिक हैं। सारे देश के स्तर पर एक ऐसा उच्च स्तरीय कमीशन बिठाकर इस शब्द की व्याख्या करा लें और फिर उसके अनुसार ही किसी पर साम्प्रदायिक होने का आरोप लगायें, लेकिन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने उस समय डा० मुकर्जी की इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि लोक सभा में इस बात का निर्णय हो जाय कि 'साम्प्रदायिकता' कहते किसको हैं। यह चीज साफ हो जाय। मुझे प्रसन्नता है कि भाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णस्वरूप वैश्य]

रियासत जी ने यह मांग सदन के सामने रखी कि यहां एक कमीशन की स्थापना की जाय कि जो बताये कि कौन-कौन दल साम्प्रदायिकता में विश्वास करते हैं। मेरा कहना है कि यह कमीशन केवल प्रदेश के स्तर पर नहीं वरन् साम्प्रदायिकता का सवाल सारे देश से जुड़ा है इसलिये दिल्ली की संस्था लोकसभा या भारत सरकार कोई ऐसा आयोग गठित करे जिसके द्वारा साम्प्रदायिक दलों के बारे में निर्णय किया जाय तो सुन्दर बात होगी।

मैं समझता हूं कि कौन साम्प्रदायिक दल है इसके निर्णय से पहले हम इस पर विचार करें कि साम्प्रदायिकता के अर्थ क्या हैं, साम्प्रदायिकता क्या होती है ? मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिकता के अर्थ हैं कि वह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष मत, किसी विशेष पूजा पद्धति और किसी धार्मिक पुस्तक पर आस्था रखते हों। चाहे उनका नाम शैव हो, वैष्णव हो, आर्य समाज हो, मुसलमान हो या इसाई हों। उदाहरण के लिये मुसलमान हैं, उनकी एक विशेष पूजा पद्धति है, विशेष पुस्तक पर उनकी आस्था है, उनका एक विशेष मत है लेकिन हिन्दू कोई सम्प्रदाय नहीं है, हिन्दू की कोई एक विशेष पूजा पद्धति नहीं है, कोई एक पुस्तक नहीं है। जो ईश्वर को मानता है वह भी हिन्दू है, जो मूर्ति पूजक नहीं है वह भी हिन्दू है, जो राम को मानता है वह भी हिन्दू है जो कृष्ण का मानने वाला है वह भी हिन्दू है। तो हमें निश्चय करना होगा कि किसी धर्म के नाम से साम्प्रदायिकता का संबंध नहीं है बल्कि वह तो कुछ व्यक्तियों का वह समूह है जो किसी विशेष पूजा पद्धति, किसी विशेष पुस्तक, किसी विशेष मत या महापुरुष का अनुयायी है, उसको सम्प्रदाय कहते हैं। अब आप देखें कि साम्प्रदायिकता क्या है ? वह हुई कुछ विशेष व्यक्तियों का समूह जो किसी विशेष पूजा पद्धति में आस्था रखता हो। अगर सम्प्रदाय विशेष के हित साधन के लिये उसी के हितों के बारे में सोचे और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के हितों की अवहेलना करे। उनकी आलोचना करे, उनके हितों के विपरीत काम करे, यह साम्प्रदायिकता हुई।

इसका अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति विशेष जो किसी विशेष पूजा पद्धति में आस्था रखता है, वह अपने सम्प्रदाय के हित साधन की बात सोचे और दूसरे सम्प्रदाय को उसके अनुकूल, उसके मत-मतान्तर के अनुकूल काम न करने दे। तो हमारे देश के अन्दर हमको तय करना होगा कि कौन ऐसा दल है जो किसी विशेष समाज, किसी विशेष सम्प्रदाय और किसी विशेष व्यक्ति और समूह के बारे में सोचता है और दूसरे समूह के बारे में नहीं सोचता। इसके लिये हमको कोई आचार पद्धति तय करनी पड़ेगी और यह निर्णय करना पड़ेगा। जहां तक मैं जानता हूं मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस ही है जो केवल एक विशेष मत में विश्वास करता है, एक विशेष सम्प्रदाय के बारे में विचार करता है। वह केवल मुसलमानों के हित और उन्नति की बात सोचता है। मेरा यह मतलब नहीं है कि उनके हितों की रक्षा न हो परन्तु हमको यह देखना होगा कि वे साम्प्रदायिक दल कौन हैं, जो एक विशेष सम्प्रदाय के हितों की रक्षा करते हैं और दूसरे सम्प्रदाय के हितों की रक्षा की अवहेलना करते हैं। वैसे लोकतंत्र में माइनारिटी और मेजारिटी की कल्पना, बहुमत और अल्पमत की कल्पना धर्म के आधार पर नहीं हो सकती है। बहुमत कौन है, अगर हम यह निर्णय करें कि बहुमत हिन्दू है, क्योंकि इस देश में हिन्दुओं की अधिक जन-संख्या है, और अल्पमत मुस्लिम हैं तो यह द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पुनः लाना होगा।

लोकतंत्र में बहुमत और अल्पमत का निर्णय संसद और विधान सभाओं की जो मतगणना है उसके आधार पर होता है। यदि आज अल्पमत में कोई है तो वह विरोधी दल में बैठे हुए लोग हैं। और बहुमत के तौर पर शासक कांग्रेस है। तो धर्म के आधार पर, किसी मत के आधार पर किसी सम्प्रदाय के आधार पर लोकतंत्र के अन्दर बहुमत या अल्पमत की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि देश के अन्दर यह कल्पना पैदा की जाती है कि कोई

मजहब, कोई मत या सम्प्रदाय अल्पमत है तो यह देश के विघटन का रास्ता है जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुहम्मद अली जिन्ना ने इस देश के अन्दर पैदा किया कि मुस्लिम इस देश के अंग नहीं हैं, इस देश के राष्ट्रीय नहीं हैं और इसलिये उनको अलग देश चाहिये, अलग भूमि चाहिये और अलग सरकार चाहिये क्योंकि वे अल्पमत में हैं, अलग सम्प्रदाय के हैं, अलग पूजा पद्धति को मानने वाले हैं इसलिये उनको अपना अलग भूमि खंड चाहिये जहां वे अपनी सरकार की स्थापना करेंगे । यदि आज हम भी उसी कल्पना को जीवित रखना चाहते हैं कि जो विशेष पूजा पद्धति में विश्वास रखते हैं वे ही अल्पमत हैं तो देश को फिर १९४७ की तरफ ले जाना चाहेंगे ।

आज हमारा दुर्भाग्य है कि जिसने देश का विभाजन कराया, जिसने लाहौर और रावल पिंडी को हमसे अलग कराया और जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत के कारण एक नहीं, दो नहीं बल्कि लाखों का नरसंहार हुआ, एक विदेशी देश बना, आज उसी मुस्लिम लीग को शासक कांग्रेस प्रधानता दे रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम निर्णय करें कि साम्प्रदायिक कौन है । मैं इस सदन में आरोप लगाता हूं कि देश के अन्दर यदि कोई सबसे बड़ी साम्प्रदायिक पार्टी है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली शासक कांग्रेस है और जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को जीवित करना चाहती है । और जो धर्म और मत मतान्तर के नाम पर मुस्लिमलीग, मुस्लिम मजलिस और मजलिसे मशावरत को दूध पिला रही है। आज मैं इस आरोप को फिर दोहराता हूं कि मुस्लिम लीग के जरिये ही देश में विभाजन आया और उसी मुस्लिम लीग के लिये श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि केरल की मुस्लिम लीग और है और सन् ४७ की मुस्लिम लीग और। जब कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मुहम्मद इस्माइल ने कहा है कि सारे देश की मुस्लिम लीग एक है और वही है जो पहिले थी। तो एक वर्ग विशेष के बारे में, एक सम्प्रदाय के बारे में जो आवाज उठती रहती है, उसके पीछे और कोई पार्टी न होकर केवल इंदिरा कांग्रेस है, जिसको बड़ी चिन्ता है।

जहां तक इस लोक सभा के चुनाव में, जो हिन्दू मुस्लिम का सवाल उठाया गया, यह क्यों ? इसके भी कुछ कारण हैं । जब अंग्रेज इस देश में हुकूमत करते थे तो वे अपनी हुकूमत को बनाये रखने के लिये हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाते रहते थे जिससे कि ये लोग आजादी के प्रश्न पर एक न हों, राष्ट्रीय प्रश्न पर एक न हों तो आज यह कसे हो सकता है कि जो शासन की गद्दी पर बैठे हैं, वे यह न चाहते हों कि हिन्दू और मुसलमान लड़ते रहें और मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस करें और शासनारूढ़ कांग्रेस, इंदिरा जी की कांग्रेस, उनकी संरक्षक बन कर उनके वोटों को इकट्ठा करें । आज श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों के कारण ऐसी स्थिति हो गयी है कि जिसने देश में सांप्रदायिकता फैला दी है । क्यों ये केवल एक वर्ग, एक संप्रदाय और एक मत मतांतर लोगों के बारे में सोचती हैं। उन्होंने रामपुर में एक सीट डाक्टर फरीदी के लिये छोड़ी । उन्होंने ऐसी पार्टी से क्यों समझौता किया ?

१५ अगस्त, १९४७ को पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि देश का विभाजन एक दुःखद बात हुयी । यह २ राष्ट्रवाद के सिद्धांत के कारण हुआ। यह अब दफना दिया गया है । मैं समझता हूं कि जो हिन्दुस्तान में रहता है, उसे समान अधिकार मिलेंगे और आज हमें इस बात का गर्व है कि भारत में, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को, चाहे वे किसी के पूजक हों, किसी पुस्तक और किसी पैगम्बर में विश्वास रखते हों, सबको समान अधिकार हैं, बराबर के अधिकार प्राप्त हैं । देश के नागरिक होने के नाते उनको मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं परन्तु वे जानते हैं कि अगर आज वे शांति से राष्ट्रीय प्रश्नों पर सोचें, देश की गरीबी पर सोचें, महंगाई पर सोचें तो उस समय इंदिरा जी की सरकार नहीं होगी। वे चाहते हैं कि इस देश के हिन्दू और मुसलमानों में भाई चारा न हो । इसीलिये वे मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग रखना चाहते हैं । यही वजह है कि वे आज मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस और मुस्लिम मुशावरत को दूध पिलाती हैं । साम्प्रदायिकता की व्याख्या आज दुनिया के शब्द कोषों में दी हुयी है । मैं पूछना चाहता हूं कि ये संस्थायें सांम्प्रदायिकता के अलावा और किसी राष्ट्रीय सवाल पर सोचते हैं ।

[श्री कृष्णस्वरूप वैश्य]

आज भी कांग्रेस की संसदीय पार्टी तय करती है कि किस विधान सभा और किस लोक सभा क्षेत्र में किस संप्रदाय की संख्या ज्यादा है । वह यह भी तय करती है कि यह मुस्लिम सीट है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है ? और लोगों के समान मुसलमान भी इस राष्ट्र के नागरिक हैं । उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिये, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो सबको समान अवसर देना चाहिये । वास्तव में यह तरीका कि कितने विधानसभा के लिये और कितने लोक सभा के लिये मुसलमानों को टिकट देने हैं, ही मूलभूत रूप में कम्युनल है । किसी व्यक्ति विशेष के किसी समाज के हितों की चिन्ता करना ही साम्प्रदायिकता है । वे देश के नागरिक हैं और उनके भी समान अधिकार हैं । १५ अगस्त, १९४७ के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय संविधान ने, भारत ने या भारतीय सरकार ने कौन सा सांप्रदायिकता का काम किया है और अगर करती है तो स्पष्ट है कि वे अपनी कुर्सियों को मजबूत बनाने के लिये मुसलमानों को अपनी खाट का पाया बनाकर ऐसे सवाल पैदा करते हैं । और कहते हैं कि ये भारतीय जनसंघ वाले, या संघ वाले तुमको खा डालना चाहते हैं, तुमको देश से निकालना चाहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनसंघ का वहां की महापालिका पर, वहां की मैट्रोपेलिटन कौंसिल पर अधिकार है, कौनसे अहित के काम किये हैं, उसे कोई बता सकता है ।

मैं चुनौती के साथ कहूंगा कि जनसंघ के प्रतिनिधियों ने कौन से ऐसे काम किये जो कि बाकी लोगों के हित की बात होती । क्या कोई ऐसी सड़क बनाई जिस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो कि मुसलमान उस सड़क पर नहीं चल सकते ? हां, केंद्रीय सरकार ने जरूर किया । दिल्ली के प्रशासन में जब प्रतिनिधि चुनते हैं तो नामीनेट करते हैं । जब दिल्ली में जनसंघ का प्रशासन था तो जिस मुसलमान बन्धु को मुस्लिम वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधि किया वह मुसलमान था। उसका प्रतिनिधि हिन्दू नहीं हो सकता । परन्तु केंद्रीय सरकार ने कहा कि जनसंघ जिस मुसलमान को मनोनीत करेगा वह मुसलमान वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। यह तो केंद्रीय सरकार करेगी। क्योंकि वे चाहते थे कि दिल्ली का मुसलमान यह सोचे कि हम ही अपने हितों के रक्षक हैं । मैं पूछूंगा कि दिल्ली मे कोई साम्प्रदायिक उपद्रव हुआ । जहां केंद्रीय इंदिरा गांधी की सरकारें थीं वहीं उपद्रव हुये । महाराष्ट्र में किस की सरकार थी। चहवाण साहब की सरकार थी और उस समय समाचार पत्रों में यह आया कि मिलिटरी खड़ी देखती रही । इंदिरा गांधी ने स्वयं ऐसे वक्तव्य दिये जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारा मजाक बने । और लोगों ने यह सोचा कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। हमको पहले तय करना होगा कि मूल भूतरूप में वचारिक रूप में साम्प्रदायिक दल कौन हैं ?

मैं भारतीय जनसंघ के संबंध में बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे भूतपूर्व प्रधान स्वर्गीय पंडित दीन दयालु उपाध्याय से बम्बई में एक पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों ने पूछा कि आपके भारतीय जनसंघ में कितने मुसलमान हैं । पंडित जी ने कहा, मुझे पता नहीं है । पत्रकारों ने समझा कि एक भी मुसलमान नहीं होगा । लेकिन दूसरे क्षण वे बोले, "आप पूछेंगे कि ब्राह्मण कितने हैं, सनातनी कितने हैं, शैव कितने हैं। हम मतों के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, सम्प्रदाय के हिसाब से अपने यहां लोगों को दल में नहीं मिलाते । जो दल की मूलभत नीतियों में विश्वास करते हैं, जिनके हमारे कार्यक्रमों में आस्था है वे भारतीय जनसंघ के सदस्य हैं । वे मुसलमान भी हो सकते हैं, हिन्दू भी हो सकते हैं। कांग्रेस ने यह किया है कि कितने मुसलमान हों । मंत्री जरूर एक मुसलमान हो, कलेक्टर एक जरूर मुसलमान हो । उनका यह सोचने का तरीका विचार करने का तरीका है । इस तरीके को हमारी शासकीय कांग्रेस आज भी जीवित कर रही है। मैं इस सदन के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि शासकीय कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी अपने स्वार्थ के लिये, अपनी कुर्सी बनाये रखने के लिये, जब कि इस देश में द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर दुखद घटना हो चुकी

है उसे आज भी पुनर्जीवित रक्खे हुये हैं । वे हिन्दू मुसलमान के भेद को जिन्दा रखना चाहती हैं । अगर साम्प्रदायिक सवाल हट जाय तो लोग आर्थिक और राष्ट्रीय सवालों पर सोचने लगें । देश गरीबी और भुखमरी जैसे सवालों पर सोचने लगे । ६७ में यही हुआ । चुनाव लड़ा गया गरीबी और बेकारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर और इस प्रदेश के हिन्दू मुसलमान जानते हैं कि उस समय की कांग्रेस को उन्होंने ठुकरा दिया। तो उन्होंने समझा कि मुसलमान विचारों के आधार पर संसोपा में गया, प्रसोपा में गया, कम्युनिस्ट पार्टी में गया, स्वतंत्र पार्टी में गया और कांग्रेस हार गई। तो मुसलमानों को अपने पास रखने के लिये, मुसलमानों को गरीब रखने के लिये, उसके हमको वोट मिलते रहें, इसलिये कोई न कोई षड़यंत्र किया जाय जिससे मुसलमान समझते रहें कि इस देश में हम असुरक्षित हैं । इसलिये जो सवाल उत्पन्न होते हैं उन सवालों को शासकीय कांग्रेस स्वयं उत्पन्न करती है ।

कल राय साहब कह रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी लखनऊ आईं और स्वयं कह गईं कि उर्दू को कान्सटीट्यूशल स्टेट्स नहीं मिला उत्तर प्रदेश में । यह किसने उठाई बात । श्रीमती इंदिरा गांधी क्यों लोक सभा में चुनी गईं इसलिये कि मुसलमान यह समझता था कि उर्दू इस देश की दूसरी भाषा हो जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि शासकीय दल, शासकीय कांग्रेस सत्ता पर बने रहने के लिये साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है । साम्प्रदायिक तत्वों को पनाह दे रहा है और यह आगे प्रांतीय स्तर पर कोई कारगर काम नहीं कर सकता । तो यह सवाल राष्ट्रीय सवाल है । यदि लोकसभा के अन्दर निर्णय हो कि साम्प्रदायिक कौन है, साम्प्रदायिकता क्या है, कौन साम्प्रदायिक दल है और कौन साम्प्रदायिकता फैला रहा है, तब इस समस्या का समाधान हो सकता है । केवल वोट के लिये इंदिरा कांग्रेस और इंदिरा जी इस देश की सीमा और सुरक्षा से खिलवाड़ न करें ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त ।

*राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन्, यह प्रश्न जो यहां प्रस्तुत हुआ है मैं तो यह समझता हूं कि यह व्यर्थ ही यहां पर आया है । मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं चूंकि ऐसी बात करने से यह मालूम पड़ता है कि यहां तमाम साम्प्रदायिक झगड़े हैं । जहां इस तरह की बात होती है, वहां कुछ इधर से कहा जाता है, कुछ उधर से कहा जाता है, दोनों तरफ से कुछ न कुछ बात होती है । इसलिये मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव से कोई लाभ होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि इससे कुछ ऐसी बात ही जाहिर होगी कि हम लोगों में बड़ा झगड़ा और बमनस्य है ।

श्रीमन्, सम्प्रदाय शब्द के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं । मजहब, मत, और धर्म में बड़ा अन्तर है । धर्म तो सबकी भलाई के लिये होता है । सच बोलना, दया दिखाना, अच्छे काम करना--इनके बारे में किसी मजहब में कोई मतभेद नहीं है। तो हम लोगों में एक सद्भावना पैदा होनी चाहिये । बार-बार हिन्दू-मुसलमान कहने से जान पड़ता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं । एक बार एक स्थान पर लोग कह रहे थे--हिन्दू-मुस्लिम भाई--भाई जैसे हिन्दी-चीनी भाई-भाई कहा जाता है । मैंने उन लोगों से कहा हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई कहने से ऐसा जान पड़ता है कि और लोगों, सिख, जैन, पारसी, से कोई मतलब ही नहीं है । मैंने कहा कि इसको यों कर दिया जाय-- हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय सब भाई-भाई । हमारी एक भारतमाता है, एक भाषा है, एक लिपि है । जैसे उर्दू का प्रश्न आ जाता है । मैं कहता हूं उर्दू का साहित्य बड़ा सुन्दर है । सभी भाषाओं में नाना प्रकार का साहित्य है लेकिन कुछ लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा रणंजय सिंह]

इसमें मुसलमानों का मामला खड़ा कर देते हैं, यह ठीक नहीं है। भाषा तो देश की है। हमारी राष्ट्र भाषा है, और भी भाषाएं हैं, सभी को प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसे समय में इस तरह के प्रश्न उठाकर झगड़े ही पैदा होते हैं। अगर हम लोग भ्रातृभाव से चलने लगें तो सब समस्यायें हल हो सकती हैं। हमारा यह विचार रहे कि जो अच्छा है वह अच्छा है और जो बुरा है वह बुरा है। जो गुंडई करता है, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो और चाहे ईसाई हो, उसे प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। तो निष्पक्ष हो कर न्यायपूर्ण तरीके से हम चलें तो सब झगड़े समाप्त किये जा सकते हैं।

साम्प्रदायिकता के नाम पर तो हम लोग चलते रहेंगे, मजहब सबका एक साथ नहीं हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि सब मिल जायें। सब के अपने-अपने विचार हैं क्योंकि कोई समझता है कि हम पूरब की ओर मुंह करके पूजा करेंगे और कोई समझता है कि हम पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा करेंगे। इसमें झगड़े की कौन सी बात है, बल्कि जरूरी यह बात है कि सबको समझना चाहिये और समझाना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि किसी धर्म का प्रचार न हो, किया यह जाना चाहिये कि सबका प्रचार हो। देखना यह है कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात ठीक नहीं है। लड़ाई झगड़ा किसी का दिल दुखाने के लिये और किसी को नुक्सान पहुंचाने के लिये नहीं होना चाहिये। इन बातों को सोचते हुए हम लोगों को कोई ऐसी बात नहीं पैदा होने देनी चाहिये जिससे कि आपस में बैमनस्य बढ़े। हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और भारतमाता के पुत्र हैं चाहें हिन्दू हों और चाहे मुसलमान हों। हिन्दू मुस्लिम यूनिटी और हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रश्न उठाये जाते हैं। मैं तो यही समझता हूं कि जिसके मन में जो होगा वह वैसा ही करेगा, मगर हमारी भावना यह होनी चाहिये कि आपस में मेल से रहें और लड़ाई झगड़ा पैदा न हो। कभी-कभी तो झगड़ा छोटी-छोटी बात पर हो जाता है। हमारा राज्य धर्मनिर्पेक्ष कहा जाता है। यह शब्द ठीक नहीं है साम्प्रदायिकता निर्पेक्ष ठीक है। शासन की ओर से तो ठीक है। यह अर्थ लगाया जाता है कि सभी धर्मों के मानने वालों के विचारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। वह तो दूसरी बात है। शब्दों में और उनके अर्थ को समझने में कुछ भूल हो गयी है।

हमारा साहित्य और संस्कृति भरपूर है और उसमें धर्म के प्रति सब कुछ भरा हुआ है। बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं जिनको कि लोग नहीं जानते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन बातों को उन लोगों को सिखलायें, तभी नैतिक सुधार हो सकता है और देशवासियों में आपस में प्रेम तभी पैदा होगा। मिल जुल कर सब लोगों को चलना चाहिये और जीने और मरने के लिये तैयार रहना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि जो कमीशन आप बिठाते हैं उनसे क्या होगा ? नाना प्रकार के लोग अपने-अपने विचार रख रहे हैं और अपने मजहब को अपनाने का अधिकार सबको है। मैं निवेदन कर रहा था कि किसी के दिल को दुखाने के लिये झगड़ा नहीं होना चाहिये।

एक बार यहां पर मैंने १२-१२-५२ को उत्तर प्रदेश गोवंश संरक्षण विधेयक रखा। तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त जी ने उस पर एक लम्बा भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि उस महत्वपूर्ण विषय में साम्प्रदायिकता का वातावरण नहीं होना चाहिये। पश्चात् में खड़ा हुआ और मैंने निवेदन किया कि मैं उसे साम्प्रदायिकता के विचार से नहीं कर रहा हूं और न ही मैं इसे किसी मजहब के लिये कर रहा हूं। तब माननीय पन्त जी ने कहा कि मैं आपको साम्प्रदायिक नहीं कह रहा हूं। मेरी आज ७० वर्ष की अवस्था है और मैं जन-सेवा में लगा हुआ हूं। हिन्दी भाषा का प्रचार करना भी साम्प्रदायिक मान लिया गया और गौ माता की रक्षा करने के लिये भी ऐसा मान लिया गया। हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि आपस में कोई झगड़ा न हो और सब लोगों को मिल जुलकर रहना चाहिये। एकता उत्पन्न करने के लिये आप कमीशन बिठाते हैं। हम तो सबसे प्रेम करते हैं और हमारा द्वार

सब के लिये खुला हुआ है, जो चाहे आये। हम तो सब की भलाई चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं दो श्लोक सुनाता हूं:—

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माकिश्चेद्दुः भाग्भवेत्।
न तहं कामये राज्यं
न स्वर्गं नामुनरभवम्।
कामये दुःखताप्तानं
प्राणिनामानिनाशनम्॥

तो हम लोग तो सब के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं। होना यह चाहिये कि हम सब इस देश को एक मानें। गालिब मार्ग बनने लगा और स्वर्गीय श्री अतीकुर्रहमान को उद्घाटन के लिये बुलाया गया। गालिब मार्ग बने मगर यह भूल नहीं होनी चाहिये कि गालिब मार्ग का उद्घाटन करने के लिये किसी मुसलमान को ही बुलाया जाये। अगर उद्घाटन होना है तो यह नहीं होना चाहिये कि हिन्दू मुसलमानों से संबंधित उद्घाटनों में न जायें। तो ये सब बातें होती रहती हैं।

इसलिये हमको चाहिये कि हम देश को देश समझें, भाषा को भाषा समझें और एकता के लिये कार्य करें, जैसा कि मैंने कहा कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, भारतीय सब भाई-भाई हैं।

*श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से साम्प्रयिकता पर कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। संगठन कांग्रेस गांधी जी के सिद्धांतों और उसूलों पर चलती रही है और जब तक गांधी जी का नाम इस देश में रहेगा, गांधी जी के सिद्धांत रहेंगे, संगठन कांग्रेस का एक भी सदस्य इस सदन में रहेगा तो उन सिद्धांतों पर चलता रहेगा। संगठन कांग्रेस ने हमेशा और गांधी जी ने हमेशा अल्पसंख्यकों को उठाया है और रक्षा की है। उनके उठाने में जहां तक संभव हो सकता है आज से नहीं जब से आजादी आई है और उसके पहले से इस संस्था ने कार्य किया है। मान्यवर, जहां तक प्रश्न है साम्प्रदायिकता का, मैं हिन्दू मुसलमान की विवेचना में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन हिन्दू धर्म वह धर्म है जिसमें जितनी भी चीजें हम आंख से देखते हैं सभी को माना है और सभी की पूजा की है। मान्यवर, आज चाहें पेड़ हो, पौधा हो, चाहे जीव हो, निर्जीव हो हिन्दू धर्म ने उसको ईश्वर रूप में माना है। मान्यवर, इस देश में शासन कांग्रेस ने साम्प्रदायिकता के नाम पर ललकारा है जिससे वह अपनी कुर्सी पर बैठे रह सकें लेकिन यह प्रदेश संभल गया है और इनके कारनामों को समझ गया है। जब इस प्रदेश में चुनाव आने वाले थे तो उन्होंने हिन्दू मुसलमान के सवाल को बुलन्द किया है। इन्दिरा जी ने लखनऊ में आकर जैसा कि अभी एक साथी ने कहा, कहा कि उर्दू को इस प्रदेश मे न्याय नहीं मिला है। जिस समय वह इससे पहले प्रधान मन्त्री थीं, जिस समय वह कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और जब वह राजनैतिक जीवन बिता रही थीं उस समय उनको यह याद नहीं आई थी। जब इलेक्शन का अवसर आया उस समय इस संस्था को मुसलमानों के प्रति हमदर्दी होती है और हिन्दू-मुसलमान का सवाल आता है। हिन्दू और उर्दू का सवाल उठता है।

मान्यवर, इस प्रदेश के मुसलमान को अब गुमराह नहीं किया जा सकता है। वह अपनी गरीबी की ओर देखता है। बच्चों को दवा नहीं मिल रही है और वह भूख से तड़प रहे हैं। उनको यह लोग या सरकार मान्यवर ऐसे मौके पर केवल हिन्दू-मुसलमान का सवाल उठाकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरज शंकर तिवारी]

इस प्रदेश के और देश के हिन्दू मुसलमानों को गुमराह करती है। तो इस प्रदेश की और देश की एकता को उस ओर बैठने वाले लोगों ने नष्ट किया है और तबाह किया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देहात में जब ताजिया रखा जाता है तो मैंने हिन्दुओं को उसी तरह रोते और तड़फते देखा है जिस तरह से मुसलमान करते हैं। दशहरे पर मैंने देखा है कि मुसलमान बच्चे भी हिन्दू बच्चों की तरह खेलते और तालियां पीटते हैं। ताजिये के अवसर पर मैं गांव गया था तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया जब मैंने हिन्दू औरतों को भी मुसलमानों की औरतों की तरह रोते और तड़फते देखा। लेकिन कुर्सी के लिये, पद के लिये इन इंडीकेट भाइयों ने इस देश और प्रदेश को तबाह कर दिया है।

मान्यवर, इस पार्टी के लोगों ने कुछ धन देकर, कुछ लिटरेचर देकर हिन्दू मुसलमान के इस बीज को सारे देश में बोया है। आज भी आप गांव में जाकर देखें तो क्या हिन्दू और मुसलमान साथ साथ खेत पर काम नहीं करते, चोरी और डकैती में क्या उनका नाम साथ-साथ नहीं आता। इससे मान्यवर मेरे कहने का मतलब यह है कि संगीन से संगीन काम को भी हिन्दू मुसलमान साथ साथ करते हैं। चाहे सही काम हो या गलत काम हो दोनों उसको एक साथ करते हैं। लेकिन आज मान्यवर, इंदिरा गांधी की हुकूमत ने प्रदेश को और देश को गुमराह और तबाह कर दिया है। सबसे बड़ा साम्प्रदायिकता का इल्जाम हमें इनके ऊपर लगाना होगा। जब यह खुद साम्प्रदायिकता फैलाते हैं तो दूसरे को क्या सबक देंगे। उर्दू का सवाल आया। इन्होंने उर्दू के लिये एक पैसा बजट में नहीं रखा लेकिन बजट भाषण में कुछ शब्द कह कर हिन्दू और मुसलमान को गुमराह कर दिया है। जहां मान्यवर, हम राष्ट्रीय भावना की ओर चल रहे थे, इन्होंने उसको नष्ट कर दिया है। मान्यवर, इस देश की आजादी में जहां भगत सिंह को फांसी हुई थी तो वहीं बिस्मिल ने कहा था "सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है"। आज इन्होंने हिन्दू और मुसलमान की इतनी बड़ी एकता को खत्म कर दिया है। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि साम्प्रदायिकता का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इंडीकेट पार्टी के ऊपर है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--

अधिष्ठाता महोदय, आज जो भाई रियासत हुसेन ने संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं अपने ख्याल से समझता हूं कि इसकी आज के जमाने में आवश्यकता नहीं थी। रियासत साहब तो उठकर चले गये, मैं उन्हें बताना चाहता था :

शजर है फिरका आराई तासुब्ब है समर इसका
यह वह फल है कि जन्नत से निकलवाता है आदम को।

श्री अधिष्ठाता--

रियासत हुसैन जी बैठे हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--

माफ कीजिये, मैंने देखा नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय जो साम्प्रदायिकता बढ़ाती हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसके मायने क्या हैं। रियासत साहब जब जवाब देंगे तो वह उत्तर देने की कृपा करें कि यहां सिया-सुन्नी के झगड़े होते हैं, वे किस आधार पर होते हैं। बेगम ऐजाज रसूल के पति नवाब ऐजाज रसूल ने आज से १८ वर्ष पहले मुझसे और स्वर्गीय छेदालाल जी से बताया था कि उनके यहां बच्चे का जन्म होता तो

उसकी जन्मपत्री लिखी जाती है और उनके यहां पुरोहित बुलाया जाता है । वह बतला रहे थे कि उनके जन्म पर पुरोहित बुलाया गया जिसने कहा कि १३ वर्ष में यह होगा और इतने वर्ष में विधान सभा के सदस्य होंगे ।

आज भी वहां पर पुरोहित बुलाये जाते हैं और वे इन सब बातों को मानते हैं । मैं तो ऐसे बहुत से घोसियों को जानता हूं जो गोमाता की पूजा करते हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे वह हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, उनके किसी के दिमाग में ऐसी बातें नहीं आया करतीं । यह बातें तो केवल उनके दिमाग में आती हैं जो कि राजनीति के खिलाड़ी हैं । वे ही साम्प्रदायिकता की बात करते हैं । जिन लोगों ने इतिहास को देखा है, वह अच्छी तरह से जानते होंगे कि यहां का रहने वाला हिन्दू था ही नहीं, उसको सिन्धू कहा जाता था । इसी तरह से जो शब्द "समुन्द्र या दरिया है" इसे सिंधु भी कहा जाता था. किन्तु यहां पर विदेशियों के आने पर धीरे धीरे परिवर्तन हो गया और सिन्धु को हिन्दू कहा जाने लगा । हमारा हिन्दू धर्म विशाल है, यहां मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म आदि जो हैं वे सब ही हिन्दुस्तानी हैं मुसलमान धर्म से मोहम्मद साहब को, ईसाई धर्म से ईशामसी को निकाल दें, या अन्य जितने भी धर्म हैं अगर उनके बुजुर्गों को उसमें से निकाल दें तो फिर उस धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जायेगा । पर हिन्दू धर्म से राम को, कृष्ण को भी हटा दिया जाय तो यह हिन्दू धर्म बरकरार रहेगा । हमारे इस विशाल देश में हिन्दू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई, जैन धर्म वाले तथा अन्य सभी धर्म वाले रहते हैं । ३६ करोड़ देवताओं का यह हमारा देश है । अगर कोई आदमी समुन्द्र को एक छोटे से पैमाने से नापना चाहे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह कैसे नाप सकता है । अधिष्ठाता महोदय, हम तो उस वर्ग के हैं जिसको सभी ने तिरस्कार की नजर से देखा है । हमें तो यह कहना पड़ता है कि "किसी को क्या खबर बिसमिल के दिल में क्या गुजरती है, यहां सब हैं, खमे अबरूए कातिल देखने वाले ।"

मैं अपने भाई साहब श्री रियासत हुसेन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि आज से करीब ३५ साल पहले हमारे लखनऊ शहर में जो मेहतर रहते थे उनके दो वर्ग हो गये—एक लाल बेगी कहे जाने लगे और एक मेहतर बाल्मीकी कहे जाने लगे । पहले आपस में सभी क रीति रिवाज एक थे, एक साथ पंचायतें होती थीं, एक साथ बैठते थे । आज जबकि हम लोग विवाह शादी के अवसर पर पत्तल में खाते हैं और जो ऐसे मुसलमान हैं, जिनके दादा परदाद भी मुसलमान थे वे हमारे यहां पत्तल में खाते थे लेकिन आज वे लालबेगी जो मुसलमान बनते हैं वे कहते हैं कि हमें रकाबी में खिलाइये, हम पत्तल में नहीं खायेंगे । मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह साम्प्रदायिकता कहां से आयी ? कभी आपने इस पर विचार किया ? यह लालबेगी कहे जाने वाले लोग रोजा भी रखते हैं, निकाह भी पढ़वाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मगर इन लोगों को अपनी अलग मसजिद में जाकर नमाज पढ़ना पड़ती है, वह आपकी (अन्य मुसलमानों की) मसजिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते । मैं उदाहरण के लिये आपको बता दूं कि यहां लखनऊ में ही कैसरबाग सब्जी मंडी के पास लालबेगी कहे जाने वालों की अलग मसजिदें हैं । आम मुसलमानों की मसजिद में आज लालबेगी मेहतर जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता । भाई रियासत हुसेन जी यह सब क्या है, कभी आपने इस पर विचार किया ?

यहां पर रेडियो स्टेशन है, वहां पर मेरे एक रिश्तेदार लगते हैं जिनका नाम था उनता, जो लालबेगी हैं मगर उनको मजबूर होकर अपना नाम बदलना पड़ा, और बाद को उन्होंने अपना नाम बदल कर मुमताज अली रखा । वह तबलावादक हैं और ड्रामे में पार्ट भी करते हैं । इस तरह से यह बातें भाई रियासत हुसेन की मेरी समझ में नहीं आती हैं कि उनके द्वारा साम्प्रदायिकता की बात क्यों उठाई जाती है । श्रीमन् अभी जनसंघ के माननीय सदस्य बोल रहे थे । मैं कहता हूं कि यह मर्ज तो उन्हीं लोगों ने शुरू किया है । मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा है, जो आज मुसलमान हैं, लेकिन उनके ग्रांड फादर, ग्रेट

[श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि]

ग्रांड फादर्स के नाम रामप्रसाद, रामलाल आदि थे । तो वे मुसलमान भाई आज रोजा रखते हैं, नमाज आदि पढ़ते हैं तथा दूसरे मजहबी काम करते हैं । ये लोग, जो इस तरह की संकीर्ण दृष्टि रखते हैं, उनकी ठोकरों के ठुकराये हुये हैं, जो गरीब लोग थे, उन्होंने दूसरे धर्म की गोद में जाकर पनाह ली । फिर भी इन हिन्दू धर्म के लोगों की आंख नहीं खुली है और यह अपने कामों से बाज नहीं आ रहे हैं ।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब हमारे भूतपूर्व विधायक श्री बेचनराम ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो श्री कारपात्री जी ने उसका विरोध किया था और उसका विरोध करने पर वह गिरफ्तार किये गये थे । तो यह है इनकी साम्प्रदायिकता का नमूना । इस प्रकार से हिन्दू धर्म के ठेकेदार हरिजनों को हिन्दू होने पर भी मंदिर आदि जगह पर प्रवेश नहीं करने देते हैं और उन्हें हिन्दू धर्म छोड़ने के लिए विवश करते हैं । यह चीज बहुत गलत है । मैंने उपरोक्त घटना को लेकर एक वक्तव्य दिया था, जो कि 'नवभारत' में निकला था । मैंने उसमें लिखा था कि दालमंडी बनारस की मंगलामुखियों की लिपस्टिक और फेस पाउडर की फिक्र करने वालों के प्रवेश से मंदिरों की पवित्रता नष्ट नहीं होती किन्तु इन हिन्दू देवताओं पर श्रद्धा रखने वाले हरिजनों के प्रवेश से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाती है । "अभिगात्राणो शुद्धयन्ति सत्येन मनः विद्या तपोभ्याम भूतात्मा शुद्धयति बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति" । उसमें मैंने लिखा था कि जिन्होंने गंगा जी में स्नान कर पवित्रता का सर्टिफिकेट लगा लिया था, उनके मंदिर प्रवेश से मंदिर की पवित्रता कैसे नष्ट हो जाती । हमारे हिन्दू भाई इस पर ध्यान दें, जो बीत चुका है उसको भुलाकर वह आगे की फिक्र करें । हमारे हिन्दू और मुसलमान दोनों भाई हमारे बारे में तंगनजरिया रखते हैं । मुसलमान भाई भी इस इल्जाम से बरी नहीं हो सकते । जो राजनीति के खिलाड़ी हैं यह बात उन्हीं के दिमाग में आ सकती है । मैंने सभी धर्मों—हिन्दू धर्म, इस्लाम, जैन और बुद्ध धर्म, आर्य समाज और सनातन धर्म का अध्ययन किया है उनकी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं । मैंने किसी धर्म की पुस्तक में यह नहीं देखा कि चोरी करना या झूठ बोलना जिसमें मना न हो । सभी धर्मों में चोरी करना, झूठ बोलना, अत्याचार करने की मनाहीं हैं । लेकिन यह दुनिया के इंसान अपनी खुदगर्जी में आकर यह सब करते हैं और अपने को तमाम छोटे-छोटे दायरों में बांट लेते हैं । "आये एक ही धाम से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गये बारह बांट ।" मैं चाहूंगा रियासत हुसेन साहब अपने दिमाग पर जोर देकर देखें, आज इस बात की जरूरत नहीं है जब हम विदेशियों की नजर में चढ़ गये हैं । बंगाल देश को लेकर पाकिस्तान और चीन से हमारा तालुक बिगड़ रहा है हमें चाहिये कि हम अपने छोटे-छोटे दायरों को मिटा दें । इस तरह की छोटी-मोटी बातें रखना मेरे अपने दिमाग से सही नहीं है । मैं फिर रियासत हुसैन भाई से कहूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मान्यवर, सोशलिस्ट पार्टी की एक स्पष्ट सी स्थिति है और हम लोग मजहब में यकीन रखते ही नहीं । मेरी नजर में दो ही मजहब हैं । एक बड़े लोगों का एक छोटे लोगों का । एक गरीबों का एक अमीरों का । न हम कभी इस तरह की बात सोचते हैं । मुझे इकबाल का वह शेर याद है "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा" हम इसमें यकीन रखते हैं । मैं नहीं जानता कि इस बदले हुए माहौल में हमारे लायक दोस्त अपने इस प्रस्ताव पर अडिग रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि वह चाहते हैं कि इसलिये साम्प्रदायिकता की परिभाषा की जाय, कि हिन्दू मुसलमानों के जो रोज तफरकात बढ़ते हैं, उन्हें कैसे खत्म किया जाय, उनकी वजह से जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, उनका इलाज क्या हो, इसकी तहत में उन्होंने यह सोचा कि सरकारी तौर पर इसका कोई इलाज हो सके । इसके कारण क्या हैं इसका बारे पता लगाये हुए शायद इसका इलाज

न हो सके । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब बाबर देश में आया था किसी हिन्दू राजा से लड़ाई हुई ? जब तैमूर लंग ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त भी मुसलमान शासक था । नादिरशाह ने जब लूटपाट की तब भी कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं था । हिन्दुस्तान में उस समय भी मुसलमान शासक थ । जो बड़ा भारी खूंरेजी १९४७ के बटवारे के बाद हुई कोई मंदिर और मसजिद का झगड़ा था ? उस वक्त भी मामला राजनीतिक था ।

१९२४ में जब सबसे पहले हिन्दू मुसलमान का दंगा हुआ तो १९२५ में सभी दलों की एक कानफरेंस हुई जिसमें जिन्ना साहब, शौकतअली साहब और दूसरे मजहब के नेता थे । उसमें भी तमाम बातों के रहते हुए इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि हर मजहब के लोगों के लिये या जो इस मुल्क के मुसलमान हैं उनको उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये तमाम राजनीतिक संस्थाओं में । यह यहां बुनियाद पड़ती है । यह चीज आगे बढ़ती गयी और राजनीतिक मामलों को लेकर दो सम्प्रदाय बनते गये । मुसलिम सम्प्रदाय का जिसने प्रतिनिधत्व किया उसका नाम मुसलिम लीग पड़ा । कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि वह हिन्दुओं की संस्था है लेकिन समझा जाने लगा कि शायद हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है हालांकि यह बात असलियत से दूर है । कुछ नौकरियों का बहाना लेकर एक बड़ा भारी फसाद खड़ा हुआ । लेकिन उसके पीछे कायदे आजम जिन्ना की वह ऊंची तम्मनायें थीं हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने की । और उसमें जो बर्तानिया की हुकूमत थी उसने काफी मदद पहुंचायी । उनके पास पापुलारिटी थी नहीं, सिवा इसके कि हिन्दू मुसलमानों को अलग करवा कर, या हिन्दू मुसलमान का राजनीतिक द्वेष उभार कर अपनी राजनीतिक चाल चलते और कोई चारा नहीं था । इसको लेकर वह दुर्भाग्य का दिन था जब हमारे देश के दो टुकड़े हो गये केवल इस आधार पर हिन्दू मुसलमान अलग हैं । यह मामला यहां तक बढ़ा कि बंगाल में भी दो बंगाल हो गये और पंजाब में भी दो पंजाब हो गये । हिन्दू मुसलमान के नाम पर यह चीजें हुई । जिस हिन्दू मुसलमान के नाम पर दो देश बन गये उस दिन ही इस बात की नीव पड़ गयी, शायद ये चीजें आगे बढ़ेगी । यह हमारे ऊपर था कि हम उसको कहां तक खत्म करते हैं ।

हिन्दुस्तान में हुकूमत जिस दल की बनी उसका आज तक एक छत्र शासन है । इसमें भी कोई असंगति नहीं होगी जैसा कि मैंने प्रारभ में निवेदन किया था कि यह जो हिन्दुस्तान में दंगे हुये उनके पीछे राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में रखना ही एक ध्येय होता था । उस सम्बन्ध में समय-समय पर कुछ तबदीलियां और सुधार हुए जसे इस बजट में उर्दू के लिये एक एकेडेमी स्थापित करने की घोषणा हुई है । ऐसी घोषणायें समय समय पर हुई हैं । मौजूदा काल में यह सवाल अहम बना हुआ है । उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । फरवरी और मार्च में पिछला चुनाव हुआ पार्लियामेंट का और इन चुनावों के पहले दिसम्बर ७० में अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ । वह मुसलिम सम्मेलन दिल्ली में हुआ और उसने इस बात का फैसला लिया कि एक ही सम्प्रदाय मुसलमानों का हो । लेकिन जब प्रान्तीय कान्फरस मुरादाबाद में हुई तो मुझे याद है यह कहा गया कि हिन्द के मुसलमान उन लोगों में नहीं हैं जिनको डराया जा सके जिनको धमकाया जा सके । एक तरफा कोई चीज नहीं होती । हिन्दुओं में भी लोग हैं जो भड़कते हैं । उनका खयाल यह है कि हिन्दुओं की पूजा की पद्धति अलग है, मुसलमानों की पूजा की पद्धति अलग है । इसको लेकर विवाद बढ़े और उन विवादों के कारण दंगे हुये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ में दंगे हुए । क्या कोई पूजा का झगड़ा था ? नहीं वह सीट का झगड़ा था । एक उम्मीदवार बाहर से आकर खड़े हुये । दूसरे फिरके का कहना था कि हमारे यहां का उम्मीदवार खड़ा हो । दोनों ओर से सीट को लेकर झगड़ा हुआ । उसकी जांच हो रही है । पता नहीं क्या होगा ? मुरादाबाद में झगड़ा हुआ । १९६४ में राउरकेला में झगड़ा हुआ । सोशल टीम ने उसे स्टडी किया । उसका कहना था

[श्री रामधारी शास्त्री]

कि किसी एक जगह झगड़े की हवा होती है और दूसरी जगह वह फैलती है और निष्कर्ष यह होता है कि उससे बड़ा झगड़ा हो जाया करता है। आंकड़ों से साबित किया गया कि ऐसे जो झगड़े हुए वे किसी न किसी जलूस निकालने के लिये हुये, फिर उसने वृहद रूप अख्तियार किया। इसको लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस की अखिल भारतीय कमेटी ने एक पैनल मुकर्रर किया उस पैनल ने कोई सुझाव नहीं दिया। देखना यह है कि उन्हें रोकने के लिये उसी कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है वह कहां तक अमल करेगी? उन्होंने सिफारिश की कि अगर लगातार १२ घंटे तक किसी स्थान पर दंगा चले तो वहां के स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय, उन्हें सजा दी जाय। अगर १२ घंटे से ज्यादा २४ घंटे तक दंगा रहे तो उसके लिये निश्चित रूप से होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और आई० जी० उत्तरदायी हैं और अगर ४८ घंटे से ज्यादा दंगे चलते चलते हैं तो निश्चित रूप से वह किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी मानी जानी चाहिये। यह इंडीकेट कांग्रेस के फोरम के पेनल की रिपोर्ट है मायनारिटीज के सम्बन्ध में।

अब आने वाली सरकारें किस हद तक इसका पालन करती हैं यह देखने की बात है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह जो दंगे होते हैं उस सिलसिले में अगर कोई सम्प्रदाय, दल अथवा पारटी ऐसी है जो हिन्दू मुसलमानों के दंगों का लाभ उठाती है तो निश्चित रूप से एक कमीशन होना चाहिये उसकी जांच करने के लिये। अब यह भी एक जटिल प्रश्न होगा कि वह कमीशन कैसे लोगों का हो, किस तरह से है और कैसे बनेगा? मेरे मित्र ऐसा कहने के लिये मुझे क्षमा करेंगे कि पिछले सन १९६७ के चुनावों में इन्डीकेट कांग्रेस के लिये एक खतरे की घंटी थी। उस चुनाव में यह साफ जाहिर था कि मुसलमान भाइयों ने हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया जिसकी वजह से केन्द्र में तो नहीं किन्तु अन्य विभिन्न राज्यों की परम्परा-वादी कांग्रेस की सरकारों में टूट प्रारम्भ हो गई।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम मशावरात और इसी प्रकार के अन्य सम्प्रदाय, साम्प्रदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं। चुनाव के दौरान उनसे समझौता कर लिया जाता है और एक ही झंडे के नीचे एक ही मंच पर भाषण भी दिये जाते हैं। डी० एम० के० की आज क्या हालत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह राम और रावण की लड़ाई करवाना चाहता है वह आज आपसे लड़ाई लड़ कर अलग देश की मांग करता है। तो यह सब किसने किया और इसकी जिम्मेदार कौन है---इसकी जिम्मेदार है केन्द्र की सत्ता रूढ़ सरकार। मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि राजनीतिक शक्ति ग्रहण करने के पश्चात् हमेशा साम्प्रदायिकता का उभार होता रहा है। मेरे मित्र क्षमा करेंगे कि जो यदि इस हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी साम्प्रदायिक जमात् हो सकती है और पिछले दो वर्ष के इतिहास को अगर आप देखें तो उससे मालूम होगा कि इस देश में सबसे बड़ी साम्प्रदायिक जमात इस इन्डीकेट कांग्रेस की जमात कही जा सकती है जिसने कि इस देश में इस प्रकार की साम्प्रदायिक भावनाओं को बल दिया है, दे रही है और शायद और भी दे क्योंकि इनके जो तरीके हैं, इनके जो तजुर्बे हैं और छोटे-छोटे लुभावने नारे हैं उनसे जन साधारण प्रभावित हो जाते हैं।

मान्यवर, मेरे मित्र मेरे यह कहने को भी क्षमा करेंगे कि मुसलमान भाइयों की यह प्रवृत्ति रही है कि सत्ता जिसके हाथ में है, अपवाद को छोड़ कर, उसी का साथ इन्होंने दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो अपने को धर्म के ठेकेदार कहते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो मंदिरों और मजिस्दों की मरम्मत कर दी जाती है। टूटे मंदिर-मस्जिदों का निर्माण होने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिये कि वोट लेने के बहाने से उन से चालबाजी खेली जाती है और उनको लालायित कर दिया जाता है उनको लुभाव दिया जाता है ताकि वे चुनाव में जीत जायं और उनको कुर्सी मिल सके। अतः श्रीमन्, मेरी तो निश्चित धारणा है कि इसके लिये दो उपाय होने चाहिये। मेरे मित्र माननीय

रियासत जी ने कुछ सुझाव दिये हैं और वे निषेधात्मक हैं, मान्यवर वे नेगेटिव हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिये दो पहलू होते हैं एक विधेयात्मक और दूसरा निषेधात्मक।

मान्यवर, साम्प्रदायिक समस्या को दूर करने के लिये यह जरूरी नहीं है कि किसी कमीशन को ही बठाया जाय। सबसे पहला प्रयास यह करना चाहिये कि जो यह रोग पैदा हो गया है उसे दूर करने के लिये कमीशन की जरूरत न पड़े और अपने आप हम इस समस्या का समाधान कर लें। अगर यह हो जाय तो बहुत अच्छी बात है मान्यवर, मैं टर्की के पुराने इतिहास की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि वहां पर एक कमाल अतातुर्क नामक प्रेसीडेन्ट था जिसने कि इस ७ वर्ष के अन्दर ही वहां पर साम्प्रदायिक आन्दोलन कराया था साम्प्रदायिक लोगों की बठकें करवाता था उसने उस देश में इस प्रकार का यह आदेश निकाल दिया था कि कोई भी स्त्री सड़क पर बिना बुरका पहने चल सकती ह और वहां की कोई भी लड़की विदेश पढ़ने के लिये जा सकती है। मान्यवर इतिहास साक्षी है कि उसने यह भी आर्डर निकाला था कि शुक्रवार को नमाज़ नहीं पढ़ा जायेगा और जो मुल्ला नमाज पढ़ेगा उसकी टोपी ऐसी होगी जिसके आगे से उसका छोर निकला होगा ताकि जमीन पर उसका सिर न लग सके।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू मुसलमान में एकता लाने के लिये बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है। यहां पर कुछ सुझाव भी दिये गये हैं। मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इसके लिये सरकार और सरकारी यंत्रों का कसूर होता है। मैं आपको एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं जब पहले-पहल अंग्रेजी राज्य की छत्र-छाया में सन् ३७ में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। सन १९३८–३९ में बाम्बे में बड़ा भारी दंगा हुआ। मुल्क के कई हिस्सों में हुआ, वहां बम्बई में भी हुआ। वहां के० एम० मुन्शी साहब, होम मिनिस्टर थे, और रेकार्ड है कि शायद १० घंटे के अन्दर बाम्बे जैसे शहर में सारा दंगा दबा दिया गया। क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था कि अगर इस सारे शहर के गुन्डे चाहे किसी फिरके के क्यों न हों अगर वे ४–५ घंटे के अन्दर बन्द नहीं किये गये तो हर रेस्पांसिबिल अफसर अपने को बरखास्त समझे और सारा दंगा १० घंटे में बन्द हुआ। तो मेरा निवेदन है कि दंगों के बढ़ाने में सरकारी यंत्र का भाग होता है। तो अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों के रहते हुए ठीक है कि एक कमीशन के बनाने के ऊपर विचार तो करना पड़ेगा तभी इस प्रकार के कमीशन की स्थापना हो सकेगी।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है, बगैर कोरम के सदन चल रहा है, कोरम हो जाय।

(घंटी बजायी गयी।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक आध जो उधर बैठे है, सारे ट्रेजरी बेंचेज खाली हैं। मंत्री लोग आते नहीं हैं, फिर क्या केवल सदस्य ही कोरम पूरा करेंगे?

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री मुन्शीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने सदन में चल रही चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से अपने पड़ोसी जिला एटा की सन् ६२ की एक कहानी सुनाता हूं जहां पर हमारे सेठ विशुनचन्द जी हिन्दू महासभा से लड़े थे। उन्होंने एक नारा क्षेत्र में लगाया कि हमारे डिब्बे को अगर मुसलमान और अछूत कोई छू लेगा तो मैं सौ बार उसे गंगा में नहलवाऊंगा और मुसलमानों और अछूतों के वोट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुन्शीलाल चमार]

अलग कर दूंगा। ये हमारे हिन्दू महासभाई विशुनचन्द का नारा हमारे हिन्दू भाइयों पर कारगर हुआ और वहां के मुसलमान भाई और अछूत उससे वंचित रह गये। नतीजा यह हुआ कि वे एम० पी० वहां से चुनकर गये। आज वे जनसंघ पार्टी में विराजमान हैं जिन्होंने हिन्दू-मुसलमान का नारा लगाया।

राजनीतिक साम्प्रदायिकता का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जबकि यह हिन्दू-मुसलमान का सवाल चल रहा है तो सबसे बड़े जाति-भेद और साम्प्रदायिकता पैदा करने वाले श्री चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं। जिन्होंने एक जातीय नारा दिया और नारा देकर अपनी पार्टी को अलग बना कर रखा, मध्यावधि चुनाव में उन साम्प्रदायिक पार्टियों को जनता ने धराशयी कर दिया। मुझे विश्वास है कि अगर दूसरा मध्यावधि चुनाव हो जाय तो साम्प्रदायिकता पर खड़े होने वाला एक भी सदस्य चुन कर नहीं आ सकता।

हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्द्रा गांधी ने केवल वोट लेने के लिये ही उर्दू, मुसलमान हरिजन का नारा नहीं लगाया बल्कि इसलिये लगाया कि आज पाकिस्तान में हिन्दुओं का सरेआम कत्ले आम किया जा रहा है, उसके विरुद्ध वह संसार को दिखाना चाहती है कि हमारे देश हिन्दुस्तान में ऐसा बरताव किया जा रहा है और हिन्दू-मुसलमानों को बराबर हक प्राप्त है। संसार में इस बात का रिकार्ड कायम करने के लिये कि यहां सब के साथ एक सा बरताव किया जाता है उन्होंने यह नारा दिया है। इस लिये जिन लोगों ने यह नारा लगाया कि यह केवल मुसलमानों और हरिजनों से वोट प्राप्त करने के लिये उन्होंने ऐसा किया था, यह बिलकुल गलत बात है। चाहे वह जनसंघ हो, चाहे बी० के० डी०, चाहे पी० एस० पी० हो, या एस० एस० पी० हो, सभी पार्टियां यही कोशिश करती रहीं कि सदन में उनके मेम्बर ज्यादा से ज्यादा आये। लेकिन हिन्दू, मुसलमान और हरिजन सभी लोगों ने यह अच्छी तरह से समझ लिया कि ये सारी पार्टी कुछ नहीं हैं केवल वोट लेने के लिये ही इनका यह ढकोसला है। और उसने उन सारी पार्टियों को मध्यावधि चुनाव में नीचा दिखा दिया। जातीयता पर आने वाली पार्टी, साम्प्रदायिकता पर आने वाली पार्टी का केवल एक ही सदस्य उत्तर प्रदेश से पार्लियामेंट के लिये चुन कर आया और वह भी जनसंघ में चला गया। आज हिन्दुस्तान में बी० के० डी० का नाम बिल्कुल मिट गया। इसलिये लोगों को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि जातीयता या सम्प्रदायिकता के नाम पर राजनीति में कोई भी उठ नहीं सकता।

आज किसी मन्दिर या मसजिद को बनाने वाला केवल हरिजन ही होता है। हरिजन मजदूर ही भगवान की मूर्ति भी बनाता है। हरिजन कारीगर और मजदूर भगवान का मंदिर और मूर्ति बना कर खड़ी कर देता है। लेकिन देहाती क्षेत्र में जब वह मन्दिर तैयार हो जाता है तो उस हरिजन को उस मन्दिर में जाने नहीं दिया जाता है इसलिये कि उसके जाने से वह अपवित्र हो जायगा। लेकिन फिर जब होली या दीवाली का कोई बड़ा त्योहार आता है और जब सम्मानित घर की औरतें उसको लीप और पोत नहीं पाती है तब फिर उन्हीं हरिजन मजदूरों को पुताई के लिये बुलाया जाता है। फिर वही हरिजन मजदूर मंदिर और भगवान के ऊपर पैर रख कर उस मंदिर को पोतता है। लेकिन दूसरे ही दिन फिर उसको उस मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि अब उसके जाने से वह मंदिर अपवित्र हो जायगा। मैं यह कह देना चाहता हूं कि मनुष्य जाति में कोई फर्क नहीं है। इस सदन में अधिष्ठाता महोदय वहां से बैठे हुये यह नहीं बता सकते हैं कि कौन आदमी किस जाति का है क्योंकि नाक सब की बराबर है, आंख सब की बराबर है .....

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मुन्शीलाल जी अपने को चमार लिखते हैं। यह हीन शब्द जिसको हम हटाना चाहते हैं वह अपने नाम के आगे रख कर संकीर्णता का क्यों परिचय देते हैं?

श्री मुन्शीलाल चमार---

आज इस सदन में तो यह कह रहे हैं कि मुन्शीलाल हैं लेकिन देहात के कोने-कोने में हरिजन भाई चमार के नाम से पुकारा जाता है। अगर आप आज जातीयता मिटा दें तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी चमार नहीं लिखूंगा। यह केवल ढकोसला है और केवल वोट लेने का बहाना है। ये इकट्ठा ही नहीं होने देते। वोट लेने के लिये तो तुम मुन्शी लाल, हमारे भाई हो और वोट पड़ने के बाद, पूर्वी अंचल में देखिये जहां केवल ८ आने मजदूरी इन सामन्तवादियों के यहां हरिजनों को मिलती है। अपने मंत्रित्वकाल में मैंने काफी दौरा किया और यह देखा कि ८ आने नहीं, तो १ रुपये से ज्यादा मजदूरी ये सामन्तवादी नहीं देते हैं। और अगर वह गरीब मजदूर मजदूरी बढ़ाने के लिये कहते हैं तो दूसरे दिन उनके झोपड़ों में आग लगा दी जाती है और उनको गिरफ्तार करके जेलखाने भेज दिया जाता है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि समाजवाद, टाटा बिड़ला और पद्मपत सिंघानियां के लड़के नहीं ला सकते जो गद्दों में पड़े रहते हैं। समाजवाद तो जब इस देश की बागडोर मजदूरी करने वालों के हाथ में आयेगी तब आयेगा। आज श्रीमती इन्दिरा गांधी का ही दिया हुआ समाजवाद का नारा सारे देश में फैल गया है। स्वतंत्र पार्टी के नाम के २-४ एम० पी० रह गये हैं। बी० के० डी० के केवल एक एम० पी० थे वह भी उसे छोड़ कर जनसंघ में चले गये। जनसंघ ने अब कुछ सोचा है इसलिये वह जिन्दा है। अब उसने मुसलमानों और अछूतों को कुछ अपनाया है इसलिये उसके मेम्बर कुछ ज्यादा चुन जाते हैं। अभी तक जो सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक पार्टी थी वह जनसंघ थी जो अछूतों और मुसलमानों को नहीं अपनाना चाहती थी।

अन्त में, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो मुझे इस पर बोलने का समय दिया। मैं सदन के सामने यह फिर प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर सदन के ४२५ मेम्बर अपने नाम के आगे से जाति लिखना छोड़ दें तो मुन्शीलाल पहला आदमी होगा जो चमार शब्द लिखना छोड़ देगा और सदन से इस्तीफा दे देगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अधिष्ठाता महोदय, आज शासक दल की ओर से श्री रियासत हुसेन साहब ने यह प्रस्ताव रखा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे कमीशन की स्थापना की जाय जो यह निर्णय दे कि कौन-कौन राजनीतिक दल साम्प्रदायिकता में विश्वास रखते हैं और साम्प्रदायिक दंगे फिसाद आदि कराते हैं और उक्त कमीशन की सिफारिशों पर उन पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

मैं आज यहां अभी बहुत सी बातें जो कही जा रही थीं उन को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सेनफ्रानसिस्कों में कोई विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा हो और वहां पर भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्म की बड़े जोर जोर से तारीफ कर रहे हों। मुझे तो यह जो श्री मुन्शी लाल जी का भाषण हो रहा था उस को सुनकर हंसी आ रही थी और ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे निक्सन और चीन मिलने जा रहा है और जैसे नार्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कोई आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक मेल का स्वांग रचा जा रहा है।

श्री मुन्शीलाल चमार---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब तक नौजवानों में उठने की बात नहीं आयेगी, उनकी गफलत दूर नहीं होगी तब तक उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती।

श्री बंशीधर पांडेय---

अच्छा हो कि वह अपना दिमाग उधर ज्यादा न लगायें, हम लोग तो एक ऐसे संगठन से आये हैं जिसकी पुरानी मान्यतायें हैं, पुरानी बुनियाद है। आप जैसे नये चेले-चापड़ तो राजनीति में पीछे घूमा करते हैं, आप इस तरह की दो दिन की बातों को बन्द करिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांत रहें, पांडेय जी कृपया विषय पर ही बोलें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप कहते हैं कि आप जातीयता को दूर करेंगे जो कुछ भी नहीं समझते । मैं यहां से चलता हूं कि आप विचार करें कि मानव समाज में राजनीति शब्द कहां से आया । जब समाज का विनियमन करने के लिये, उस की आवश्यकताओं को परिचालित करने के लिये एक तन्त्र, एक नियमित तन्त्र की बात आई तो इस शब्द की खोज हुई और उस तन्त्र को राजनीति शब्द के साथ सत्ता को संचालित करने के लिये उस का जन्म हुआ । यह कोई मुन्शी लाल या बंशी धर के जन्म से आया ऐसी बात नहीं है । यह प्रश्न गम्भीरता का है इस पर हमें विचार करना होगा । मैं अभी एक मुसलमान सज्जन की लिखी पुस्तक "फ्राम खिलाफत टु पार्टिशन" पढ़ रहा था । उसमें लिखा है कि हमारे देश में महात्मा गांधी एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिसने संसार के इतिहास में पहली बार सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किये । वह संसार के उन ३–४ बड़े महापुरुषों में से थे जो आज तक पैदा हुये हैं और जिन्होंने मौलिक विचारधारा दुनिया को दी है । कल यहां पर श्री अनन्त राम जायसवाल ने भी बहुत सी बातें कहीं, धर्म भाषा, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों पर बहुत सी बातें उन्होंने कीं । लेकिन यह सत्य है कि धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता की बातों के जोर में पड़ कर ही देश का बटवारा हुआ लेकिन उस पुस्तक के लेखक जो मुसलमान सज्जन हैं उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के फादर आफ दि नेशन की संज्ञा जिन्ना साहब को नहीं दी जा सकती वह संज्ञा तो महात्मा गांधी को ही दी जा सकती है और वही भारत और पाकिस्तान दोनों के फादर आफ दि नेशन थे । आज सारा सवाल यह है कि साम्प्रदायिक दल कौन है और वह कौन दल हैं जो साम्प्रदायिकता के काम करते हैं और राजनीति का जामा पहने हैं ।

आप जानते हैं कि अभी द्वितीय महायुद्ध के बाद कुछ देश से यहूदियों को निकाला गया और बाद में उनको बसने के लिये इजराइल में स्थान मिला तो उन की क्या हालत थी । आज कालकोठरी में बैठ कर कोई भले ही आंसू बहा ले लेकिन ऐसी साम्प्रदायिकता की बातें करने वाले लोग.....क्या कहूं मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता, साम्प्रदायिकता की बात हमारे दिल में नहीं रहती मैं तो चाहता हूं कि देश के इस बोर्डर से कन्याकुमारी तक सब लोगों को एक होकर रहना चाहिये । जो लोग पालिटिक्स की घटनाओं को और इतिहास को नहीं जानते वह इस धर्मान्धता में पड़े रहते हैं । आज २५ लाख इजरालियों को सारे लोग मिलकर भी नहीं नष्ट कर पा रहे हैं । मैं खुल कर कह देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के बोर्डर से लेकर मोरक्को तक—जो नासिर साहब थे, इजिप्ट का मामला था । इजिप्ट को आप देख रहे हैं । यहूदी जो आजकल इजराइल में रहते हैं उनको सारे संसार में कहीं स्थान नहीं मिला । वे डिसप्लेस्ड परसन्स थे जिनको रहने को कहीं जगह नहीं मिली तो वे एक स्थान को लेकर रह गये । सब एक जाति के, एक बिरादरी के, एक साम्प्रदाय के थे । पोलिटिक्स ने उनको संसार में एक स्थान पर रखा और उन्होंने दुनिया को सबक सिखलाने का एक रास्ता रखा है । वह एक अकेला देश नहीं है । लैटिन अमेरिका के देशों में जाइये, यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका क्या है । अमेरिका में जो आज निवास करते हैं वे वहां के मूल निवासी नहीं हैं । वहां के मूल निवासी मोहिजन हैं । वहां के निवासियों का उन्मूलन हो गया और अमेरिका में जाकर जो बसे हैं वे माइग्रेटेड, ह्यूमिलिएटेड और डिस्प्लेस्ड परसंस थे । वे अमेरिका में जाकर आबाद हो गये । जो अर्थतंत्र है, सारे संसार की आधी पूंजी का मालिक आज अमेरिका ही है । फिर आप पोलिटिक्स की बात कहते हैं, चार छः दिन पहले की बात ही देखिये ।

राजनीति में क्या होता है । इस सदन में ही बराबर कहा जाता है कि फलां कमीशन को बैठाइये । माइनारिटी कमीशन को बैठाइये, हरिजनों के लिये कांस्टीट्यूशनल राइट रिजर्वेशन

कर दीजिये। जमींदारी एबालिशन के जरिये या और तरह स जो इस तरह की अनधिकार चेष्टा की जाती है उसको बन्द कीजिये। अगर इस प्रकार से धर्म और सम्प्रदाय को जोड़ने की बात होती है तो मैं कहता हूं कि कमीशन को कौन बैठायेगा। मान लीजिये, मैं इस देश का संचालन करने वाला हूं, शासन सब मेरे हाथ में है और किसी पार्टी का नुकसान अगर करना चाहूं तो कमीशन को हम ही बैठायेंगे और कमीशन बैठाने के बाद अगर ईमानदारी से भी कमीशन अपना फैसला दे तो संसद् में और विधान सभाओं के अन्दर भी यही लोग कहेंगे कि यह तो चूंकि सरकार ने अपने मन का कमीशन बैठाया था इसलिये अपने मन का फैसला करा लिया। चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, ४ महीने एक सरकार रही और ६ महीने दूसरी सरकार हो, यह प्रक्रम तो अभी रहेगा। फ्रांस में भी कुछ दिनों तक यह प्रक्रम चला था। तो चाहे जो भी प्रक्रम चले लेकिन जब विभिन्न विचारधारा के लोगों को कोई पोलिटिक्स सूट न करे—मैं भाई रियासत हुसैन जी से अनुरोध करता हूं कि यह पोलिटिक्स ग्रोथ में है, मंथन में है, इसमें सारी बातें तो आयेंगी उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं अपनी पर्सनल ओपीनियन बतलाता हूं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि रूस से बैलेट पेपर्स आये थे और कोई बात थी। मैं उन आदमियों में नहीं हूं जो किसी स्वार्थ के वश होकर इस तरह की बात करूं। यह ठीक है, जो कुछ भी जनता का फैसला हुआ। लेकिन यह ठीक नहीं है कि जो फैसला हो उसके बाद फिर आप कोई विनियमन करने लगें।

समाज में कंट्रोल्ड पालिसी हो इसके लिये आपको देखना पड़ेगा, साम्प्रदाय, जाति, भाषा को देखना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आज हमारे देश में गिरावट आ गयी है। १५ अगस्त, ४७ को हिन्दी राष्ट्रभाषा स्वीकृत हुई। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इतने दिनों के बाद भी इस देश में हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में पुष्पित या पल्लवित नहीं हुई। मैं अपने लिये भी कहता हूं क्योंकि मैं भी सरकार में था, मैं सब सरकारों के लिये कहता हूं कि अक्सर इधर के बैठे हुए लोग हों या उधर के बैठे हुए लोग हों, अक्सर कह दिया करते हैं कि २४ साल में कोई काम नहीं किया गया। यह बात सुन कर मुझे तकलीफ होती है, खास कर जबकि शासक पार्टी के लोग ऐसी बात कहते हैं। मैं तो बड़े गर्व के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं एक महान संस्था का, एक पार्टी का सिपाही हूं और चाहे वह पार्टी दो भागों में बंट गयी हो, फिर एक में मिल सकती है, जुट सकती ह लेकिन अपने स्वार्थवश इस तरह की बात कहना अपने ओछेपन और छोटेपन का परिचय देना है। चाहे गुस्से में कोई इस बात को कह दिया करे कि २४ साल में इधर या उधर के बैठने वालों ने कुछ नहीं किया।

२४ साल में बहुत काम हुआ और बहुत हुआ भी नहीं लेकिन हिन्दी की बात को लेता हूं। इसको संप्रदाय और धर्म के साथ जोड़ना चाहता हूं। क्यों ऐसे लोगों ने जो केवल दिखावे मात्र से, राष्ट्रवादी है भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत, इस देश द्वारा स्वीकृत नीतियों के विरोध में अपने को नेशनलिस्ट पार्टी का जामा पहना कर क्षेत्रीय आधार पर उसका विरोध किया है और आज भी हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ है। संविधान में हमने उसको स्थान दिया लेकिन केवल कानून के बनाने से काम नहीं चलता है। आज हिन्दुस्तान में नेशनलिस्ट पार्टियों के करैक्टर में गिरावट हो रही है। जहां पर स्क्टेरियन पौलिटिक्स या रिजनल पोलिटिक्स चलती है, वह बढ़ती है। मद्रास का राज्य तामिलनाडु है। वहां की सरकार हिन्दुस्तान की सारी सरकारों में अच्छी कही जाती थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश के ५ लाख पंपिंग सेट्स में से सवा लाख केवल तामिलनाडु में थे। तामिलनाडु में, कांग्रेस की जितनी सरकारें हैं, सबसे अच्छी सरकार थी, वहां से वह हट गयी। वह इस लिये नहीं हटी कि कांग्रेस में दो पार्टियां हो गयीं बल्कि वह तब हटी जब कि देश में एक ही संगठन था। दुर्भाग्य से एक राष्ट्रीयता की लहर नहीं चली। अंग्रेजों के आने से पहले भी यहां हजारों प्रकार के सिक्के चलते थे, अनेकों प्रकार की भाषायें बोली जाती थीं।

एक बार जब राजाजी तामिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने वहां पर कम्पलसरी हिन्दी कर दी। हिन्दी सब जगह लिखी गयी। जब वहां के श्री श्री प्रकाश गवर्नर थे मैं

[श्री बंशीधर पांडेय]

मद्रास में गया। मैं मदुराई में भी गया। मैंने देखा कि हमारे यहां तो लखनऊ जंक्शन ही लिखा जाता है लेकिन वहां पर मदुराई संगम लिखा हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में भी नहीं लिखा जाता। उस समय वहां पर इतनी अच्छी हिन्दी का प्रयोग हुआ लेकिन ८-१० वर्ष के बाद उस सूबे में, हिन्दी के सारे कार्यक्रम प्रचालित होने के बाद कौन सी लहर आयी जिसने एक खराब वातावरण पैदा कर दिया और हिन्दी के विरुद्ध प्रदर्शन हुये, भारत का संविधान जलाया गया, हिन्दी की पुस्तकों को जलाया गया, हिन्दू धर्म मूर्तियों को तोड़ा गया, जूते चलाये गये तो हमें सोचना पड़ेगा कि वह कौन सी शक्ति है जिसने तामिलनाडु में इस कार्यक्रम को पूरा करने में अड़चन डाली। सारी जो राजनीति है वही साम्प्रदायिकता और धर्म के मामलों को पैदा करती है। जब हमारे देश में धर्मान्धता का खिलवाड़ खेला जा रहा था हमारे इसी देश में जो पाकिस्तान के पक्ष में थे, इस प्रदेश में और इस उत्तर भारत में, पार्टिशन होने के बाद पाकिस्तान नहीं गये। आज उनके मन में इस प्रकार की भावनायें तरंगित करती हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो ऐसी चीजें पैदा करती हैं। समाज के अनुरूप आर्थिक तंत्र को ठीक करने के लिए राजनैतिक तंत्र का जन्म हुआ।

राजनैतिक तन्त्र का जन्म हुआ। लेकिन जो राजनैतिक तन्त्र हम समाज को प्रधानता प्राप्त करके फिर से उलटे करके और वह सैक्टोरियन पालिटिक्स के अन्दर घोषित है क्योंकि राजनीति को चाहिये समर्थन, मत और वोट और उस वोट की संज्ञा को प्राप्त करने के लिये क्षेत्रवाद, जातिवाद और तरह-तरह के भाषावाद के प्रश्न को उलटकर आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। पार्टी विशेष से मेरा मतलब नहीं है कि मैं किसी पार्टी की आलोचना करूं। इस विधान सभा को इस पर विचार करना चाहिये। सम्मिलित दल की मीटिंग बैठनी चाहिये आखिर इस प्रकार के प्रचारों को रोकने के लिये क्या कभी कोई सार्वजनिक दल बैठ सकता है। आप स्वयं बैठ कर किसी दल विशेष को कह दें कि यह धर्म निरपेक्षता में विश्वास नहीं करता तो मान्यवर यह उनके साथ अन्याय होगा। आप इसको करें तथा जितनी भी पार्टी के लोग हैं आप उसमें इसको विचार कर देखें शासन में रहने वाले लोग, जिनकी भी सरकार हो, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, किसी की भी सरकार हो सकती है, कहीं किसी की और कहीं किसी की। इसलिये हम इस बात को बढ़ावा न दें कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पर हम पोलिटिकल डिवीजन और पोलिटिकल सारे कार्यों को करें अगर इस बात को लेकर विधान सभा और संसद की ऐसी पार्टी बनायें, आप ऐसी समिति बनायें जो इस पर विचार करे। आप इसके नेगेटिव आस्पैक्ट से काम नहीं कर सकते। आप रोक लगा सकते, तो रोक तो पाकिस्तान ने भी लगाया।

मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ईस्ट और वेस्ट विंग क्यों हुआ? जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों में धर्मान्धता चल रही थी। आज भी क्या हो गया इस्लामबाद को। या उससे ज्यादा आबादी वाला ईस्ट विंग नहीं है। उस क्षेत्र में उन्हीं के धर्मावलम्बन करने वाले क्या नहीं हैं। मतलब, कि उसमें पालिटिक्स आ गया। क्यों, कि डामिनेन ईस्ट का हो या वेस्ट का। इस झगड़े में धर्म को भी क्रस करन शुरू किया गया। यही नहीं रियासत साहब से मैं कहना चाहता हूं कि वहां मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। उनके साथ भी वही अत्याचार हो रहा है और वे कुरान शरीफ में लिखी आयतों के विपरीत काम कर रहे हैं। आप में अगर हिम्मत है तो आप कह दीजिये कि इस्लामाबाद में जो कार्य वे कर रहे हैं वे क्या किसी धर्म विशेष के विपरीत आचरण नहीं करते? किसी में हिम्मत है? ऐसी परिस्थिति में इसका इलाज नहीं है। मान्यवर, हम लोग सुझाव देना चाहते हैं कि इस विषय के लिये सर्वदलीय सम्मेलन बैठे चाहे इस हाउस की कमेटी में बैठे। इस पर मंथन हो और उस पर आचार संहिता बने और उसके अन्तर्गत सारे देश की राज्यनैतिक पार्टियों की मान्यता हो। और अगर आपकी सरकार का कमीशन बैठे तो कोई दूसरा कहेगा कि आपका

कमीशन गलत है। अगर हमारी सरकार का कमीशन बैठेगा तो आप कहेंगे कि यह कमीशन गलत है इसलिये सर्वदलीय कमीशन बैठे ताकि हमारे राष्ट्र के झंडे का, भाषा का नेतृत्व उसके अन्तर्गत फिर से आगे बढ़े, यही मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय लालबहादुर सिंह को पुकारने पर।)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस पर आज विवाद दूसरा का दिन है। इस लिय मेरा विचार है कि सभी दल के और सभी माननीय सदस्यों के विचार इस पर आ चुके हैं अब इस पर विवाद समाप्त किया जाय। शासक दल की ओर से, शासन का क्या विचार है कोई माननीय सम्मानित मंत्री अपने विचार दे दें और आज की स्थिति में माननीय रियासत हुसेन भी शासक दल में हैं। वे वरिष्ट मंत्री की राय को मान कर अपना निर्णय करें इसको समाप्त कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय लालबहादुर सिंह जी को बुला चुका हूं। इस प्रश्न पर इनके बोल चुकने के बाद विचार किया जायगा

श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की आज्ञा दी। मैं माननीय रियासत हुसैन साहब का भी आभारी हूं कि उन्होंने इतने बड़े अहम मसले को आज सदन के सामने रक्खा। अधिष्ठाता महोदय, साम्प्रदायिकता की परिभाषा आज तक हुई नहीं। बड़े-बड़े ऋषि और आचार्य हो गये। कपिल और कणादि से लेकर क्राइट्स, बुद्ध, महाबीर, मोहम्मद, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स तक हुए। आज तक अपने-अपने तरीके से साम्प्रदायिकता की परिभाषा किये हैं। लेकिन उसमें मसला हल नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुसलमान का मसला है। दक्षिण भारत में द्रविड़ियन और नान-द्रविड़ियन का मसला है। असम में भी अभी दंगे हुये थे बंगाली और आसामी में। नागालैण्ड में ह ही। पंजाब में सिख और नान-सिख का मसला है। इसी लखनऊ में शिया-सुन्नी का इतना बड़ा झगड़ा रहा कि बरसों चलता रहा। वाराणसी में भी थोड़ा-सा शिया-सुन्नी का झगड़ा रहता है। तो यह हालत है।

अब विदेशों की हालत देख लीजिये। स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड को देख लीजिये। इंगलैण्ड सबसे बड़ा सभ्य कहा जाने वाला कन्ट्री है। उसको मदर समझा जाता है डेमोक्रेसी की। वहां रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट के किस कदर झगड़े हुये। एक दूसरे के घर जला रहे थे, बच्चों को टांग पकड़ कर फेंकते थे। दर्जा ७–८ में चंगेज खां की हिस्ट्री पढ़ी थी, उसको भी मात कर रहे थे। जो अपने को बड़े भारी सिविलाइज्ड देश कहते हैं, उनके यहां काले और गोरे का झगड़ा है। कुछ स्टेट्स में इस कदर झगड़े होते ह कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होना चाहिये। दक्षिण अफ्रीका को देखिये। लोग निकाले जाते हैं। न वह हिन्दुस्तान के हैं, न अरब के हैं, कहां जायं? इंगलैण्ड से उनका लिंक रहा। वहां पहुंचे तो वहां से भी मारकर निकाले जा रहे हैं। तो आज यह हालत है।

मैं रियासत साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अहम मसले को यहां लाये। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल हमारे प्रस्ताव पास कर देने से मसला हल होने वाला नहीं है। इस पर तो बड़ी गम्भीरता से विचार होना चाहिये। महीलाल जी कहते हैं कि आज ही खत्म कर दिया जाय। मैं तो कहता हूं कि चार-छः दिन इस पर बहस कीजिये।

[श्री लाल बहादुर सिंह]

श्रीमन्, जब वाराणसी में मन्दिर प्रवेश आन्दोलन चर रहा था, माननीय सम्पूर्णानन्द जी चीफ मिनिस्टर थे। चार वर्ष तक रास्ता चलना मुश्किल था। जो लोग विश्वनाथ का दर्शन करने गये, वह नहीं कर सके।

(इस समय ३ बज कर १४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं कांग्रेस दफ्तर में बैठा था। पता लगा कि आज एक तरफ जनसंघी लोग और दूसरी तरफ हरिजन लोग बैठे हुये हैं। मैंने कलेक्टर को टोलीफोन किया तो मिले नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट मिले। तो मैंने कहा कि आज तो मन्दिर प्रवेश कराया जायगा। गए और मन्दिर प्रवेश कराया। मुझे चोटें लगीं, लेकिन मैंने किसी तरह मन्दिर प्रवेश करा दिया। सम्पूर्णानन्द जी को मैंने टेलीफोन किया कि यह हो गया। उन्होंने कहा कि हो गया सो हो गया। तो इस देश की यह हालत है। विदेशी जो अपने को सिविलाइज्ड कहते हैं उनकी भी यह हालत है। तो सबसे पहले हमको साम्प्रदायिकता की परिभाषा तय करनी है। केवल हिन्दू-मुस्लिम की लड़ाई हो तब साम्प्रदायिकता समझी जाय, या शिया-सुन्नी की लड़ाई हो तब साम्प्रदायिकता समझी जाय। अब तो श्रीमन्, बड़ी जाति और छोटी जाति का मामला भी चल गया है।

अभी मुन्शी लाल जी अनटचेबिल हरिजन्स के बारे में कह रहे थे। इस देश में जहालत है और इस देश में क्या सब जगह जहालत है। रूस में नान-कम्युनिस्ट्स को वोट देने का राइट ही नहीं है। क्या वह साम्प्रदायिकता नहीं है? पहले हमको यह तय करना है कि साम्प्रदायिकता क्या है और उसके पश्चात् आगे कदम उठाना है। यह सदन किसी भी कानून को बनाने के लिये सक्षम है। कानून ही बना देने से, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो सब जानते हैं, आप तो आचार्य हैं, आप तो पंडित हैं, साम्प्रदायिकता खत्म नहीं होगी। कानून बनने से पहले उसके तोड़ने वाले तैयार हो जाते हैं। तो हमको इसके ऊपर गम्भीरता के साथ सोचना है। आप देखें, अभी आपने सार्वजनिक स्थानों पर छुआछूत न बर्तने के बारे में कानून बनाया। कानून तो आपने बना रखा है लेकिन क्या यह बात है? मैं जानता हूं बड़े से बड़ा कांग्रेसी और बड़े से बड़ा मुसलमान एक दूसरे से नफरत करता है। मेरी बड़े से बड़े मुसलमान से बात होती है और वे कहते हैं कि वह तो शिया है और वह तो सुन्नी है। ईसाइयों की बात तो आप जानते हैं, प्रोटेस्टेन्ट्स और कैथलिक्स में इतना बड़ा झगड़ा है।

आप देखें कि यहां पर जो आर० एस० एस०, मुस्लिम लीग और जमायते-इस्लामी क्या हैं। मैं यह तो इन छोटी-छोटी बातों को सोचता ही नहीं हूं और न मैं इस तरह की बातों को मानता हूं। एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना है पहले उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिये। घृणा की भावना अब बढ़ती जा रही है। जब मनुष्य की सेल्फ रेस्पेक्ट खो जाती है तब वह कहीं भी जा सकता है। आज इस देश की भी यही हालत हो गयी है। मैं क्या कहूं, मान्यवर, आप तो समय ही इतना नहीं दे सकते हैं, कहने को तो बहुत सी बातें हैं। मैं तो कहता कि इस देश की क्या हालत है और किस तरह से यह अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खो चुका है। हमने स्वराज्य के लिये लड़ाई लड़ी और स्वराज्य प्राप्त कर लिया, मगर क्या स्वराज्य प्राप्त किया, इधर हिन्दुस्तान बना और उधर पाकिस्तान बना। हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं और लोगों ने बैठ कर मखौल उड़ायी कि कैसे पाकिस्तान बना। आज पाकिस्तान की क्या हालत है? सारा विश्व देख रहा है। बड़े-बड़े देश हैं जो अपने को सिविलाइज्ड कहते हैं और इस समय कह रहे हैं कि हम हेल्पलेस हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है। स्थिति आज गम्भीर हो गयी है।

साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये हम कानून बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन से निवेदन करूंगा कि साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये सब से पहला काम जो हम को करना है वह यह है कि पहले हम अपने दिल और दिमाग पर काबू पायें। जब लोग

यह समझ जायेंगे कि पहले दिल और दिमाग पर काबू पाना जरूरी है तब साम्प्रदायिकता की भावना अपने आप ही जाती रहेगी। शिया और सुन्नियों में लखनऊ और बनारस में झगड़ा हुआ। यह इसीलिये हुआ क्योंकि लोगों के दिल और दिमाग पर काबू नहीं है। इस प्रकार की भावना हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में चल रही हैं। मान लो कि सभी मुसलमान हो जाते हैं तब क्या झगड़ा नहीं होगा? तब शिया और सुन्नियों में झगड़ा होगा और वे आपस में लड़ेंगे। सहारनपुर में एक मुस्लिम स्कूल है। उस स्कूल के लोगों में और दूसरे मुसलमानों में झगड़ा होता था। तो इस तरह की बात है। अगर आप इसके संबंध में कानून बनाते हैं तो यह भी देखे कि वह कितना इम्प्लीमेन्ट होता है और अमल में कितना आता है। यही नहीं, यह भी देखना चाहिये कि उस कानून से कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। उस कानून का दायरा वृहद् होना चाहिये ताकि वह पूर्ण रूप से इम्प्लीमेन्ट हो सके नहीं तो दूसरे रूप में लोग आ जायेंगे। तो आज जब तक हम अपने दिल और दिमाग पर काबू नहीं रक्खेंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

जब हिन्दी का सत्याग्रह जनसंघ या सोशलिस्ट भाइयों ने किया तो तामिलनाडु में उसके विरुद्ध आन्दोलन हुआ। इन्होंने अंग्रेजी के अक्षरों को मिटाया और उन्होंने वहां हिन्दी के अक्षरों को मिटाया। तो इस तरह से आज तो अजीब साम्प्रदायिकता है। समझ में नहीं आता है। कि क्या होगा। कानून बन जाय लेकिन जब तक वह लागू न हो तो उसका क्या फायदा होगा। रद्दी की टोकरी में चला जायगा और गरीबों पर इस्तेमाल होगा। छूत उद्धार का कानून है लेकिन किसी आदमी को सजा हुई? क्या अब कोई अछूत इस देश में नहीं रह गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसके दूर करने के लिये हमें घोर परिश्रम करना है। आप लखनऊ को ही ले लीजिये। सदन के इतने सदस्य हैं, कल छुट्टी है सभी लोग इसका प्रचार करें। इस तरह से किया जाय तो कुछ काम होगा लेकिन आज तो हर चीज सरकार पर डाल दी जाती है कि उन्होंने यह कानून पास नहीं किया। आप देख रहे हैं कि १९६७ से कितनी सरकारें बदल चुकी हैं। सरकार में क्या रह गया है। आप देखें कि स्काटलैंड में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट इस कदर लड़ते हैं कि मध्य युग के बरबेइज्म से भी बदतर हो जाते हैं। अरब देशों में देख लीजिये। मुझे ठीक से मालूम नहीं है लेकिन वहां पर एक तरफ तो ईसाई और अरब लड़ रहे हैं और दूसरी ओर यहूदी और मुसलमान लड़ रहे हैं। कोई छापामार बन कर लड़ रहा है और कोई किसी तरह से लड़ रहा है। साम्प्रदायिकता की परिभाषा आज तक नहीं हुई है।

मान्यवर, अगर इतिहास देखा जाय तो संसार में जितनी साम्प्रदायिकता है उतनी यहां पर कभी नहीं रही है। यहां पर मुस्लिम राज्यों की लड़ाइयां हुई तो एक तरफ हिन्दू और मुसलमान होते थे और दूसरी ओर भी हिन्दू मुसलमान होते थे। महाभारत काल को लें तो उसमें भी कौरव और पांडव थे और सारी दुनियां के बड़े से बड़े राजा उसमें आये थे तो साम्प्रदायिकता की कोई परिभाषा करना बड़ा मुश्किल है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके लिये एक कमेटी ५, ७ लोगों की बनाई जाय। यह कमेटी तय करे कि साम्प्रदायिकता क्या है। कोई ऐसी कमेटी कभी बनी है या नहीं यह मालूम नहीं है। इसकी परिभाषा करनी पड़ेगी। अगर हिन्दू मुसलमान की लड़ाई रोकते हैं तो शिया-सुन्नी लड़ते हैं, कहीं-कहीं हरिजन और सवर्ण लड़ते हैं, तो रियासत भाई का कौन सी साम्प्रदायिकता से मतलब है। उनका मतलब अगर हिन्दू मुसलमान से है तो मैं डिफर करता हूं, यहां पर हिन्दू मुसलमान की साम्प्रदायिकता नहीं है बल्कि बहुत किस्म की है। सेकुलर कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। खाली जो यथोष्ट हैं वह सेकुलर हैं और क्या धार्मिक सेकुलर नहीं हैं।

मैं बहुत धर्म-कर्म की बात नहीं करता। मैं तो पूजा पाठ भी नहीं करता और न इतनी फुर्सत ही है। हम तो साधारण आदमी हैं और मेहनत करके किसी तरह काम चला रहे हैं।

[श्री लाल बहादुर सिंह]

इसलिये मान्यवर, जब तक कि यह डिफिनिट न हो जाय कि साम्प्रदायकता है क्या तब तक किसी चीज पर बैन लगाना उचित नहीं है। गोकि मैं रियासत साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इन्होंने एक चीज को सोचा और प्रस्ताव रखा। अगर लोग सोचते रहे तो शायद इसकी कोई दवा निकल आये। मेरे ख्याल में इसकी एक ही दवा है कि लोग दिल और दिमाग पर काबू रखें। अब तो मान्यवर पालिटिक्स में भी साम्प्रदायिकता घुसती जा रही है। बंगाल में क्या हुआ ? किसी ने नक्सेलाइट को मारा तो दूसरे ने मार्किस्ट को मार दिया। मैं तो महीलाल जी से कहुंगा कि इस पर बहस को बन्द न करायें। बहस आज भी हो और दूसरे नान आफिशियल डे को भी हो और जरूरत हो तो फिर तीसरे दिन भी हो। इस पर खूब बहस करवायें। आखिर लोगों के विचार आवें कि साम्प्रदायिकता है क्या। जय हिन्द।

श्री महीलाल—

मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि इस पर बहस समाप्त हो और शासन की ओर से कोई वरिष्ठ मंत्री शासन की राय दें। अधिष्ठाता महोदय ने रूलिंग दी थी कि माननीय लाल बहादुर सिंह के बाद वह प्रस्ताव ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो प्रस्ताव रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अभी न रखें। उस पर हमको वोट लेना पड़ेगा। सदन में काफी संख्या में लोग नहीं हैं और शायद कोरम का भी अभाव हो। जरा गिनो भाई....

एक सदस्य—

इस सदन को साम्प्रदायिकता पर निश्चय लेने का अधिकार है या नहीं यह भी डिसाइड होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप बैठें कोरम की कमी है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(कई सदस्यों के खड़ा होने पर) जो नियम है उसको मैं पढ़ता हूं। वैसे विवादान्त का नियम १ ३ है—"किसी प्रस्ताव के किये जाने के उपरान्त किसी समय भी कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय और जब तक कि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो जाय कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या युक्तियुक्त वाद विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे, "कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।" इस लिये शंका नहीं होनी चाहिये। प्रश्न उपस्थित किया जायगा और वोट लिया जायगा।

श्री महीलाल—

प्रस्ताव के आगे मैंने यह बात कही है। हमें शासन का भी विचार मालूम हो कि शासन इसके पक्ष में है या विपक्ष में। तो माननीय मंत्री बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बाद माननीय रियासत साहब बोलेंगे और फिर माननीय मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देंगे। तब इसके बाद विवादान्त होगा।

श्री महीलाल—

यह संकल्प है आपकी सूची में। विवादान्त के उपरान्त ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये..

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो समाप्त होने के बाद ही आ सकता है, जो चालू विषय है उसके बीच में नहीं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

महीलाल जी ने तो वापस ले लिया, वह वापस ही समझा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय महीलाल जी आप विवादान्त प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

श्री महीलाल—

मैंने प्रस्ताव इसके लिये पेश किया है कि माननीय मंत्री जी अपने विचार भी रखें कि शासन की क्या राय है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मैंने निवेदन कर दिया है। मंत्री जी बाद में बोलेंगे। पहले संकल्प के प्रस्तुतकर्ता को समय मिलेगा।

*श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा गंभीर है। आज के दो-तीन वर्ष पूर्व लोक सभा ने एक आयोग का गठन किया था कि वह पता लगा कर बताये कि देश में जो २३ दंगे हुए थे उनमें कितने दंगे किस दल द्वारा किये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस आयोग का निर्णय यह था कि २१ दंगे एक विशेष सम्प्रदाय के द्वारा जिसे अपने भारत में अल्पसंख्यक कहा जाता है प्रारम्भ किये गये और दो दंगों के बारेमें उस आयोग का निर्णय था कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किये गये। अगर ऐसा कमीशन नियुक्त किया जाय तो मैं स्वागत करूंगा। क्योंकि मैं जिस दल का सदस्य हूं उस दल के बारे में शासक कांग्रेस और अन्य दलों के द्वारा बराबर यह आक्षेप लगाया जाता है कि जनसंघ साम्प्रदायिक दल है। लेकिन बड़े दुख का विषय है आज तक २३ वर्ष हो गये स्वतंत्रता प्राप्ति किये हुये कांग्रेस ही बराबर शासक की कुर्सी पर आसीन रही और उसने साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा और बराबर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में भी, बड़े दुख का विषय है बराबर विभाजन करने का प्रयास किया अपने समाज के कुछ लोग जो आर्थिक विपन्न थे, लेकिन उनकी आर्थिक विपन्नता नये सम्प्रदाय की रचना करके प्रारम्भ की गयी। वास्तव में वे आर्थिक विशेष सम्प्रदाय या जाति या धर्म के नहीं थे।

भारत के अधिकांश व्यक्ति ऐसे थे जिनको दोनों वक्त खाना नहीं मिलता था, या बड़ी मुश्किल से मिलता था लेकिन कभी उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और बराबर यहां साम्प्रदायिकता की बात और अल्पसंख्यकों की बात कही जाती रही। जब हम एक देश के वासी हैं तो हमको कभी साम्प्रदायिकता या अल्पसंख्यक की या बहुसंख्यकों की बात नहीं सोचना चाहिये। हम सब एक देशवासी हैं। अल्पसंयख्यकों का नाम लेकर हम लोग इस तरह की बात करते रहे ताकि उनका वोट सुरक्षित रहे। हम तो इसका स्वागत करेंगे कि इस बात की जांच हो कि कौन साम्प्रदायिक है। सन ३६ से पहले मुस्लिम लीग का जन्म नहीं हुआ था और मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस के सदस्य थे। मान्यवर, को याद होगा कि मिस्टर जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे उन लोगोंने धीरे-धीर साम्प्रदायिक भावना भड़काना शुरू की, हमारे महात्मा गांधी अंतिम क्षणों तक यह कहते रहे कि हम धर्म के नाम पर देश का बंटवारा नहीं करेंगे, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि यहां साम्प्रदायिक भावना उभरी और देश का बंटवारा हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमाकान्त वाजपेयी]

भारत जो एक था, वह दो हिस्सों में बंट गया। एक-एक धर्म का देश बन गया, दूसरा एक धर्म का। अगर हम एक ही राष्ट्र के सिद्धान्त को मान कर चलते तो यह नौबत न आती। लेकिन जो २३ साल से शासन में बैठे हैं उन्होंने सदैव अपनी पार्टी का टिकट यह देख कर दिया कि कहां पर किस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। अगर ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा हुई तो किसी ब्राह्मण को टिकट दिया, अगर मुसलमानों की संख्या ज्यादा हुई तो मुसलमान को टिकट दिया। सन् ४७ के बाद जब हम लोगों ने यह मान लिया कि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है, तो फिर भाषा के आधार पर अन्य राज्यों का निर्माण किया। आपने भाषावार प्रान्त बनाये। देश का वि टन किया भाषा के नाम पर। आज राष्ट्रीय भावना जो लुप्त होती जा रही है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और बराबर साम्प्रदायिकता और वर्ग विशेष की बात करते रहे। अगर हम अपने अन्दर राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर लें तो साम्प्रदायिकता की भावना अपने आप समाप्त हो जायेगी। लेकिन दुख है कि बराबर साम्प्रदायिकता की बात की जाती है और जो दल शासन में हैं और शासन में रहा है उसकी तरफ से इस प्रकार की बात की जाती है ताकि दूसरे दल आगे न बढ़ सके। इसलिये उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं मैं तो चाहूंगा कि एक कमीशन नियुक्त हो जो शीघ्र रिपोर्ट दे कि कौन दल साम्प्रदायिक है।

मुसलिम लीग जिसकी मान्यता समाप्त हो गयी थी, कांग्रेस ने उन्हीं का समर्थन लेकर सरकार बनायी है। तो जब मुस्लिम लीग, जिसने देश का बंटवारा कराया, उस पर आज तक रोक नहीं लगाई जा सकी, तो उससे अन्य साम्प्रदायिक दलों पर रोक लगाये जाने की आशा करना अपने को धोखा देना है। जिन्होंने सदा साम्प्रदायिकता को पनपाया है, वे जब उस पर रोक लगाने की बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता और उस पर जनता का कोई विश्वास होने वाला नहीं है। जो वास्तविक रूप से साम्प्रदायिक दल है, जिसने भारत का साम्प्रदायिकता के आधार पर बंटवारा किया उस पर रोक नहीं लगाई गई, उल्टे उसको प्रोत्साहन दिया गया और उसका समर्थन और सहयोग किया गया, तो यह साम्प्रदायिकता खत्म करने की बात कैसे करते हैं। इन्होंने कभी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया नहीं, ये हमेशा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते रहे हैं। मैं तो उचित समझूंगा कि लोक सभा की तरह विधान सभा भी एक कमीशन नियुक्त कर दे और प्रान्त की जनता के सामने यह चीज रखे कि वास्तव में साम्प्रदायिक व्यक्ति और साम्प्रदायिक दल अपने प्रान्त में कौन है। कभी ऐसा होता है कि साम्प्रदाय के नाम पर बराबर लोग फायदा उठाया करते हैं। सम्प्रदाय के अन्दर बहुत से वर्ग बना दिये जाते हैं। दुख का विषय यह है कि इससे हिन्दू धर्म को, हिन्दू शब्द को ठीक से समझा नहीं है।

हिन्दू आज बहुत से वर्ग में बैठे हैं—कुछ मूर्ति पूजक हैं, कुछ मूर्ति पूजक नहीं हैं, कुछ वैदिक काल को मानते हैं, कुछ ब्राह्मण काल को मानते हैं। कुछ शैव हैं, कुछ वैष्णव हैं, कुछ शाक्त हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ जैन हैं, जो हमारे हिन्दू धर्म के ही हिन्दू हैं। तो यह सभी हमारे विशाल हिन्दू धर्म के अंग हैं। तो हिन्दू धर्म तो कभी भी सम्प्रदायवादी नहीं रहा है। देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, हिन्दू लोग हैं, उनके बारे में साम्प्रदायिकता की भावना की बात करना और उसको साम्प्रदायिक कहना तो उचित नहीं है। वह साम्प्रदायिक है और न साम्प्रदायिक कभी रहा है। हमारे यहां एक नहीं अनेक मत बहुत समय से रहे हैं, जो अनादि काल से चले आ रहे हैं और आज भी हैं। जिनमें परस्पर मत-वैमन्य रहा है, लेकिन फिर भी वह एक विशाल देश के, हिन्दुस्तान के अंग रहे हैं और उनमें कभी भी परस्पर साम्प्रदायिक भावना, कोई द्रषित भावना नहीं रही है। हिन्दू ही साम्प्रदायिक हैं या उसमें कोई एक विशेष वर्ग है, जो साम्प्रदायिक है यह कहना बहुत ही अनुचित है। लेकिन यह दोष हमेशा यहां के बहुसंख्यक जाति पर लगाया गया है। इस देश की साम्प्रदायिक जाति कभी भी साम्प्रदायिक नहीं रही है और न हो सकती है। हमारे यहां चारवाक भी हुआ है, जो धर्म और ईश्वर को मानता ही नहीं था। उनके अनुयायी अब भी हमारे देश में हैं। हमारे यहां ऐसे भी परिवार रहे हैं, घर रहे

है जिनमें कोई सदस्य शैव धर्म का मानने वाला था, तो कोई वैष्णव उपासक था तो कोई शाक्त पूजक था, किंतु सभी परस्पर प्रेम से रहते थे, उनमें कोई साम्प्रदायिक भावना, हिंसक भावना नहीं रहती थी। तो उस जाति को साम्प्रदायिक कहना या उसके बारे में साम्प्रदायिक भावना की बात स चन ि.ल ल ठीक नहीं है।

अगर हम दु ियां के न शे को उठाकर देखें तो अब भी यहां कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं—जैसे ड ोशि ा है वहां अब भी रामलीला होती है और मु लिम धर्म के मानने वाले भी उसमें भाग लेते और उन्हीं की यह रामलीला होती है। तो यहां के अल्पसंख्यकों को यहां के बहुसंख्यकों से सदा दूर रखने का प्रयास किया गया है और जो कांग्रेस दल है जिसका ाम्प्र ायिक दृ टकोण रहा है, वह सदा इसके पीछे रही है और उसने सदा दोनों सम्प्रदायों को बांट कर दूर-दूर रखने का प्रयास किया जिससे वह कुछ हिस्से के वोटों पर अपना एकाधिकार जमाये रख सके। उन्होंने कभी भी यह प्रयास नहीं किया कि हमारे देशवासियों में साम्प्रदायि ता के बजाय राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो वह राष्ट्र यता के बारे में सोचे। मैं आपसे निवेदन करूंगा और लोगों से निवेदन करूंगा कि इस क शन नि व ुने दें ताकि यह मालूम हो सके कि इस प्रान्त में ऐसे कौन कौन से दल हैं जो ाम्प्रदायिकता के बारे में बात करते हैं और साम्प्रदायिकता को भड़काते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*श्री म तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

उपा यक्ष महोदय, भारत ऐसे मुल्कों में से है जहां हर मजहब के लोग रहते हैं। बहुत से लोग यह अपने को हिन्दू धर्म से अटेच्ड कहते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अपने को मुसलमान, सिक्ख व ईसाई कहते हैं। अगर कोई शख्स हिन्दुस्तान में रह कर अपने मजहब पर सही तरीके से अमल करता है और उसके उसूलों को फालो करता है तो मैं कहने को तैयार हूं कि वह कम्यु-नि ट हर्गिज नहीं है। अगर कोई अपने तरीकों से अपने मजहब को फालो करता है, भगवान की पू ा करता तो वह कम्युनलिस्ट नहीं है। ऐसा शख्स तो अपने मजहब के उसूलों पर चल कर दूसरों के लिये अच्छी से अच्छी मिसाल पेश करेगा। कम्युनिलिस्ट वह होता है जो अपने मजहबी वसूलों पर न चल कर दूसरे मजहबों से नफरत पैदा करता है। मैंने कुरान पढ़ी है, भ ता पढ़ी है, सिक्खों की तथा बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ी हैं और दूसरे मुल्क में भी जाकर देखा है और सबमें यही पाया है कि मजहब की बिना पर कहीं भी नफरत नहीं सिखाई जाती बल्कि हर मजहब हमको एक दूसरे से मोहब्बत ही करना सिखाता है। मेरा खुद भ इम्प्रेशन यही है कि कोई भी मजहब हो वह एक दूसरे से मोहब्बत करना ही सिखाता है अ ु ब्ब की बिना पर अमन कायम रखना सिखाता है।

ह हमारी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में कुछ लोगों में यह जहनियत पैदा हो ग ी है कि वे मजहद के नाम पर नफरत पैदा कर आपस में और मैं समझता हूं कि यही कम्युनिलिस्ट कहलाये जा सकते है और न्ही पर हम कम्यलिस्ट होने का चार्ज लगा सकते हैं। अगर कोई हिन्द अथवा कोई मुस्लमान हिन्दुस्तान में यह कहता है कि शासन की ओर से उसके साथ यह यह ज्यादती हो रही है, यह बदसलूकी हो रही है तो हम उसको कम्युनलिस्ट नहीं कहेंगे इस देश में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सबकी मिली-जुली पापुलेशन है और संविधान के अन्तर्गत सबको यहां रहने का हक है। लेकिन अगर कोई आपस में एक दूसरे से नफरत पैदा करना सिखाता है तो वह कम्युनिस्ट है। मैं इस समय यह नहीं बतलाऊंगा कि कौन-कौन दल ऐसे हैं जो एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करना सिखाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

वे अपने दामन को खु देखें कि कितने धब्बे उनके दामनों पर लगे हैं । क्या इस हिन्दुस्तान में इसी तरह के मजहब के लोग नहीं रहे । मगर जो वाकयात सन् १९४७ से पहले और सन् १९३६ के बाद से इस मुल्क में हुए वे मुसलमान, हिन्दू और दूसरे जितने भी मजहब हैं उनके वास्ते बड़ी शर्मनाक बातें हैं ।

मैं सन् १९५१ से सन् १९६७ तक दूसरे मुल्कों में रहा और मैं आपको और इस विधान सभा को यह यकीन दिलाता हूं कि जिस वक्त इन कम्युनल वाक्यात की रिपोर्ट सारे मुल्कों में पहुंचती थी तो वहां के लोग मुझसे पूछते थे कि क्या आपके मुल्क में इंसान नहीं रहते हैं, हैवान रहते हैं जो कि मजहब के नाम पर कम्युनल फीलिंग्स को बढ़ावा देते हैं । सऊदी अरेबिया, मौरिशस, मलेशिया, सोमालिया के मुल्कों में दूसरे मजहब के लोग भी थे मगर मैंने वह हरकतें उन चार सालों में न तो देखी और न सुनी और मुझे नहीं मालूम कि वहां पर कभी इस प्रकार के कम्युनल राइट्स हुये भी हैं । मैं उन लोगों को जो कम्युनलिज्म के नाम पर भड़क रहे हैं और कहते हैं कि कम्युनलिज्म को डिफाइन करने की जरूरत है तो जो रिजोल्यूशन आपके सामने पेश हुआ है उसको ऐक्सेप्ट करके हमको यह क्लियर कर दें कि कम्युनलिज्म के माने क्या हैं । मगर उन लोगों को सोचना चाहिये कि जब ये नेशनलाइजेशन का एलान कर रहे हैं, सेक्युलियरिज्म का ऐलान कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि गढ़मुक्तेश्वर में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, अहमदाबाद में क्या हुआ और अवेडी में क्या हुआ । क्या यह शर्मनाक बात नहीं है । इसके लिये कमीशन मुकर्रर कर दिया जाय और वह यह पता लगाये कि कौन लोग ऐसे हैं जो कम्युनिलिज्म को बढ़ावा देते हैं, मैं समझता हूं कि कोई कमीशन की जरूरत नहीं है ।

हिन्दुस्तान के लोग और उसमें रहने वाले जिन लोगों के दिल और दिमाग हैं हिन्दुस्तान से मोहब्बत है वे सब जानते हैं कि किस दल के लोगों ने इस हिन्दुस्तान की फिजा बरबाद कर रखी है । उन लोगों को चाहिये कि वे इससे सबक लें कि न कि सिर्फ यह कहें कि हम कम्युनलिस्ट हैं । कम्युनलिस्ट अगर सिर्फ हिन्दू धर्म की सहायता करने के लिये तैयार हैं तो उसके जो तौर और तरीके हैं, उसकी जो लैंगुवेज है, उसका जो कल्चर है वह बढ़ानी चाहिये । हिन्दुस्तान की पापुलेशन को ८५ प्रतिशत जहां हिन्दू धर्म को मानती है वहां उसकी लैंगुयेज भी होगी, उसका कल्चर भी होगा मगर कांस्टीट्यूशन ने कहा है कि दूसरे मजहब के जो लोग हैं उनको कल्चरल फ्रीडम रखेंगे, उनको रेलीजियस फ्रीडम रखेंगे । इसलिये उसको डिफाइन करने के वास्ते किसी कमीशन की जरूरत नहीं है । अगर इसके लिये कमीशन मुकर्रर कर दिया जायेगा तो यह उसी तरीके से होगा कि इस वक्त दिन है या रात अगर कोई यह नहीं मसझता है तो उसके लिये कमीशन मुकर्रर कर दिया जाय । हिन्दुस्तान के लोगों ने २३ सालों तक बहुत कुछ देख लिया है और अपनी आंखों से देख लिया है और कुछ इसको भुगते भी हैं । इसके बाद अब इस कमीशन की जरूरत नहीं है मगर यह जो कम्युलिज्म की बात यहां पर पैदा हो गई है वह चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो या सिक्ख हो, यह रफा तो होनी ही है । अगर यह नहीं होता है तो हिन्दुस्तान कभी भी दुनियां के दूसरे मुल्कों में इज्जत की जगह हासिल नहीं कर सकता है । आपको वह नैशनलिज्म जिसका ख्वाब आप देखते हैं और जिसका कि हमारे नेताओं ने हर वक्त तजकिरा किया है और जिसके वास्ते गांधी जी ने अपनी जान दे दी और जिसके लिये पूरी-पूरी जिन्दगियां बरबाद हुई हैं वह चीज कभी हासिल नहीं हो सकती । इस कम्युनलिज्म को रफा करने का क्या तरीका है । मैंने अक्सर इस पर गौर किया और मैं समझता हूं कि इसका एक तरीका है कि हमको अपने सेकुलर आइडियल्स पर बहुत सख्ती से चलने की जरूरत है । जो हिन्दुस्तान की फिजा है इसमें अक्सर मौकों पर गवर्नमेंट के साथ सेकुलरिज्म की वेल्यू चेंज हुआ करती है । मैं बतलाता हूं आपको कि सन् ६९ के बाद जबसे मैं असेम्बली में आया हूं उस वक्त कितनी चेंजेज

हुये हैं । हर चेंज के साथ सेकुलरिज्म की वैल्यू चेंज हो गयी है । आज मुझे खुशी है कि मेरा ऐसे दल से ताल्लुक है जो किताबों में सेकुलरिज्म की वैल्यू दी हुई है और जिस पर आमिल होकर हिन्दुस्तान की कानूनी तरक्की हो सकती है उस वैल्यू पर वह अमल करने को तैयार है ।

अब सवाल होता है कि किस तरीके से या कमीशन के जरिये से किसी दल को बतायें कि यही जिम्मेदार है, उसको आप अनलाफुल डिक्लेयर करें उस पर कोई सख्ती करें, उस तरीके से इसको रफा करें । मैं समझता हूं कि यह चीज कानून के जरिये से नहीं हो सकती । सेकुलरिज्म के वह आइडियल्स जिससे हिन्दुस्तान की कौम दुनियां की कौमों में एक इज्जत का मकाम हासिल कर सकती हैं उन आइडियल्स का प्रचार होना चाहिये गवर्नमेंट के जरिये से और जहां पर गवनमेंट को महसूस हो जाय कि हमारे जिले के अफसरान की वजह से सारे प्रचार में मदाखलत हो रही है, या उनकी वजह से कम्युनलिज्म को एनकरेजमेंट मिल रहा है वहां सख्ती से कदम उनके खिलाफ उठाना चाहिये । मुझे याद है और आप हजरात ने भी देखा होंगा कि हर गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एस०पी० और उन लोगों के अख्तियारात में इजाफा और कमी होती रहती है । मऊनाथ भंजन में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त रायट हुआ जो कि वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस०पी० की बदमाशी से यह सब हुआ । मगर मैं उस वक्त इडिपेंडेंट बैठा हुआ था और मुझे अफसोस हो रहा था कि खद्दर की टोपी और लिबास पहिने हुए गांधी जी का नाम लेते हुए लोग वह सब कर रहे थे । जिस कम्युनलिज्म का इनकलाफ मऊनाथ भंजन में हुआ था उसके खिलाफ कोई ऐक्शन लेने को नहीं तैयार हुआ । उसी तरीके से अहमदाबाद में यही हुआ कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी मगर जिस तरीके से वाकयात हुए, अबादी में भी यही हुआ। मैं तो इसी उम्मीद पर बैठा हुआ हू कि यह सेकुलरिज्म का जो आइडियल है उसकी हम तरक्की करेंगे और यही जरिया है जिसके जरिये से वह नैशनलिज्म जिसका हिन्दुस्तान ख्वाब देख रहा है वह आ सकेगा और कम्युनलिज्म रफा हो सकेगा । थैंक्यू ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, आज सारा देश कई टुकड़ों में टूटा हुआ है, जाति में, भाषा में, योनि में, वर्ग में और सम्प्रदाय में । इससे इस देश को बड़ा खतरा है । इसीलिये हम राजनीतिक एकता की बात करते हैं । ऐसा हमें लगता है कि भाई रियासत साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, इसी भावना से प्रेरित होकर रखा है, लेकिग श्रीमन्, मेरा ख्याल है कि जो साम्प्रदायिकता की बात कही जाती है उसका सीधा संबंध भावना से होता है । आज ही कौन कौन दल साम्प्रदायिकता वादी हैं, इसके जानने की आधारशिला क्या होगी। अगर हम कहें कि कौन कौन पार्टी देशद्रोही हैं, इस बात को जानने की क्या आधारशिला होगी । मैं रियासत भाई से कहूगा कि आप उस दल को क्या कहेंगे जिस दल ने १९४७ में जो देश की सीमा थी उसको भी घटा दिया, अंग्रेजों की बनायी सीमा को भी घटा दिया । जिस संस्था की तिकड़म से यह हुआ उस संस्था को आप क्या कहेंगे । क्या उसको आप देश द्रोही मानने को तैयार होंगे जिस दल ने हिन्दू मुसलमान के नाम पर भारत माता के दो टुकड़े किये, क्या उस पार्टी को आप सम्प्रदायवादी कहेंगे । जिसके खिलाफ गांधी जी ने अपनी राय दी लेकिग उनकी मरजी के खिलाफ जिस दल ने एक राज्य को दो टुकड़ों में हिन्दू मुसलमान के नाम पर बंटवा दिया, उसको क्या आप साम्प्रदायिकतावादी पार्टी कहेंगे । इस दृष्टि से देखने पर रियासत भाई को भी मुश्किल हो जायगा कुछ कहना, क्योंकि आज वे भी उसी पार्टी में जाकर शामिल हो गये हैं, जिधर मैं संकेत कर रहा हूं ।

इसलिये मेरा एक ख्याल है कि इस साम्प्रदायिकता वाली बात को छोड़ कर हमारी एक निश्चित धारणा यह होनी चाहिये कि हम हिन्दू और मुसलमान यहीं के रहने वाले हैं,

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

एक ही राष्ट्र के रहने वाले हैं फिर आज हिन्दू और मुसलमान की भावना ही क्यों आती है ? इसलिये आती है कि इतिहासकारों ने हमको गलत इतिहास पढ़ाया है । जो पढ़ाया जाता है उससे ऐसा लगता है कि मुसलमान परदेशी है और मुसलमाग सोचता है कि मैं इस देश का शासक रहा हूं । वह इतिहासकारों की गढ़ी हुई बात है वह हिन्दू और मुसलमानों के दिलों में घर कर गयीं है । अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाय तो हमारे यहां का जो इतिहास रहा है वह हिन्दू मुसलमानों की लड़ाई का इतिहास नहीं रहा है । नादिरशाह भारत में आया । उसने क्या केवल हिन्दुओं को ही मारा । क्या हिन्दुओं का ही उसने कत्ले-आम किया । कत्लेआम मुसलमानों का भी हुआ । अभी पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें मंदिर गिराये गये और मसजिदें भी गिरायी गयीं । आज बंगाल की दशा आप देख रहे हैं । किसका कत्लेआम हो रहा है । क्या वहां केवल हिन्दू ही मारे जा रहे हैं ? क्या शरणार्थी के रूप में हिन्दू ही आ रहे हैं ? शरणार्थी हिन्दू और मुसलमान दोनों ही आ रहे हैं । आज बंगाल में मुसलमान मुसलमान का कत्ल कर रहता है और मस्जिदों को ढाह रहा है । नादिरशाह को उसने मात कर दिया है । वहां कौन साम्प्रदायिकता वादी है ।

मैंतो समझता हूं कि आज जो भी साम्प्रदायिकता की बात करता है वह निश्चित रूप से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देता है, अब वह हो किसी भी रूप में । आज जरूरत इसकी नहीं है कि यह देखा जाय कि कौन सम्प्रदायवादी हैं और कौन नहीं हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोगों में ठीक प्रकार की भावना भरी जाय । आजादी के पहले की बात मुझे ठीक से याद है कि अगर कोई हिन्दुओं का त्योहार होता था तो मुसलमान भाई दिल खोल कर उसमें शामिल होते थे और अगर मुसलमानों का कोई त्योहार होता था तो हिन्दू लोग दिल खोल कर उसमें भाग लेते थे । क्या आज यह भावना है ? क्या हिन्दू और मुसलमान इस भावगा से शामिल हो रहे हैं । नहीं हो रहे । इसका कारण क्या है । उस कारण को हमें खोजना होगा । उसका कारण यही है कि हिन्दू और मुसलमान के दिल में चोर बैठा हुआ है । इसलिये डाक्टर लोहिया ने एक बार कहा था....

श्री उपेंद्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)–

श्रीमन्, कोरम का अभाव है ।

श्री राम बिलास पांडेय––

श्रीमन्, एक बार कोरम के अभाव में घंटी बजाई जा चुकी है । सरकारी पक्ष की इसकी जिम्मेदारी है ।

श्री उपाध्यक्ष––

आज तो असरकारी दिवस है । आपकी भी तो जिम्मेदारी है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

मैं कह रहा था श्रीमन् कि डाक्टर लोहिया का कहना था कि जो हिन्दू एक मुसलमान की जान बचाने के लिये अपनी जान को जोखिम में नहीं डालता है वह हिन्दू नहीं है और यही बात उन्होंने मुसलमान के लिये भी कही थी कि जो मुसलमान एक हिन्दू की जान बचाने के लिये अपनी जान को जोखिम में नहीं डालता वह मुसलमान हो नहीं सकता । डाक्टर लोहिया ने कहा था कि चाहे कबीर हों, जायसी हों, सूर हों, तुलसी हों, ये सब के पुरखे हैं किसी एक सम्प्रदाय के नहीं । तो हमारे इतिहासकारों ने एक बड़ा गलत मोड़ दिया । इतिहासकार, मैं साफ कहना चाहता हूं कि जो सत्ता पर बैठा रहता है उसके बड़े चाटुकार होते हैं । अंग्रेज, हिन्दू, और मुसलमान की

लड़ाई करा कर शासन करना चाहता था। वह सोचा करता था कि हिन्दू और मुसलमान में फिरकापरस्ती की भावना कैसे फैले। और वही मनोवृत्ति जो अंग्रेज की थी आज सत्तारूढ़ कांग्रेस की है, वह बदली नहीं है। इस मनोवृत्ति से प्रेरित हो कर आप आज उर्दू की बात करते हैं, उसे अनिवार्य भाषा के रूप में करना चाहते हैं। एक बार जब चर्चा हो रही थी तो अध्यक्ष महोदय ने एक बड़ी सही बात कही थी उस कुर्सी पर बैठ कर। उन्होंने कहा था कि किसी को हमदर्दी मुसलमान के साथ नहीं है, सभी मुसलमानों को अपने पक्ष में रखने के लिये शोर कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। आज हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हैं। आज, मैं कोई एक दल की बात नहीं कहता हूं, यह दूसरी बात है कि आप के दल में यह चीज ज्यादा है, लेकिन चाहे कोई भी दल हो उसकी एक ही निगाह हो रही है कि मुसलमान के वोट कैसे हासिल करें। महात्मा गांधी ने कहा था कि उर्दू हिन्दी की एक शैली मात्र है, हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य हो। आज जब वह बात आती है तो कुछ भाई संस्कृत से बहुत कतराते हैं। आज की सरकार उर्दू की पढ़ाई अनिवार्य करने जा रही है केवल इसलिये कि मुसलमानों के वोट उनको मिलें। तो मैं साफ कहना चाहता हूं रियासत हुसैन साहब से कि प्रस्ताव आप जिस भावना से भी लाये हों, आप के दल में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो साम्प्रदायिकता के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता की भावना न फैले तो उसके लिये सामाजिक तरीके से कार्य किया जाना चाहिये। वह सामाजिक तरीका क्या होगा? वह होगा दोनों का खान-पान। अगर मुसलमान का कोई त्यौहार पड़ता है तो हिन्दू उस में शामिल हो अगर हमारे यहां रक्षाबन्धन पड़ती है तो उसमें मुसलमान शामिल हों और आपस में बैठ कर खायें पीयें और एक दूसरे के रक्षा बन्धन बांधें, इस तरह से आपस में मेल और सामाजिक एकता आयेगी।

हिन्दी-उर्दू झगड़ा समाप्त हो चुका है उस भावना को अगर फिर उभारा जायगा तो प्रदेश और देश गिरेगा, आप देश को इस तरह से गर्क में न डालें, यहां मुसलमान हिन्दू को इज्जत के साथ रहने दें और जो उनको मिलाने के और ऊपर उठाने के उपाय हो सकते हैं उनको अपना कर आप बजट में पैसा खर्च करें। अगर आप ऐसा कर सकें तो फिर हिन्दू मुसलमानों के दिल मिल जायंगे और यह भावना समाप्त हो जायगी। यह जो कमीशन बनाने की बात है यह तो समाज को तोड़ने वाली बात है, इससे तो और झगड़े खड़े हो जायंगे कि कौन साम्प्रदायिक दल हैं, जनसंघ साम्प्रदायिक है, मुसलिम लीग साम्प्रदायिक है, हम कहेंगे कि कांग्रेस साम्प्रदायिक है, वह कहेंगे कि एस० एस० पी० वाले साम्प्रदायिक हैं और इस झगड़े में यह निर्णय ही नहीं हो पायेगा कि कौन साम्प्रदायिक है। इसलिए मैं रियासत भाई से कहूंगा कि वह सरकार की सलाह दें और हम सब विरोधी दल उस कार्य में शामिल होंगे कि आपस में मेलजोल के कार्यक्रम को वह अपनायें और फिर देखें कि साल भर में इस प्रदेश का कैसा नक्शा बदलता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत हुसैन द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जो विवाद अभी जारी है उसको पहले मैं आप के समक्ष पढ़ना उपयुक्त समझता हूं और वह इस प्रकार है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे कमीशन की स्थापना की जाय जो यह निर्णय दे कि कौन-कौन राजनीतिक दल साम्प्रदायिकता में विश्वास रखते हैं और साम्प्रदायिक दंगे फसाद आदि कराते हैं और उक्त कमीशन की सिफारिशों पर उन पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल[

मान्यवर, अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस दिशा में प्रकट किये। जहां तक इस संकल्प का उद्देश्य है मैं समझता हूं कि इस संकल्प के २ भाग हैं। पहला भाग भावना पर आधारित है और इसका दूसरा भाग सिद्धान्त पर आधारित है। भावना से मेरा आशय यह है कि इस देश में और इस प्रदेश में नित्य नई घटनायें जो होती हैं उनमें अल्पसंख्यक लोगों पर जो अत्याचार होते हैं और साम्प्रदायिकता के भड़का कर जो जुल्म ढाये जाते हैं उसी से तंग आकर कदाचित् श्री रियासत हुसैन ने यह प्रस्ताव रखा है। यह प्रश्न राजनैतिक दलों का है और अगरकोई इसका कमीशन बिठाया जाता है तो पहले हमें यह विश्लेषित करना होगा और विचार करना होगा कि दल क्या है, राजनैतिक दल क्या है अगर छोटे-छोटे विषयों को लेकर जो लोग अपने छोटे-छोटे गुट बना लेते हैं वे क्या हैं। अगर हम राजनैतिक दलों के विषय में विचार करें तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रव्यापी भावनाओं को लेकर अपने-अपने विचारों को लेकर जो दल यहां बने हैं कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दल या अन्य दल जो भी हैं सब के सामने अपने-अपने विचार हैं, सब का अपना-अपना संविधान है और उसके आधार पर यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर उन के संविधान और सिद्धान्तों के अनुसार अगर कोई दल विशेष सम्प्रदाय वाले लोगों को ही अपने दल में सम्मिलित करता है तो प्रश्न समाप्त हो जाता है कि फलां दल साम्प्रदायिक है और फिर कमीशन बिठाने की आवश्यकता ही नहीं रह जातीहै। वह प्रश्न तो तब आता है जब हम आप अपने-अपने दलों में भिन्न भिन्न प्रकार के एक ही जैसे विचार के लोग लेकर आयें और तब निर्णय करें कि आप कौन सा साम्प्रदाय आगे बढ़ा रहे हैं।

जहां तक हमारी जानकारी है राष्ट्रव्यापी जितने भी राजनैतिक दल प्रदेश में हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनमें किसी विशेष धर्म के लोगों के लिये स्थान हो और अन्य लोगों के लिये न हो। जब इस प्रकार की स्वतंत्रता लोगों को है कि विभिन्न प्रकार की विचारधारा के लोग अमुक प्रकार से इस देश में संगठन कर सकते हैं, इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं और इस देश की प्रगति कर सकते हैं और यह देश तथा प्रदेश आगे बढ़ सकता है तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि दलों के लिये इस प्रकार का जो बन्धन है वह यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर जहां तक भावनाओं का प्रश्न है इससे हम इंकार नहीं कर सकते हैं कि वह भावना बिलकुल वोट तक ही सीमित है। क्या इस गन्दी प्रणाली द्वारा वोट प्राप्त कर के ऐसे दल देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि कोई भी दल जब चुनाव लड़ता है तो वह बहुमत और अल्पमत की भावना को लेकर ही आगे बढ़ता है। जब वह चुनाव की बात करता है तो बिल्कुल सिद्धान्त के ऊपर पूर्ण रूप से संवैधानिक बात ही करता है और उसके सामने मुख्य प्रश्न यही होता है कि किस तरह से चुनाव जीत कर आ सकें। यहीं पर सारी गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी के आधार पर इस देश और प्रदेश में इस प्रकार के दंगे होते हैं। जो दल विशेष होते हैं वे इस प्रकार की भावनाओं को लेकर ही दंगे करवाते हैं।

राजनीतिक दंगे भी होते हैं लेकिन राजनीतिक दंगे जो करवाते हैं उसके पीछे अनेक प्रकार के तत्व भी होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो दंगे होते हैं उनको राजनीतिक दल ही करावाते हों। यह ठीक है कि इस प्रदेश में जहां धर्म की समस्या को लेकर बहुसंख्यक लोग रहते हैं, वहां प्रत्येक व्यक्ति चाहे अशिक्षित हों, योग्य न हों, वे भी वोट देते हैं और उनके वोट को लेकर दल विशेष सामने आ जाते हैं। भावना के पीछे अनेक प्रकार की अशान्ति और अशान्ति के साथ-साथ दल विशेष की भावनायें पैदा होती हैं और तब संघर्ष होता है। अगर हम इस को महत्व देते हैं तो राजनीतिक दल का सिद्धान्त एक ही है कि एक तरफ संवैधानिक स्वरूप हो और दूसरी तरफ वहां ऐसे दल न आवें जो एक विशेष मार्ग को लेकर चाहते हैं। आप चुनाव के तरीके पर विचार करें कि वोट लेने के लिये जो दल होते हैं वे किस तरह का वातावरण पैदा करते हैं। सारे प्रदेश में वोट लेने के लिये जो एक स्वच्छंदता का वातावरण

पैदा किया जाता है उसको समाप्त होना चाहिये। प्रजातन्त्र में इस प्रकार की रुकावट होनी चाहिये।

मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस प्रदेश में शैक्षिक दृष्टि से सुधार कर दिया जाय। जब तक राष्ट्रीय भावना न हो, राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति लोग वफादार न हों, जब तक दलों के दिलो दिमाग में इस प्रकार की भावना न हो कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। तब तक इसी प्रकार की भावना चलती रहेगी और यह कार्य दलों के माध्यम से हो सकता है और सरकार के द्वारा भी हो सकता है। सरकार की ओर से भी नियम बनाये जायं लेकिन हो सकता है कि नियम के पालन करने में कुछ कठिनाई हो। जो कम्युनिस्ट लोग किसी चीज में विश्वास नहीं करते वे भी अल्पमत और बहुमत के आधार पर ही वोट मांगते हैं। इसलिये जब हमारे दल इस देश और प्रदेश के निवासियों के पास वोट लेने के लिये जायं तो हमें ऐसे व्यक्तियों को आगे लाना है जो वास्तव में इसके अनुकूल हों, इसके उपयुक्त हों। अ र जब इस प्रकार की भावनायें हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में और दलों के भीतर आयेंगी, उस समय यह प्रश्न कतई समाप्त हो जायेगा।

माननीय रियासत भाई की, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, भावनाओं का मैं आदर करता हूं। इस विषय पर जो हमारे भाई माननीय बंशीधर पांडेय बोले हैं, मैं पूर्णतया उनके विचारों का समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि भाई रियासत साहब ने, जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रदेश के उस स्थान की पीड़ा से दुखी होकर यह प्रस्ताव रखा है। यह कोई राजनीतिक दल का सवाल नहीं है। यह हमारी उन मूलभूत भावनाओं का सवाल है जिनके कारण हम आज फंसे हुए हैं। दलों में स्वच्छता लाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो संकुचित दायरा है, उसे दूर करना जरूरी है। हमें इस प्रश्न को भूल कर यह सोचना चाहिए कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है। यह तभी हो सकता है कि जब दलों के अन्दर इस प्रकार की बात नहीं रहेंगी। मेरी राय है कि इस विषय में इस प्रस्ताव की अधिक उपयोगिता नहीं है और इस पर अगर दूसरी तरह से विचार कर लिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस विषय पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया।

श्री शफीक अहमद (जिला बरेली)—

आज सदन में जो संकल्प पेश है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। हिन्दुस्तान में जब से, यानी आजादी के बाद, कांग्रेस ने शासन संभाला है अक्लियत के साथ जो बर्ताव हुआ है, उसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह जो संकल्प है, कि एक कमीशन बैठाया जाय, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह तफसील के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा, जैसा कि भाई रियासत साहब चाहते हैं। आजादी के बाद अक्लियत को जो लाखों की जानी नुक्सान पहुंचा है, उसकी तवारीख ही अलग है। गुजिश्ता सालों में गांवों और शहरों में हजारों की तादाद में फिसादात हुए और उनमें अकल्यित के लोग मारे गये, गरीब लोगों को नुकसान पहुंचा। दूसरे इस अक्लियत के साथ और बेइन्साफी हुयी। किसी भी महकमे में ले लीजिए चाहे पुलिस विभाग हो या और कोई विभाग हो, अक्लियत के लिए, उनकी आबादी के अनुपात में, उनको नहीं रखा गया है। यह सरकार उनकी हिफाजत नहीं कर पायी है। उनके जानमाल की हिफाजत नहीं कर पायी है, उनको सर्विसेज में रिप्रिजेन्टेशन नहीं दिला पायी। इन वजूहात की बिना पर जो फिसादात हुए उनको मैंने दो तीन जगह खुद जाकर देखा कि वहां की अकलियत निहायत पेशमानी की हालत में थी। वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद थे, वहां के एस० पी० मौजूद थे और पी० ए० सी० मौजूद थी लेकिन मैंने देखा कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे रिपोर्टर आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आप आगे आकर बोलें।

श्री शफीक अहमद—

वहां मऊ, आजमगढ़ के लोगों की हालत असलियत में जाकर मैंने देखी कि वे अपने घरों के बाहर नहीं निकलते थे उनका बाहर निकलना मुश्किल है। जैसे शेर से जाहिर है—

"बाल पर टूटे हुए परवाज की ताकत नहीं।
ताक में सैय्याद और गुलशन की दीवारें बुलन्द।"

मैं मुरादाबाद भी खुद गया था। वहां भी यही कैफियत थी। वहां पी० ए० सी०. हरियाणा से आई थी। उनका भी यह दस्तूर था कि वह अकलियत के लोगों के साथ जुल्म करे। अब जरूरत है इस बात की कि मैं यह देखता हूं कि कांग्रेस में जो बर सरे इक्तदार हैं, चाहे वह टिकट बांटते हों तब देख लें उसमें अकलियत का कोई खयाल नहीं रखते। इसकी मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूं कि चालीस बयालीस हमारे मिनिस्टरों में कैबिनेट के १८ मिनिस्टर हैं। १८ मिनिस्टर होने के बावजूद भी सिर्फ एक मिनिस्टर अकलियत का है। जब श्री चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तब भी उनकी सरकार में दो मिनिस्टर अकलियत के कैबिनेट स्तर के थे। जब जनसंघ पार्टी सरकार में सब से बड़ी पार्टी थी तब भी दो कैबिनेट स्तर के मंत्री अकलियत के थे। त्रिपाठी जी की सरकार में केवल एक है। यही चीजें हैं जो अकलियत को मुतमईन नहीं करती हैं और वे यह सोचते हैं कि हमारी कदर नहीं हो रही। इस बात की जरूरत है कि कमीशन मुकर्रर किया जाय। इसके अलावा साम्प्रदायिकता कमीशन मुकर्रर करने से नहीं जायेगी। इसलिये जरूरत है कि ऐसी किताबें जारी की जायं जो शुरू से बच्चों में इस तरह के जजबात पैदा करें जिससे साम्प्रदायिकता की बू न फैले। इकबाल ने लिखा है :—

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा।"

खाली कमीशन से वह काम नहीं चलेगा। मुझे बहुत अफसोस है कि रियासत हुसैन साहब भूल गये कि इन्होंने ही फरमाया था कि "आधी रोटी खायेंगे पाकिस्तान बनायेंगे"। यह गलत है। हम यह कहें कि वह काम हर कौम में हो सकता है, एक ही जमात में नहीं तो मेरी यह राय है कि कमीशन से ही साम्प्रदायिकता दूर नहीं होगी। जो आने वाला वक्त है उसमें हम लोग मिल जुल कर रहें, देश और प्रदेश की तरक्की हो, इसके बारे में हम लोग सोचें और सब पार्टी के लोग मिल कर सोचें, तभी कुछ भला हो सकता है।

सदन की कार्यवाही को समाचार पत्रों में छापने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। सबेरे वीरेन्द्र वर्मा जी ने आपकी आज्ञा से एक मंत्री की खिलाफ आरोप लगाया। श्रीमन् ने अनुमति दी और यह कार्यवाही में आ गया। लेकिन श्रीमन् ने आदेश दे दिया कि अखबार में नहीं छपेगा। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। जो कार्यवाही में आ गया उसको आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं छपेगा। इससे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जायगी। आपने सद्भावना के रूप में एक तरीका निकाला था कि मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद प्रेस में छपेगा किन्तु, मंत्री जी आज भी उपस्थित नहीं हैं। तो श्री मन् आपके मनाही से प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात होता है। इसलिये मेरा निवेदन है अपने पूर्व आदेश को वापिस ले लें और समाचारपत्रों में इस समाचार को छपने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न आप उठा रहे हैं इसके बारे में मैंने दो बातें कहीं . . .

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। चौधरी साहब ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। आज कल राजनैतिक वातावरण ऐसा हो गया है कि नित्य-प्रति मंत्रियों पर बौछार आएगी। उसमें विरोधी पक्ष का कोई दोष नहीं है। नीचे से ऊपर देखें, आज उन्हीं के दल के लोग भी उन पर बौछार कर रहे हैं। भष्टाचार के मामले, एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि सामने न आए हों। यह तो जनहित में है कि मंत्री लोग स्वच्छ रहें, उनको व्यवहार निर्मल रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने इन प्रोसीडिंग्स में तो लिखने का आदेश दिया लेकिन प्रेस के लिए हाथ उठा दिया कि आप न लिखें। इसका कारण मैं नहीं समझ सका। साधारण बुद्धि के अनुसार केवल एक चीज समझा और वह यह कि आप मंत्रियों की रक्षा चाहते हैं। सारे मेम्बर्स ने सुना, प्रोसीडिंग्स में आएगा, लेकिन प्रेस में जाने से क्यों रोका, यह समझ में नहीं आया। यह एक तरह से स्वतंत्रता पर आघात है। आश्वासन समिति गैलरी में लोगों ने सुना। वर्मा जी की आवाज भी कुछ तीखी है। नीचे के लोगों ने भी सुना। मान्यवर, मैं तो समझता हूं कि हमारे विचारों को बाहर ले जाकर प्रचार करना, सही रूप में समाज के सामने रखना प्रेस का कर्तव्य है। हम भी कुछ काम करते हैं और वह भी कुछ काम करते हैं। सही बात समाज के सामने रखना दोनों की ही जिम्मेदारी है। मैं मान्यवर, इसका बड़ा विरोध करता हूं कि आपने ऐसा आदेश दिया। आप इसको कृपया वापस लें और यह आदेश दें कि हां वह भी आप सकते हैं। ऐसा करें तभी इंसाफ होगा नहीं तो यह केवल प्रेस के हितों पर ही नहीं बल्कि हमारे हितों पर भी आघात है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन् उपाध्यक्ष होने के अतिरिक्त आप इस सदन के बहुत ही पुराने सदस्य भी रहे हैं और किस प्रकार से यहां का कार्य संचालन होता है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। सदैव होता यह है कि ऐसी कोई बात जो अध्यक्ष यह समझते रहे हैं कि उसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए तो वह यह कहते रहे हैं कि यह प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बनेगा।

यह काफी संकेत होता था और परम्परा के अनुसार प्रेस इस बात का नोट लेता था। अध्यक्ष जी का यह आदेश होता था और स्वतः प्रेस उसको प्रकाशित नहीं कर सकता था। एसेम्बली और पार्लियामेंट में कनवेंशन के अनुसार यह एक समझौता था और यह एक प्रकार का अधिकार बन गया था लेकिन जब इस सदन में कोई बात उठायी जाती थी और वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन जाती थी तब फिर प्रेस को स्वतः यह अधिकार था कि वह उसको छापे। एसेम्बली और पार्लियामेंट का इस प्रकार का कोई आदेश नहीं था कि जो चीज प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन जाती है वह नहीं छपेगी।

डिमोक्रेसी में प्रेस की एक हैसियत है जिस तरह से कि लेजिस्लेचर की और लेजिस्लेचर के प्रोसीड्योर्स की होती है और इसीलिए प्रेस के रिप्रेजेन्टेटिवज यहां पर बैठते हैं। अगर वे उस चीज को छापते हैं जो हक प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं है तो फिर उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की कार्यवाही हो सकती है। मैं यह समझता हूं कि यह कोई विशेष बात नहीं थी और अगर कोई चीज है तो वह संशोधित की जा सकती है। इसमें कनट्राडिक्शन कहां पर है? एसेम्बली की प्रोसीडिंग्स की बुक तो बाजार में दो आने व चार आने में छप जाने के पश्चात मिल जाती है। आप चाहें तो अपने सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं। प्रोसीडिंग्स बुक तो पब्लिक डाक्यूमेंट है, यह कोई प्रिविलेज डाक्यूमेन्ट नहीं है। श्री वीरेन्द्र वर्मा ने यह चार्ज लगाया कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णनन्द राय]

एक स्टेट मिनिस्टर ने १,००० रु० लिया और १ लाख रुपया लिया और वह सब प्रोसीडिंग्स में छप गया। सारा सदन जानता है। यह कैसे कह दिया गया कि प्रेस वाले नहीं छापेंगे। आपने कह दिया कि न छापें, मगर मान्यवर, आप इसे इस दृष्टिकोण से देखें कि परम्परा जो भी डाले वह स्वस्थ परम्परा होनी चाहिए। कृपया आप इसे संशोधित करें। श्री वीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि यहां के राज्य मंत्री श्री उमा दत्त शर्मा ने एक मीटिंग में एक म्यूनिसिलिटी चेयरमैन से १००० रु० लिये। क्या उन्होंने उस रुपये को अपने निजी कोष में रख लिया? उन्होंने १ लाख रुपया भी लिया। यह भी प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। श्रीमन्, आपको पूर्ण अधिकार है कि उसका प्रकाशन करायें।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं इसका एक दूसरा पहलू आपके सामने रखता हूं। माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने अपनी जानकारी के आधार पर या जनता की शिकायत पर एक प्रश्न आपके सामने रखा। माननीय मुख्य मंत्री जी या संबंधित मंत्री अपना उत्तर सदन के सामने लायेंगे कि वह बात कहां तक सही है या उसका क्या रूप है, उन्होंने उस रुपये को कांग्रेस फण्ड में जम किया है या नहीं किया है। उन्होंने उस रुपये को नागरिक परिषद् में जमा किया है या नहीं किया है, वह भी आयेगा। क्या मान्यवर, आपकी यह व्यवस्था कि यह प्रेस में नहीं जाना चाहिए, उनके उस बयान पर भी लागू होगी या नहीं जब कि वे बयान देंगे। उन पर क्या आक्षेप लगाये गये यह बात तो निराधार है और आधार शून्य है। अगर ये आरोप प्रेस में नहीं आते हैं तो मैं यह समझूंगा कि यह थोड़ी सी ज्यादती हो जायगी। कृपया इस व्यवस्था पर पुनः विचार कर लें और मुझे आशा है, मान्यवर, अगर आप इस पर गम्भीरत से विचार करेंगे तो यह व्यवस्था देंगे कि उनका जवाब भी प्रेस में आना चाहिए और ये आक्षेप भी प्रेस में आने चाहिएं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं श्री शम्भूनाथ जी की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने आपकी आज्ञा से इस विषय को छेड़ा है और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको तो हमेशा मौका देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपकी मेहरबानी से हिम्मत बढ़ती है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोग गैर-जिम्मेदार हैं और वह खाली लांछन और इल्जाम लगाने के लिये ऐसा करते हैं। जितने भी छानबीन करने के तरीके हैं वह सभी अपनाते हैं। मान लीजिये हमको शिकायत मिलती है तो उसको हम मुख्य मंत्री जी को भेज देते हैं। उनके यहां से जवाब नहीं मिलता है तब हम मजबूर होकर सदन में सवाल करते हैं और ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा सरकार से वक्तव्य की मांग करते हैं, या प्रस्ताव के रूप में चर्चा यहां कराते हैं। तो मान्यवर, इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते कि इस विषय पर शायद हमारी तरफ से एक सवाल हो गया था। उसके बाद मान्यवर सभी दलों के नेताओं ने अपने दस्तखत से वक्तव्य के लिये आपको नोटिस दिया। नियम ५२ में चर्चा करने की बात थी लेकिन वह इसलिये नहीं हो सकी कि वह सवाल पहले से लम्बित था और उसकी तारीख अभी नहीं हुई थी। तो ऐसी हालत में जब सभी जगह से कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो इस तरह से सदन में उठाया जाता है। दूसरी जगह जो हमको सुनने में मिला है या पढ़ा है कि जब आरोप गम्भीर होते हैं तो या तो वह मंत्रिपरिषद् से अलग होकर खुद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जांच कराता है या मुख्य मंत्री ऐसा करते हैं या प्रधान मंत्री ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे यहां सरकार की ओर से इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दिखलाई जाती है। तो ऐसी हालत में अगर यह मामला बाहर न जाय तो शक हो जाता है। कम से कम यह जनता के बीच में जाना ही चाहिये और फिर आपने उसको एक्सपंज भी नहीं कराया। अगर आपके आदेशों में संशोधन नहीं किया जाता है तो ऐसी नजीर बन जायेगी, कि जिसकी वजह से गैर एक्सपंज किये हुये भाषण भी प्रेस से रोके जा सकेंगे। इससे जनता में यह अन्देशा हो सकता है कि जो लांछन सदन में लगे, आप हमारे सदन के खाली संचालक ही नहीं हैं बल्कि हमारे नुमायन्दा भी हैं और प्रवक्ता भी हैं तो उसको लेकर लोग कहें कि जानबूझकर इस कुर्सी ने यह कोशिश की कि गवर्नमेंट पर जो इल्जाम लगा वह जनता में न जाने पावे। तो सभी दृष्टि से आप देखें। इस पर पुनः विचार हो और संशोधन हो तो अच्छा होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, अभी विरोधी दल के विभिन्न नेताओं ने अपने इस सम्बन्ध में विचार प्रकट किये हैं। लोक सभा में भी यही परिपाटी रही है कि गम्भीर आरोप जो कि जनतंत्र और सार्वजनिक जीवन के हित में हैं प्रकाश में आते रहते हैं। अगर आपने अपना विवेक प्रयोग करके जनता के प्रकाश में आने से इसको रोका तो इससे न तो भ्रष्टाचार ही रुकनेवाला है और न सार्वजनिक जीवन में पवित्रता आने वाली है। इन दोनों बातों को लाने में आप हमसे आगे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सहायक होंगे उस कार्य में जो जनतंत्र की दृढ़ता के लिये और सार्वजनिक जीवन में पवित्रता लाने में कोई कदम उठाया गया हो। ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि महीलाल जी ने कहा और जैसा कि उद्योग मंत्री का स्पष्टीकरण प्रकाशित होगा और मैंने जो कल उद्योग मंत्री जी की बाबत एक सूचना आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को दी थी अभी मैंने यह चुनौती भी दी थी कि मैं आज भी तैयार हूं उद्योग मंत्री जी की उपस्थित में मुख्य मंत्री जी के सामने उस विषय में बातचीत करने को। इसी प्रकार जो बात मैंने आज उमादत्त जी के सम्बन्ध में उठायी है उसमें भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए और जस दल का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उसकी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए यहां मैंने इस दुखद घटना का जिक्र किया था। जिक्र इसलिए किया था कि हमारा सार्वजनिक जीवन पवित्र बन सके और मुख्य मंत्री जी के नोटिस में उनके मंत्री के कृत्यों की जानकारी लायी जा सके। मुख्य मंत्री जी देखें और जांच करें। मान्यवर, इस कारण मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न के महत्व को और इसकी गम्भीरता को और इसके जो असरात पड़ेंगे सार्वजनिक जीवन पर और प्रशासन पर उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके प्रकाशन पर जो रोक लगायी है उसको वापस लेंगे की कृपा करेंगे। अव्वल तो मंत्री जी को आज ही आना चाहिए था क्योंकि उनके नोटिस में यह आ गया होगा और प्रकाश डालना चाहिए था लेकिन वह नहीं आये, क्यों नहीं आये वह बेहतर जानते होंगे, वह प्रकाश डालेंगे और अगर हमसे कोई सबूत मांगा जायेगा तो मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में वह सबूत भी पेश करने की कोशिश करेंगे।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी चूंकि शम्भूनाथ जी की व्यवस्था के प्रश्न को उठाने के बाद आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी है कि प्रेस वाले नोट नहीं करेंगे इसलिए मैं यह कहने का साहस करता हूं कि जितनी भी बात हो चुकी है वह प्रेस में जायेगी। मान्यवर हमारी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने एक दुखद घटना की चर्चा की और वह सब प्रोसीडिंग्स में आ चुकी है और जैसा कि कृष्णानन्द जी ने कहा वह प्रोसीडिंग्स दो चार आने में बेची जायंगी तो मंत्री जी ने एक रुपया घूंस लिया यह चीज प्रेस में भी जायेगी इसलिए कि आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। जब यह सब प्रोसीडिंग्स में है तो प्रेस वालों को भी स्वतंत्रता दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपने दूसरा प्रश्न उठाया है। यह जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में आपने कहा।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, जो विरोधी दल के सम्मानित नेताओं ने समाचारपत्रों की रिपोर्टिंग के बारे में विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूं।

श्री रामबिलास पांडेय--

मान्यवर, आपने कहा कि दूसरी चीज है। यह उसी से सम्बन्धित है। नारायणदत्त तिवारी जी ने मोटी किताब उठा ली है और आप तो उनकी रक्षा करते ही हैं, इसलिये कहा कि यह उसी से सम्बन्धित है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो भी विचार सम्मानित सदस्यों ने विचार स्वातंत्र्य तथा रिपोर्टिंग के बारे में व्यक्त किये हैं मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं और मुझे दृढ़ विश्वास है कि श्रीमन् आप भी इस प्रेस के विचार स्वातंत्र्य और रिपोर्टिंग के सिद्धान्त से सहमत होंगे। श्रीमन्, इस अवसर पर मैं आपकी आज्ञा से जो यहां का प्रेस है उसे बधाई देना चाहता हूं कि वह अपना कर्तव्य समझता है और उन्होंने सदा इस सदन की रिपोर्टिंग निष्पक्ष रूप से और बिलकुल सही ढंग से करने की चेष्टा की है और शायद ही कभी ऐसे अवसर आये हैं जबकि कहीं माननीय सदस्यों को शिकायत का मौका मिला हो कि यहां की रिपोर्टिंग गलत हुई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

केवल नेता विरोधी दल को।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यदा-कदा इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार अवहेलना की शिकायत यदि की भी गई तो प्रेसों ने बड़े प्रजातांत्रिक मर्यादा के अनुकूल उन सदस्यों की बात को स्वयं छापा है। तो मैं समझता हूं यह कोई सरकार का प्रश्न नहीं है। हम सबकी श्रीमन्, आपके संरक्षकत्व में यह अभिलाषा है। अब इसमें प्रश्न क्या है। बात यह नहीं है कि प्रेस कोई बात न छापे। आपने केवल यह कहा है, जहां तक मैं समझा हूं कि आज न छापें जब स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी का आ जाय, जो आज अनुपस्थित हैं, और जब पूरा प्रश्न भी आ जाय तो सारी बात एक साथ सबके सामने आ जाय और ऐसी कोई परम्परा न बने जो गलत हो। ऐसे आरोप सभी के बारे में हो सकते हैं। स्पष्टीकरण के बारे में सभी का कर्त्तव्य है कि हम उसमें अपना स्पष्टीकरण दें। आरोप-प्रत्यारोप की एक गरिमा है और स्पष्टीकरण का अवसर सम्बन्धित व्यक्ति को मिले, इसलिये आपकी तरफ से बुद्धिमत्ता से यह कहा गया है कि आज न हो २६ तारीख को जब वे आवें तब हो। तो आपने प्रकाशन रोका नहीं, केवल एक निश्चित परम्परा स्थापित करने के लिये केवल आज के लिये आग्रह किया है कि वह आज प्रकाशन न करें। सम्मानित उप नेता कांग्रेस ने यह बिलकुल ठीक कहा है कि प्रोसीडिंग जो हैं वे एक्सपंज नहीं की गई हैं। आज की प्रोसीडिंग परसों पूरी की पूरी छपेंगीं, वह रुकेगीं नहीं। मैं समझता हूं यह केवल एक मंत्री के लिये नहीं बल्कि भविष्य में सभी के लिये अच्छी परम्परा डालने के लिये आपने यह कदम उठाया है। यह प्रेस में छपेगा नहीं रुकेगा नहीं, केवल एक निश्चित परम्परा और ढंग से यह काम होगा। यही आपने व्यवस्था दी है। इसीलिये आपने शायद ऐसा प्राविधान किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने यह इंस्ट्रक्शन लगा दिया है कि आज ही न छपे। मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं यह कांस्टीट्यूशनल इल्लेगल्टी है। ऐसा करके हम संविधान की एक एक धारा को चोट पहुंचाते हैं। तो यह आपका आदेश चाहे एक क्षण के लिये हो, तो भी संविधान के खिलाफ है और गैर-कानूनी है। आज के लिये नहीं, यदि आप एक क्षण के लिये भी ऐसी आज्ञा देते हैं तो उसे तुरन्त वापस लें। इस संबंध में मैं आपका ध्यान आर्टिकिल १९४ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, उसमें लिखा है, हमेशा माननीय सदस्यों को अधिकार होगा कि अपनी सब बातें सदन में कहे और उसके लिये उनको अदालत में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है कि इसकी उनको अच्छी जानकारी है और उनका ऐसा आरोप नहीं है जो केवल लांछन लगाने के लिये हो, उनके पास सबूत भी है। यदि नहीं भी है तो सूचना के आधार पर आर्टिकिल १९४ में इस बात की इजाजत है अपनी बात कहने की। जो बात सदन में कही जायगी, जो प्रोसीडिंग बुक में आ गई है, एक्सपंज नहीं की गई है, वह प्रेस में जाएंगी, बाहर जायगी। अगर आप इसको रोकते हैं तो माननीय सदस्य के संविधान के धारा १९४ में दिये गये अधिकारों का हनन होता है। धारा ११९ व १९४ दोनों इसके पक्ष में हैं। आप अपने आदेश पर पुनः विचार कर लें और एक क्षण के लिये भी उसे न रोकें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, अभी माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने उन्हीं शब्दों को दोहराया कि किन परिस्थितियों में फिर से यह बात इस सदन कही। माननीय कृष्णानन्द राय ने यह कहा कि जब तक प्रोसीडिंग का पार्ट है, तब तक प्रेस को छापने से रोका नहीं जा सकता। मैं स्वयं भी इस राय का हूं, जब कोई कार्यवाही सदन की कार्यवाही का निश्चिततौर पर अंश बन जाती है और जब तक उस कार्यवाही को निकाल न दें तब तक वह सदन की कार्यवाही है उसको प्रकाशित करने का पूरा अधिकार रहना चाहिये। हमारे हर शब्द या जो कुछ वोट देते हैं वह भी जनता की निगाह में होता है। हमारे मतदाताओं का यह अधिकार है कि वह हमारे बारे में जानें, यहां हमारे भाषण के बारे में भी जानें और वोट के बारे में भी जानें कि हमने किस प्रकार वोट दिया। इसीलिये यह कहीं निषेध नहीं है कि प्रकाशित नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि सेशन दो प्रकार का होता है ओपेन सेशन हो या सीक्रेट सेशन हो। गोपनीय सत्र जब होगा उसमें प्रेस अपने आप वर्जित कर दिया जाता है और दर्शक दीर्घायें वर्जित कर दी जाती हैं। लेकिन जब प्रेस को बैठने और दर्शक दीर्घाओं में बैठने की इजाजत हो, सीक्रेट सेशन न हो, तो उस हालत में कार्यवाही का भाग ज्यों का त्यों रहने के बाद, प्रेस को पूरी आजादी रहनी चाहिये। इसलिये जो माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने अपनी बात कही है, आप अपनी व्यवस्था जो आपने उसमें दी है, उसको तब्दील कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

सभी दृष्टिकोण आप लोगों ने रख दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, एक निवेदन यह है, अभी संसदीय कार्य मंत्री श्री नारायणदत्त जी ने भी तसलीम किया कि जो बात विपक्ष की तरफ से कही गयी उनको भी उससे असहमति नहीं है। सब तरफ से तसलीम किया जा रहा है कि जो कुछ ऐतराज किया जा रहा है वह सही है। जहां तक याद पड़ता है सुबह आपने यह भी नहीं कहा है आपका आदेश केवल आज तक सीमित है, ऐसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा कह भी दिया तो यहीं से शुरू हो जायगा, आज के लिये होगा, फिर दो दिन के लिये होगा, फिर महीने भर के लिये हो जायगा। ऐसी परम्परा डालें ही क्यों, ऐसी नजीर क्यों बनायें? जिसकी वजह से बराबर नुक्ताचीनी होती रहे? इसलिये आप या तो उस प्रोसीडिंग को भी एक्सपंज करवा दें या अगर वह रहती है तो जिस तरह से कायदे कानून हैं प्रकाशित करने के वह रहने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदित करना चाहता हूं कि कार्यवाही जो कुछ भी है उसका एक शब्द भी रद्दोबदल, परिवर्तित, संशोधित, परिवर्द्धित, परिमार्जित करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं कार्यवाही के किसी अंश को हटाना भी नहीं चाहता हूं, न हटाया है। जब किसी को अधिकार है बोलने का जो हल्लागुल्ला हो जाता है उसकी बात अलग है—जो शब्द हैं, अगर असंगत वह नहीं हैं और असंगति के बारे में मेरी दृष्टि दूसरी है, तो मैं उसको हटाने के पक्ष में नहीं हूं न हटाया है। न कार्यवाही हटी है न निरस्त की गयी है। प्रश्न यह है कि जो लोक सभा की पद्धति है उसको देखते हुये मैंने दो बातें कहीं, सवेरे। एक तो मैंने सरकार को कहा २६ तारीख को बयान दे, मेरे समक्ष तो आया वह नहीं। जब कई दिन से वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा, अध्यक्ष जी के पास है मेरे पास तो नहीं आया वह। कल से मैं यहां पीठासीन हुआ। माननीय अध्यक्ष अस्वस्थ हुये। यहां उठाने की मैंने एजाजत दे दी। माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया उस पर मैंने कहा कि २६ तारीख को सरकार इस पर अपना दृष्टिकोण साफ करे। इस तरह के आरोप के संबंध में मैं सर्वश्री कौल एंड शंकधर की लिखी प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट नामक पुस्तक के पृष्ठ २४० से एक उद्धरण पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है:

"The person making such an allegation is required first to make sure of his facts and base them on such authentic evidence, documentary or circumstantial, as he may have. He has to be careful in shifting arranging facts because, if the allegations are proved to be frivolous, worthless or based on personal jealousy or animosity, directly or indirectly, he will himself be liable to be charged of the breach of privilege of the House. Therefore, it is of the utmost importance that allegations are based on solid— tested and checked facts."

फिर इसकी पद्धति बतलाई गयी है कि वह झूठा जो आरोप (एलिगेशन) होता है उसकी सूचना प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री जो भी हो, उसको भेज दी जाती है। देरी जरूर हुई उसमें। उस दिन से यह मामला गूंज रहा है। मैं चाहता था कि इस पर यहां निर्णय लिया जाता, लेकिन वर्मा जी का जो सवाल था उसे अध्यक्ष महोदय ने मुख्य मंत्री जी को भेज दिया था और मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह जरूर था कि वह इस पर २६ तारीख को बयान देंगे। अब इस दृष्टि से कार्यवाही ज्यों की त्यों है। न वाक स्वातंत्र्य का हनन, न इसके प्रकाशन पर रोक की जरूरत है। आज के दिन सदन की यह राय हो जाय और जैसा सदन आज है उस अवस्था में जब कि इन वर्षों में आप सरकार पक्ष में और दूसरे विरोधी पक्ष में बैठते हों और कोई सदस्य यह लिखकर दे कि दोनों पक्ष के लिये यह नियम होना चाहिये उस पर एक किस्म की कार्यवाही होना चाहिये।

इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। लेकिन अब जो प्रश्न उठाया गया है, माननीय शम्भूनाथ जी ने उठाया और मैंने उसे रोक दिया क्योंकि समय दिन भर का था। अगर प्रश्न आ जाता तो आ जाता। इसलिये मैंने कहा कि आप रुकिये। माननीय मंत्री जी नहीं हैं। वीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री आज अनुपस्थित हैं.....।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जब मैंने कहा तब उसी समय वह उठ कर गये थे। आज यहां उपस्थित हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर वह यहां थे तो मुझे मालूम नहीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जहां बहन जी बैठी हैं उसकी अगली सीट पर वह थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी पूरी बात तो सुन लें । मंत्री बाहर जाते तो उनका पब्लिक प्रोग्राम होता है । मैंने तो नहीं देखा । इस पर तो विश्वास करना चाहिये । जो उनकी यह दलील है कि हमको कहने का मौका है, गलत है . . . . . (घोर व्यवधान)

गृह उपमंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)--

मान्यवर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं . . . . . ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं १५ मिनट का समय बढ़ाता हूं । अब जो कुछ हुआ कि विरोध पक्ष भ्रष्ट है अथवा सरकारी पक्ष भ्रष्ट है मुझे क्या पड़ी है । प्रश्न यह है कि अगर यह बात मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में की गई हो और माननीय सदस्यों को बीच में कहा गया हो तो उनका कर्तव्य होता है कि उस गलतफहमी को दूर करने के लिये जो काम उनको करने चाहिये वे करें । अब सरकार को स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया जैसे माननीय देवकीनन्दन विभव के बारे में सदन के समक्ष कहा गया . . . . . (व्यवधान) माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि उस पर कोई प्रकाश नहीं किया । प्रकाशन स्थगित करना चाहिये । अगर ऐसी स्थिति कल हो और आप सरकार में हों मान लीजिये कोई अनुपस्थित है या नहीं है और किसी मंत्री के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हों तो उसको स्पष्टीकरण का मौका देना चाहिये । तो जो यह इस वक्त की कार्यवाही है वह छपेगी मैं उस पर पाबन्दी नहीं लगाऊंगा क्योंकि उनको समय दिया गया ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मान्यवर मैं अब कहने में डर रहा हूं कि आपने रूलिंग दी कि इस वक्त की कार्यवाही छपेगी और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जायेगी तो आटोमेटिकली जो पहले की कार्यवाही है उसको भी छापने की कृपा आप करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय देकर स्पष्टीकरण के लिये शीघ्रातिशीघ्र मौका देने की बात है और दूसरे में यह कहता हूं कि अभी भी मौका दें, अभी भी मौका है क्योंकि मैंने १५ मिनट बढ़ा दिया है । क्या स्थिति है ? क्यों नहीं है ? तो जो प्रश्न यह आपने किया था वह प्रश्न तो २६ को लिया जायेगा । यहां जो बात आपने उठाई उसके बारे में उनको अवगत करा दिया और स्पष्टीकरण का मौका दिया । मान लीजिये आरोप सिद्ध नहीं होता है तो उस पर मैं नहीं जाता हूं लेकिन उस समय अगर माननीय सदन में कोई सवाल उठता है और मैं समझता हूं कि उसका आग्रह है तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये मैं इस समय के लिये और नई पाबदी नहीं लगाता हूं ।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान आज के प्रातःकालीन निर्णय की ओर आकृष्ट करता हूं । मान्यवर, आपने कहा था कि किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में जो भी आरोप लगाये गये हैं उसके औचित्य और अनौचित्य को छोड़कर आपने निर्णय दिया . . (व्यवधान)

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

जब तक सम्बन्धित व्यक्ति जिन पर आरोप लगाया गया है, का स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है तब तक यह कार्यवाही समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होनी चाहिये। इसमें आपने कह दिया है कि यह कार्यवाही छपेगी तो वह बात अपने स्थान पर रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह बात अपने स्थान पर है और यह निर्णय अपने स्थान पर है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अब इस पर बहस नहीं चाहता हूं।

(विरोध पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मंत्री जी का स्पष्टीकरण नहीं आया। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण आने तक के लिये इसे प्रकाशित होने में रोक लगा दी जावे.....।

श्री उपाध्यक्ष--

मान लीजिये ऐसा सवाल उठता है.....(व्यवधान)।

श्री कृष्णानन्द राय--

एक जानकारी चाहता हूं आपसे.....।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिये जाने के बाद उसे क्वैश्चन कर सकता है ? इस पर निर्णय दें।

श्री कृष्णानन्द राय--

आपने यह कहा कि वीरेन्द्र वर्मा जी ने जो पत्र लिखा अध्यक्ष को इसके संबंध में, उसको अध्यक्ष जी ने मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है और २६, २७ को जो कुछ भी होगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी पर जो आरोप लगाये गये हैं उसकी जांच करने के बाद सदन के सम्मुख कोई रिपोर्ट पेश करेंगे या केवल उसका एक स्पष्टीकरण करेंगे ? प्रार्थना आप से यह है कि अब माननीय शर्मा जी की हैसियत एक अक्यूज्ड की हो गई है। भले ही अभी दोष नहीं साबित हुआ हो पर उनके स्पष्टीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। उनको अवकाश दें कि वह बतायें कि किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

[श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी को आपको जो सूचना है उसकी प्रति भेजी जा चुकी है वह उस पर २६ को अपना वक्तव्य देंगे नियमानुसार जो उनको देना चाहिये, क्या वह ढंग में नहीं कह सकता। मैं यह कहना चाहता हूं यह जो प्रश्न है अगर वह माननीय सदस्यों के मस्तिष्क को उद्वेलित करता है तात्कालिक की अपेक्षा करता है तो इस पर फौरन में बहस की इजाजत ही देता मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय शर्मा जी की अनुपस्थित का कारण ही नहीं समझा और मैं कहना नहीं चाहता.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

आप न कहें, हम समझ गये।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुपस्थित वह नहीं थे। कुछ माननीय सदस्यों ने जब यह कहा तो जब विरोधी पक्ष के कोई माननीय सदस्य हमारा ध्यान आकृष्ट करें कि स्वयं विद्यमान हैं तब स्पष्टीकरण नहीं चाहता हूं इसलिये मैंने बतलाया है, क्योंकि मुझे दिखाया गया है कि वे हैं। उनकी अनुपस्थिति के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वह नहीं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर ही यह रोक लगायी गयी। लेकिन उसके बाद माननीय मंत्री आये (व्यवधान) मैं यहां सत्य के उद्घाटन के लिये हूं। अगर किसी तरीके से मुझे लगे कि किसी को अनुपस्थित कहा जाता है और वह है.... जिन्होंने जो स्पष्टीकरण किया है जो मैंने उसकी इजाजत दी वह इस लिये मेरे लिये मुश्किल हो जाती है कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं कि जो बहस करे वह अखबार में न जाय। अखबार में तो हमेशा जायगी, मैं किसी कार्यवाही को रोकना नहीं चाहता न्याय के लिये और जो अग्रीव्ड पार्टी हो, जिसके खिलाफ आरोप है उसको मौका उचित देना चाहिये यह मेरी दृष्टि थी।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे जरा देख लें। मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ध्यान है कि मैं यहां मौजूद था। श्रीमन् ने यह फरमाया था कि २६ को वह अपना बयान यहां देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैंने नहीं कहा। जो प्रश्न उन्होंने किया था, दूसरे यहां स्वयं उठाया .....

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे तो मालूम नहीं कि वह आये या नहीं आये, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने यह निर्णय कर लिया है कि वह आये थे। श्रीमन्, यह निश्चत हो जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यह बहुत सम्भव है कि अगर मेरे दिमाग में यह बात है कि उनको बयान २६ तारीख को देना है तो उनको भी ऐसा खयाल हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी एक माननीय सदस्य के कहने से कोई दोषी नहीं हो जाता। वह दोषी है या नहीं यह प्रश्न दूसरा है। लेकिन किसी एक प्रश्न पर कि कोई बात प्रकाश में लायी जानी चाहिये या नहीं लायी जानी चाहिये, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि लाई जा सकती है और वह सब सदस्यों के हित की बात है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसको आप देख लें अगर आप का ऐसा खयाल है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

एक नियम ५१ में श्री नित्यानन्द स्वामी का है कि केन्द्रीय वेतन विद्युत् मंडल की सस्तुतियां लागू न होने के कारण प्रदेश के विद्युत् कर्मचारियों द्वारा हड़ताल होने की सम्भावना है।

इसको स्वीकार किया गया है।

यह २-८-१९७१ को उत्तर के लिये रखा गया है।

एक दूसरा है बहराइच जिले की जरवल रोड चीनी मिल के अधीग्रहण होने के बाद मिल पर किसानों तथा सोसाइटी का बकाया के संबंध में।

[श्री उपाध्यक्ष]

इसको भी स्वीकार किया गया है। यह २९-७-१९७१ को सूचना और जवाब के लिये है।

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर सोमवार, दिनांक २६ जुलाई, १९७१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२३ जुलाई, १९७१।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६४ पर)

वाराणसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को दी गई सहायता तथा उसका उपयोग सम्बन्धी विवरण

वर्ष	ऋण	अनुदान	ऋण व अनुदान का योग	उपयोग की स्थिति	सहायता का प्रयोजन
१	२	३	४	५	६
	रु०	रु०			
१९६३–६४..	७,०००	७,०००	१४,०००	१६१.८८ रु० के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। वापस कर दिया गया। शेष धन का निर्धारित कार्य पर उपयोग हुआ।	प्रसार सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों (जैसे साज सज्जा की खरीद व दुग्ध कक्षों का निर्माण) हेतु।
१९६४–६५..	५,७५०	५,७५०	११,५००	एक दुग्ध कक्ष न बन सका। इसके निमित्त २,००० रु० तथा ४ कैटिल शेड जो नहीं खरीदे जा सके उनके निमित्त ५,०० रु० (कुल २,५०० रु०) वापस हुआ शेष धन का निर्धारित कार्य पर उपयोग हुआ।	
१९६५–६६..	३,०००	३,०००	६,०००	पूर्व धनराशि का उपयोग किया गया।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९६६–६७..	४,५००	४,५००	९,०००	१८८.१९ रु० के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह वापस हुआ। शेष निर्धारित कार्य पर प्रयुक्त हुआ।
योग ..	२०,२५०	२०,२५०	४०,५००	.. ..

नोटः—१९६७–६८, १९६८–६९, १९६९–७० में संघ को कोई सहायता नहीं मिली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७१ पर)

प्रतापगढ़ जनपद की तहसील कुण्डा के परगना मानिकपुर के २६ ग्रामों की सूची जिसमें अनुदान वितरण नहीं किया गया है—

१—बनकट कामा
२—कोथरिया
३—हिमाहूं
४—सिंधारा
५—अंधरीपुर
६—अदला बाद
७—सुन्द्राईपुर
८—थयाहीपुर
९—शमापुर
१०—पोथनपुर
११—यहूपुर
१२—सलेमपुर बौरहा
१३—बाजिदपुर
१४—बबुल्लापुर
१५—चक अब्दुलगनी
१६—लोन्दा
१७—पूरेमियां
१८—पविगो
१९—बभनपुर
२०—शेखपुरधनापुर
२१—रेलाही
२२—काछी पट्टी
२३—रानापट्टी
२४—सुलतानपुर
२५—चकबाकी
२६—जोतबम्मन

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७—२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७५ पर)

परिशिष्ट (१)

प्रदेश में पांच निम्नलिखित नगरों में उनके सम्मुख लिखी हुई तिथि से सुपर मार्केट कार्य कर रहे हैं :—

१—इलाहाबाद	२६—२—६७
२—देहरादून	१—७—६७
३—लखनऊ	३१—१२—६६
४—मेरठ	२—९—६७
५—कानपुर	१६—७—६८

उपरोक्त बाजारों में सरकार का निम्न प्रकार धन लगा हुआ है :—

नाम बाजार	अंशधन	अस्थाई भवन निर्माण हेतु ऋण	साज सज्जा एवं फर्नीचर ऋण एवं अनुदान
	लाख	लाख	लाख
१—इलाहाबाद	३	शून्य	३
२—देहरादून	३	शून्य	३
३—लखनऊ	५	१.३३	३
४—मेरठ	३	१.५०	१.७५
५—कानपुर	५	२.००	३

इन बाजारों को गत तीन वर्षों में निम्नलिखित लाभ एवं हानि हुई :—

	१९६७—६८		१९६८—६९		१९६९—७०	
	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
१—इलाहाबाद ..		२,६९,५८२	..	१,०१,८९४	..	१,३०,९१५
२—देहरादून	११,६४० ४५	..	..	९,०१८	..	३९,०२३
३—लखनऊ ..		६,७०,२०५	..	५,६१,६०८	..	२, ६,९२३
४—मेरठ ..		२,५२,७३०	..	१,१८,४३७	..	६५,४७७
५—कानपुर ..		..	१ ,२१०		३,२१४	..

नोट—आपका बाजार मेरठ तथा सहकारी बाजार देहरादून के लाभ हानि के अंकों में केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मेरठ तथा देहरादून के अंश भी सम्मिलित हैं।

विधान सभा

परिशिष्ट—२

(देखिये ता० प्र० संख्या २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७५ पर)

प्रदेश में थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भडारों की सूची

क्रम सं०	थोक भंडार का नाम	निबन्धन तिथि	अंश-धन पूंजी	शुद्ध ऋण	ट्रक भवन निर्माण हेतु ऋण एवं अनुदान	१९६७–६८		१९६८–६९		१९६९–७०	
						लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
१	२	३	४	५	६	७		८		९	
			लाख	लाख	लाख						
१—आगरा ..	..	२६–३–६३	१	२	१	..	०.९८	..	०.२४	...	०.२४
२—फिरोजाबाद ..	..	२४–२–६४	१	२	१	..	०.९४	..	०.१५	..	०.०७
३—अलीगढ़ ..	..	१०–१–६४	१	२	१	..	०.२९	..	०.४५	०.०७	..
४—मथुरा ..	..	२३–१२–६३	१	२	१	..	०.७५	..	०.३२	..	०.४६
५—एटा ..	..	१६–२–६६	१	..	..	..	०.२३	..	०.१४	..	०.२३
६—मनपुरी ..	..	१६–८–६६	१	..	..	..	०.४७	..	०.१२	०.०००६७	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२			३	४	५	६		७		८		९	
७—इलाहाबाद	..	..		२३–३–६३	१	२	१	..	०.८९	..	०.२४	०.००३०३	..	
८—कानपुर	..	..		२९–३–६३	१	२	१	०.०८	..	०.१५	..	०.१०	..	
९—फरूखाबाद	..	..		३–३–६४	१	२	१	..	०.७२	..	०.१४	०.०२	..	
१०—इटावा	..	..		२१–२–६४	१	२	१	..	०.७५	..	०.२४	..	०.०७	
११—फतेहपुर	..	..		२०–८–६६	१	..	..	..	०.११	०.०१	..	..	०.०९	
१२—बरेली	..	..		१८–३–६३	१	२	१	..	०.९३	..	०.६०	..	०.४४	
१३—मुरादाबाद	..	..		१३–१–६४	१	२	१	..	०.५१	..	०.२८	..	०.१३	
१४—रामपुर	..	..		८–१–६४	१	२	१	..	०.४५	..	०.६८	..	०.४९	
१५—शाहजहांपुर	..	..		११–१–६४	१	२	१	..	०.३०	..	०.१३	..	०.३१	
१६—बदायूं	..	..		१६–३–६४	१	२	१	..	०.१९	..	०.१७	..	०.०९	
१७—पीलीभीत	..	..		१४–३–६४	१	२	१	..	०.५४	..	०.३०	..	०.०३	
१८—बिजनौर	..	..		१५–८–६६	१	..	..	..	०.२८	..	०.२३	..	०.१७	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९—फैजाबाद	१३–२–६८	१	२	१	..	०.३४	..	५.००	०.१०	..
२०—बहराइच	२५–५–६४	१	१	..	..	०.३५	..	०.२०	०.०७	..
२१—गोंडा	१२–८–६६	१	..	..	..	०.२७	..	०.१६	..	०.०९
२२—बाराबंकी	३–८–६६	१	..	१	०.०३	..	३७०	..	..	०.१८
२३—गोरखपुर	२५–३–६३	१	२	१	..	०.६६	..	०.४३	०.०४	..
२४—देवरिया	१४–८–६६	१	..	१	..	०.५५	..	०.३१	०.०२	..
२५—आजमगढ़	१२–८–६६	१	..	..	..	०.०८	०.०६	..	..	०.०३
२६—बस्ती	१८–८–६६	१	..	..	..	०.२६	..	०.१७	..	०.५१
२७—झांसी	११–१–६४	१	२		..	०.५७	..	०.३३	..	०.१७
२८—हमीरपुर (महोबा) ..	१–१०–६६	१	..	१	..	०.३१	..	०.०८	..	०.१५
२९—उरई (जालौन)	३१–८–६६	१	..	१	..	१.६१	..	०.१३	..	०.३०
३०—बांदा	८–९–६६	१	..	१	०.०९	..	०.०६	..	..	०.९७
३१—हल्द्वानी	१६–८–६६	१	..	१	०.०१	.	०.०१	..	०.०२	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७		८		९	
			लाख	लाख	लाख						
—लखनऊ	..	.. २९–३–६३	१	२	१	०.१५	..	..	०.१८	०.१३	..
३३—सीतापुर	..	.. १४–२–६४	१	२	१	..	०.३०	..	०.०८	..	०.५९
३४—हरदोई	..	.. १५–८–६६	१	..	..	..	०.२८	..	०.१६	..	०.०७
३५—खीरी	..	.. १०–८–६६	१	..	..	..	०.०३	..	०.०९	..	०.०७
३६—मेरठ	..	.. ३०–३–६३	१	२	१	..	२.५३	..	१.१८	..	०.६५
३७—गाजियाबाद	..	.. १–३–६६	१	..	१	..	०.१७	..	०.२४	..	०.०९
३८—हापुड़	..	.. १–१२–६६	०.९७५	..	..	..	०.१८	..	०.२०	..	०.०४
३९—देहरादून	..	.. १६–१२–६३	१	२	१	०.१२	..	..	०.०९	..	०.३९
४०—सहारनपुर	..	.. ३–१२–६३	१	२	१	..	०.३०	..	०.२२	..	०.२१
४१—हरिद्वार	..	.. २२–३–६६	१	..	१	..	०.०७	०.१३	..	..	०.०३
४२—मुजफ्फरनगर	..	.. १२–३–६४	१	२	१	..	०.७५	..	०.४४	..	०.५९
४३—बुलन्दशहर	..	.. ६–८–६६	१	..	..	..	०.५८	..	०.१३	..	०.१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४४—वाराणसी	..	..	१८–३–६३	१	२	१	..	०.२७	..	०.१४	..	०.१२
४५—मिर्जापुर	..	..	१५–१०–६३	१	२	१	..	०.२२	..	०.४५	..	०.४१
४६—जौनपुर	..	..	१२–३–६४	१	२	०.१३	..	०.३९	..	०.१८	..	०.१६
४७—गाजीपुर	..	..	१८–८–६६	१	..	१	०.१२	..	..	०.२३	..	०.२७
४८—बलिया	..	..	१८–८–६६	१	..	१	..	०.१९	..	०.०६	..	०.१७

नोट—केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार, मेरठ तथा देहरादून के लाभ-हानि के अंक में आपका बाजार, मेरठ तथा सहकारी बाजार, देहरादून के लाभ-हानि के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०२ एल० ए०—१९७२—८४५।